वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

Forum of Regulators

FOR

विनियामक फोरम (एफओआर)

विनियामक फोरम (एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

प्रकाशक :

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय : मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

टेलिफोन : 91–11–23753920 फैक्स : 91–11–23752958

डिजाइन और मुद्रण

creativEdge

art of eloquence

अरावली हाउस

431/डी-22, छत्तरपुर पहाड़ी

नई दिल्ली - 110074

ईमेल : ce@aravalifoundation.in

वेबसाइट : www.creativedge.in

प्रस्तावना

वर्ष 2012–13 के दौरान विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

फोरम ने विनियामक लेखों पर दृष्टिकोण की एकरूप्ता के लिए और विनियामक लेखों के लिए मानकीकृत सिद्धांतों के सुझाव के लिए सांविधिक लेखों से विशिष्टता के रूप में विनियामक लेखों की मान्यता के लिए उद्देश्य से ''विनियमाक लेखों का मानकीकरण'' पर अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि कारोबार करने वाली समन्वित कंपनियां सभी कारोबार के लिए अभिप्रेत सामान्य व्यय के लिए कुछ सामान्य आस्तियां का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य मदों को कुछ लागत घटकों पर आधरित विभिन्न कारोबार के लिए बांटने की आवश्यकता ताकि विनियमित कारोबार को आवंटित लागत का शेयर गैर विनियमित कारोबार को सब्सिडाइजड नहीं रहता और विभिन्न आवंटन घटकों की सिफारिश की गई। वायर कारोबार और आपूर्ति कारोबार के बीच वितरण कारोबार एआरआर को अलग करने की सिफारिश की गई। तथापि यह भी सिफारिश की गई कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूर्ण लेखांकन प्राप्त करने तक वायर कारोबार एआरआर और आपूर्ति कारोबार एआरआर की पृथकता विनिर्दिष्ट आवंटन मैट्रिक्स के अनुसार वायर कारोबार और आपूर्ति कारोबार के बीच वितरण कारोबार के एआरआर के संघटकों को बांटते हुए किया जा सकता है।

फोरम ने आरपीओ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उनको सुपर बनाने के लिए राजयों के लिए प्रोत्साहन संरचना को तैयार करने की आवश्यकता को अनुभव किया। तददुनसार ''नवीकरण क्रय बाध्यता लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्यों के लिए प्रोत्साहन संरचना तैयार करना'' पर अध्ययन आरंभ किया जिसका उद्देश्य कार्यान्वयन रणनीति के संबंध में उचित सिफारिशें करना रहा और यह प्रतिबद्धता रही कि राज्य सरकारों के अंश पर यह वांछनीय हो सकता है ताकि आरपीओ बाध्यताओं को प्रापत करने के लिए वितरण कंपनियों को सक्षम किया जा सके और नवीकरणीय ऊर्जास्रोतों के विकास को तेज किया जा सके। अध्ययन में वित्तीय हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आरपीओ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और आरपीओ लक्ष्यों से आगे की पूर्ति के लिए संसाधन समृद्ध राज्यों के लिए प्रोत्साहन, और ग्रिड समानता के प्राप्त होने तक नवीकरणीय ऊर्जाकी अतिरिक्त लागत के स्थान पर अपनी आरपीओ की पूर्ति के लिए संसाधन कमी वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन शामिल है। यह सिफारिश की गई कि लिवरेज का सिद्धांत प्रोत्साहन के लिए प्रयुक्त किया जाए। अध्ययन में संस्थानिक हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया जिसमें बड़े संतुलन क्षेत्रों के सृजन और संतुलन संसाधनों के नवीकरणीय ऊर्जापहचान के लिए संभावित रूप से अलग प्रणाली संस्था शामिल है और नवीकरणीय ऊर्जासंतुलन, बेहतर अनुसूचीकरण और पूर्वानुमान क्रियाविधियों के लिए, प्रणाली प्रचालन एवं प्रमाणन के लिए उचित प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन शामिल है।

फोरम ने नवीकरणीय समृद्ध राज्यों अर्थात् 12वीं योजना अवधि के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जाआधारित विद्युत (पवन, सौर एवं हाइड्रो) की संभावित क्षमता वृद्धियों के लिए पहचान करने और पारेषण बुनियानी ढांचे की वृद्धि की आवश्यकता को अनुभव किया। इस संदर्भ में फोरम ने ''हरित ऊर्जाकॉरिडोरः नवीकरणीय क्षमता के लिए पारेषण योजना'' पर अध्ययन आरंभ किया। अध्ययन में 10 विभिन्न स्थानों पर नवीकरणीय ऊर्जाप्रबंधन केन्द्रों की स्थापना को प्रस्तावित किया गया जिसका लक्ष्य अनिश्चितता और अनिश्चितता के मुददे के लिए पवन/सौर उत्पादन पूर्वानुमान का पता लगाना था और नवीकरणीय ऊर्जाविद्युत का अनुसूचीकरण है। यह भी सिफारिश की गई कि विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन रणनीति नवीकरणीय परियोजना के लिए कम स्थगन अवधि पर विचार करते हुए अंतिम माइल संयोजन के विकास की आवश्यकता, प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए समय अपेक्षा पर विचार करते हुए अंगीकार की जाए।

फोरम द्वारा की गई पृष्ठभूमि में प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एसईआरई/जेईआरसी का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा रहा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय वस्तु

1. विनियामक फोरम 9

2. फोरम की गतिविधियां 11

3. 2012–13 के दौरान विनियामक फोरम की सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां 15

4. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए विनियामक फोरम की वार्षिक लेखा विवरणी 23

अनुबंध–I : 31.03.2013 को एफओरआर के सदस्य 35

अनुबंध–II : राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति रिपोर्ट 37

अनुबंध–III : टैरिफ नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति रिपोर्ट 75

विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 को विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की शुरुआत से विनियामक आयोग के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांशं राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था। इस फोरम में सीईआरसी का अध्यक्ष और एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्ष शामिल है। सीईआरसी का अध्यक्ष फोरम का अध्यक्ष है। केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैः–

1.1. फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

1.2. फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों स उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;
- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

1.3. फोरम का वित्त

- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है।
- केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

1.4. मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

फोरम की गतिविधियां

1.1. विनियामक फोरम की बैठकें

वर्ष के दौरान फोरम ने सात बैठक आयोजित की और कई विवेचनीय मुददों पर मतैक्य हुआ। फोरम की सबसे महत्वपूर्ण पहल नवीकरणीय ऊर्जाके क्षेत्र में थी, जहां फोरम ने नवीकरणीय योग्य क्षमता के लिए पारेषण योजना पर अध्ययन किया और नवीकरणीय क्रय बाध्यता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन संरचना विकसित की।

2.1.1 गंगटोक में 20 अप्रैल, 2012 को आयोजित विनियामक फोरम की 29वी बैठकः

फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधन तथा इस संदर्भ में विनियामक फोरम सचिवालय के प्रस्ताव पर विचवार किया। फोरम को केन्द्र और राज्यों में विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के कार्यान्वयन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को सूचित किया। फोरम इस मामले में सिफारिश के लिए कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत हुआ।

फोरम को रूफटॉप सौर पीवी के समेकन के लिए नीति एवं विनियमों के अनुसार स्पष्टतः लाने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया। इस संबंध में विनियामक फोरम सचिवालय द्वारा प्रस्तुति की गई। फोरम रूफटॉप सौर पीवी के टैरिफ, संयोजकता, मीटरिंग, ऊर्जालेखांकन, वाणिज्यिक व्यवस्था आदि के संबंध में कार्य योजना के लिए सहमत हुआ।

फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टकीरण के संबंध में एक मेगावाट और अधिक के उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच से संबंधित विषय पर विचार किया और निर्णय किया कि इस संबंध में स्थिति पेपर विनियामक फोरम सचिवालय द्वारा तैयार की जाए और एसईआरसी को प्रचालित की जाए।

फोरम ने नोट किया कि विद्युत मंत्रालय ने विनियामक फोरम द्वारा विकसित वितरण फ्रेंचाइज मॉडल किया है और थोड़े से संशोधन सहित मॉडल को अपनाया।

2.1.2 नई दिल्ली में 06 अप्रैल, 2012 को आयोजित विनियामक फोरम की 30वी बैठकः

फोरम ने ''ऑफ–ग्रिड वितरित नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादन के विकास प्रबंधन और प्रचालन तथा आपूर्ति विनियम'' पर मॉडल विनियमों पर विचर किया और थोड़े से संशोधनों के साथ अनुमोदित किया।

फोरम ने ''सामुदायिक स्तरीय ऑफ–ग्रिड वितररित नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादन परियेजना विनियम के लिए नवीकरणीय ऊर्जाप्रमाणपत्रों के प्रत्यायण रजिस्ट्रेशन को जारी करने'' पर मॉडल विनियम पर विचार किया और उसे थोड़े से संशोधनों के साथ पृष्ठांकित किया।

2.1.3 विशाखापत्तनम में 28 जुलाई, 2012 को आयोजित विनियामक फोरम की 31वी बैठकः

फोरम ने ''नवीकरणीय ऊर्जासंभविता में समृद्ध राज्यों में नवीकरणी ऊर्जाआधारित विद्युत संयंत्रों के संभावित क्षमता वृद्धियों के लिए पारेषण आधारभूत विकास के लिए योजना तैयार करने पर अध्ययन'' पर ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार किया। फोरम ने अन्य बातों के साथ–साथ इस सुझाव के साथ रिपोर्ट को पृष्ठांकित किया कि कुल राजस्व अपेक्षा/टैरिफ में अंतःराज्यिक/एसटीयू के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रक्षेपित व्यय के प्रभार के अध्ययन के लिए अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए।

फोरम ने एमएमआरई द्वारा प्रस्तुत ''भारत में नवीकरणीय ऊर्जाका उन्नयन'' से संबद्ध विषयों पर विचार किया और उसमें उठाए गए प्वाइंट को नोट किया।

फोरम ने ''विनियामक लेखों की मानकीकरण'' पर अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार किया और नेटवर्क तथा आपूर्ति कारोबार के लिए अलग लेखा के संदर्भ में लागत के आवंटन के अनुसार एसईआरसी को लोचशीलता प्रदान करने के लिए तथा संघशासित राज्यों में विनियामक लेखों की रिर्पोटिंग के लिए अलग उपबंध प्रदान करने के लिए जहां सांविधिक लेखों के रखरखाव की पद्धति उनके पास नहीं है, उनके लिए सुझाव सहित रिपोर्ट पृष्ठांकित की।

फोरम ने एशिया विद्युत गुणवत्ता पहल द्वारा प्रस्तुत विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में विषयों पर विचारविमर्श किया और इस संबंध में विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए ''विद्युत गुणवत्ता'' पर कार्यसमूह गठित करने का निर्णय किया।

फोरम ने ''विनियामकों के कार्यनिश्पादन की समीक्षा'' पर कार्य समूह की शिफारिशों पर विचार विमर्श किया और कार्य समूह द्वारा विकसित मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों को पृष्ठांकित किया तथा इन पैरामीटरों पर आधारित कार्य निष्पादन की आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तावों को भी पृष्ठांकित किया।

2.1.4 नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2012 को आयोजित विनियामक फोरम की 32वी बैठकः

फोरम ने विद्युत अधिनियम 2003 के प्रस्तावित संशोधनों की जांच की और अधिनिमय के प्रस्तावित संशोधनों पर विद्युत मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों को अनुमोदित किया।

इस बैठक में डॉ0 एम. वीरप्पामोली, विद्युत मंत्री इस बैठक में भाग लिया। इन्होंने विद्युत क्षेत्र में और अधिक सुधार के लिए विनियमों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और अन्य बातों के साथ यह भी बताया कि विनियम उपभोक्तो के व्यापक हित में प्रतिस्पर्धा के प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए।

और क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त विनियामक प्रोत्साहन होना चाहिए और इसी के साथ–साथ विनियामक फ्रेमवर्क में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करते हुए अधिनियम के संशोधन तथा नीतियों की आवश्यकता पर विचार–विमर्श के लिए विनियामकों से अनुरोध किया और उनके सुझावों का आह्वान किया।

सचिव, विद्युत मंत्रालय ने महत्वपूर्ण विषयों पर मतैक्य विकसित करने में विनियामक फोरम द्वारा विनियामक फोरम की भूमिका की प्रशंसा की। विशेष रूप से वितरण के लिए मॉडल टैरिफ विनियमों तथा वितरण कंपनियों की वित्तीय क्षमता के विषयों की प्रशंसा की। सचिव (विद्युत) ने ग्रिड व्यवधान की दो दुर्घटनाओं का उल्लेख किया और यह बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में देश में दोबारा घटित न हो। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विनियामकों से कहा कि ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य ग्रिड कोड की अपेक्षाओं को वितरण कंपनियों सहित सभी सहभागियों द्वारा उनका ठीक से अनुपालन किया जाए।

2.1.5 पोर्टब्लेयर में 08 दिसंबर, 2012 को आयोजित विनियामक फोरम की 33वी बैठक:

फोरम ने आरपीओ अनुपालन मॉनिटरिंग और प्रवर्तन के विषयों पर विचार विमर्श किया है। फोरम न बड़े पैमाने पर उपभोक्ता द्वारा आरपीओ के अनुपालन, सौर एवं गैर सौर आरपीओ के बीच गैर–अंतर परिवर्तनीयता, सौर ऊर्जाके अधिक क्रय के मामले में अपनाया जाने वाला तंत्र इत्यादि के संबंध में सिफारिशों पर सहमति दी।

फोरम ने आरपीओ अनुपालन के लिए प्रोत्साहन पर अध्ययन रिपोर्ट पर विचार किया और अन्य बातों के साथ–साथ आरपीओ के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता सहित रेखांकित इन विषयों की सराहना की ओर रिपोर्ट को पृष्ठांकित किया।

फोरम ने ''भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा आरंभ करना'' पर अध्ययन के संबंध में प्रगति पर विचार किया। फोरम ने वितरण में आपूर्ति कारोबार तथा नेटवर्क के पृथक्करण के लिए फ्रेमवर्क के विकास की आवश्यकता को नोट किया। विचार विमर्श के बाद फोरम वितरण में आपूर्ति कारोबार तथा नेटवर्क के पृथक्करण के लिए फ्रेमवर्क के विकास की आवश्कतया के लिए सहमत हुआ।

फोरम ने मांग पक्ष प्रबंधन के लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार किया और रिपोर्ट को पृष्ठांकित किया।

2.1.6 नई दिल्ली में 09 जनवरी, 2013 को आयोजित विनियामक फोरम की 34वी बैठक:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, माननीय राज्य मंत्री (आई/सी) ने बैठक में भाग लिया। माननीच विद्युत मंत्री को विद्युत क्षेत्र का सामना करने वाले कई विवेचानीय मुददों पर मतैक्य विकसित करने में विनियामक ारम द्वारा निर्वाह की जा रही भूमिका के बारे में सूचित किया गया। यह भी सूचित किया गया कि फोरम ने भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियमों के सामंजस्य के लिए कई कदम उठाए हैं। तथापि राष्ट्रीय सुधार एजेंडा की सफलता राज्य के सहयोग पर आश्रित है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि यद्यपि विधान एसईआरसी को टैरिफ नियत करने की शक्ति देता है तथापि इस प्रक्रिया पर राज्य सरकारों का पर्याप्त प्रभाव भी रहता है। इस अवधारणा का सामना करने के लिए कि राज्य सरकार विद्युत कीमतों का निर्णय करती है इस पर फोरम ने डिस्कॉम, ईंधन तथा विद्युत क्रय कीमत समायोजन इत्यादि के माध्यम से आवधिक स्वचालित पासथ्रू द्वारा टैरिफ याचिका की दाखिल न करने की स्थिति में एसईआरीस द्वारा स्वप्रेरणा याचिका की अपेक्षा करने वाले मॉडल टैरिफ विनियमों को विकसित किया गया। तथापि राज्य सरकारों का प्रोत्साहन इन टैरिफ विनियमों के कार्यान्वयन के लिए विवेचनीय है।

माननीय विद्युत राज्य मंत्री ने विनियामकों को सार्वजनिक क्षेत्रों के सुधारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया और उल्लेख किया कि इस क्षेत्र में अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्युत उद्योग की प्रकृति को देखते हुए उत्तम पद्धतियों के विनियमों की महत्ता है। इस संदर्भ में कि फोरम को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना अपेक्षित है। उन्होंने उन विषयों के महत्व को रेखांकित किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ संगतता, ग्रिड स्थिरता, निर्बाध पहुंच, विनियामक स्वतंत्रता, नवीकरणीय ऊर्जाका उन्नयन, डीएसएम एवं ऊर्जाकुशलता इत्यादि शामिल हैं।

2.1.7 कलकत्ता में 16 फरवरी, 2013 को आयोजित विनियामक फोरम की 35वीं बैठक:

फोरम ने राज्य तथा विद्युत क्षेत्र संरचना और विद्युत क्षेत्र सुधार एवं पश्चिम बंगाल राजय द्वारा की गई पहल में विद्युत परिदृश्य पर विचारविमर्श किया और पश्चिम बंगाल में किए गए विकासों की प्रशंसा की।

फोरम ने सनदी विनियामक विश्लेषक संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव के संबंध में एमईआरसी द्वारा तैयार प्ररियोजना रिपोर्ट पर विचारविमर्श किया।

फोरम ने आरआरआई की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विचारविमर्श किया जिस पर एफओआईआर की गवर्निंग बॉडी द्वारा आगे विचार किया जाएगा।

फोरम को वर्ष 2012–13 के लिए 2011 के माननीय एपटेल स्वप्रेरणाा आदेश ओपी नं के अनुपालन के बारे में सूचित किया गया और रजिस्ट्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विनियामक फोरम सचिवालय को निर्देश दिए गए। सदस्यों को अपेक्षित सूचना को

प्रस्तुत करने के लिए विनियामक फोरम सचिवालय द्वारा विकसित फोर्मेट के बारे में सूचित किया। फोरम ने फॉर्मेट को पृष्ठांकित किया और यह सहमति दी कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए फॉर्मेट, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए फॉर्मेट के आधार पर डिजाइन किया जाएगा और सूचना अपीलीय विद्युत न्यायधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अपेक्षत फॉर्मेट में एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

फोरम ने ग्रिड अनुशासन को लागू करने और इस प्रकार के प्रस्तावों की तर्कसंगतता के लिए विनिर्दिष्ट संदर्भ में विद्युत अधिनियम, 2003 के कुछ उपबंधों के प्रस्तावित संशोधन पर विचारविमर्श किया। फोरम विद्युत मंत्रालय को भेजे जाने वाली सिफारिशों पर सहमत हुआ।

2.2. पूरे किए गए अध्ययन

2.2.1 विनियामक लेखों का मानकीकरण

फोरम ने ''विनियामक लेखों का मानकीकरण'' पर अध्ययन आरंभ किया और फोरम को सहायता के लिए मैसर्स एबीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी प्रा0 लि0 और संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट को नियुक्त किया। अध्ययन के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ–साथ सांविधिक लेखों, विनियामक लेखों पर दृष्टिकोण की एकरूपता के रूप में विनियामक लेखों की मान्यता की आवश्यकता को शामिल किया और विनियामक लेखों के लिए मानकीकृत सिद्धांतों का सुझाव दिया। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

कारोबार को कार्यान्वित करने वाली समेकित कंपनियां सभी कारोबार के लिए किए गए सामान्य व्यय/कुछ सामान्य आस्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। सामान्य मदों को कुछ लागत ड्राईवर पर आधारित विभिन्न कारोबार के समानुपात की आवश्यकता है ताकि विनियमित कारोबार के आवंटित लागत का शेयर गैर विनियमित कारोबार को सब्सिडाइज करने के लिए न हो। विभिन्न आवंटन घटकों की सिफारिश की गई है।

वायर कारोबार और आपूर्ति कारोबार के बीच वितरण कारोबार एआरआर को अलग करने की सिफारिश की गई। तथापि यह सिफारिश की गई कि संपूर्ण लेखांकन को पृथक करने तक जब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक वायर कारोबार एआरआर तथा आपूर्ति कारोबार एआआर को अलग–अलग करना विनिर्दिष्ट आवंटन मैट्रिक के अनु2सार वायर कारोबार और आपूर्ति कारोबार के बीच वितरण कारोबार के एआरआर के संघटकों को विनियोजित किया जा सके।

2.2.2 नवीकरणी क्रय बाध्यता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राजयों के लिए प्रोत्साहन संरचना

फोरम ने ''नवीकरणीय क्रय बाध्यता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए'' राज्यों के लिए प्रोत्साहन संचना तैयार करने'' पर अध्ययन आरंभ किया और फोरम की सहायता के लिए मैसर्स मरकाडोज एनर्जी मार्केट इण्डिय प्रा0 लि0 को नियुक्त किया। इन उद्देश्यों में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन शामिल किया गया और कार्यान्वयन रणनीति के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें की गई और ये वचन लिया गया कि उनकी वितरण कंपनियों के लिए राज्य सरकारों के अंश पर वांछनीय बनाया जाए ताकि आरपीओ बाध्यताओं तथा नवीकरणीय ऊर्जास्रोतों के तीव्र विकास को किया जा सके।

अध्ययन में अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया और आरपीओ लक्ष्य के आगे अपने राजय आरपीओ लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन संपन्न राज्यों के लिए प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जाकी अतिरिक्त लागत के स्थान पर अपने आरपीओ की पूर्ति के लिए कमी वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन जब तक कि ग्रिड समान्ता प्राप्त नहीं की जाती उन्हें शामिल किया गया। यह सिफारिश की गई कि लिवरेज के सिद्धांत को प्रोत्साहन के लिए लागू किया जाए। अध्ययन में सांस्थानिक हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया जिसमें बड़े संतुलन क्षेत्रों के सृजन और संतुलन संसाधनों के नवीकरणीय ऊर्जापहचान के लिए संभावित अलग प्रणाली प्रचालन संस्था को शामिल किया गया और उनके लिए नवीकरणीय ऊर्जासंतुलन के लिए उपलब्ध उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, बृहत्तर अनुसूचीकरण और पूर्वानुमान क्रियाविधि, प्रणाली प्रचालन और प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण, पूर्वानुमान क्रियाविधि को भी शामिल किया गया। रिपोर्ट में सुझाए गए विनियामक हस्तक्षेपों और अन्य नीति में आपूर्ति समृद्ध नवीकरणीय ऊर्जासमृद्ध राज्यों के लिए गैस के सब्सिडाइज्ड आवंटन और गैस आपूर्ति करार के टीओपी संरचना की निर्मित लोचशीलता शामिल है। मौजूदा आरईसी फ्रेमवर्क को पुनः डिजाइन करने की भी बाध्य कंपनियों को सिफारिश की गई ताकि वे अपना आरपीओ की पूर्ति कर सके।

जहां तक आरपीओ प्रोत्साहन का संबंध है यह सुझाव दिया गया कि विद्युत अधिनियम के अधीन सांविधिक संलाह आरपीओ अनुपालन के लिए प्रोत्साहन फ्रेमवर्क के प्रोत्साहन के लिए, अनुपालन सहित प्रोत्साहान संबद्ध प्रोत्साहन के वितरण के लिए विस्तृत नियमों के विनिर्दिष्ट करने के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके अलावा प्रभावी आरपीओ मॉनिटरिंग के लिए विनियम, मॉनिटरिंग की स्थापना एवं न्यूनतम आरपीओ अनुपालन के लिए तंत्र, समयबद्ध ढंग से अंतिम रूप दिए गए फ्रेमवर्क के अनुपालन तथा आवश्यकता उत्पन्न होने पर उचित व पारदर्शी ढंग से दण्ड विधान के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष बाध्यताओं की सिफारिश की गई।

2.2. नवीकरणीय क्षमता के लिए हरित ऊर्जाकॉरिडोर पारेषण योजना

फोरम ने ''हरित योजना कॉरिडोरः नवीकरणीय क्षमता के लिए पारेषण योजना'' पर अध्ययन आरंभ किया और फोरम की सहायता के लिए मैसर्स पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लि. (पावरग्रिड) को नियुक्त किया। अन्य बातों के साथ–साथ अध्ययन के उद्देश्य में शीघ्र नवकरणीय विद्युत विकास के लिए पारेष्ण बुनियादी ढांचे के निधि पोषण के लिए मॉडल के विकास के लिए रणनीतिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवना, पारषण बुनियानदी ढांचे के विकास के लिए कैपेक्स अपेक्षा के प्राक्कलन, 12वीं योजना अवधि के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे नवीकरणीय समृद्ध राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जाआधारित विद्युत (पवन, सौर व हाइड्रो) की संभावित क्षमता वृद्धियों के लिए पारेषण बुनियादी ढांचों का पता लगाना शामिल है। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

10 विभिन्न स्थानों पर नवीकरणीय ऊर्जाप्रबंधन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाविद्युत के अनुसूचीकरण के लिए तथा अनिश्चितता के मुददे का पता लगाने के लिए पवन/सौर उत्पादन पूर्वानुमान का लक्ष्य है।

अध्ययन में नवीकरणीय परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन रणनीतिक कम स्थगन अवधि के लिए सिफारिश की गई, अंतिम माइल कनेक्शन के विकास की आवश्यकता, प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिएसमय अपेक्षा की सिफारिश की गई। समयबद्ध रूप से उत्पादन परियोजनाओं के समक्ष पारेषण प्रणाली कार्य आरंभ करने की सिफारिश की गई। अंतःराज्यिक नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से यह सिफारिश की गई कि संबंधित एसटीयू द्वारा परियोजनाओं को कार्यान्वित करना अपेक्षित है जबकि सामान्य डिजाइन, स्तरीय एवं शीघ्र कार्यान्वयन के लिए डिजाइन, टेण्डरिंग, कार्यान्वयन इत्यादि में व्यापक अनुभव वाले कुछ विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। आईएसटीएस सुदृढ़ीकरण के लिए संतुलित परियोजना प्रबंधन कुशलताओं सहित पारेषण प्रणाली में उच्च तकनीक के विकास में पर्याप्त अनुभव वाली एजेंसी द्वारा आईएसटीएस के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई।

2.3. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

फोरम का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व विद्युत विनियामक आयोगों के कार्मिक का क्षमता निर्माण। फारम में वर्ष के दौरान विद्युत विनियामक आयोगों चार प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए आईआईएम अहमदाबाद में 11–13 अक्टूबर, 2012 के दौरान तीन दिवसीय उन्मुक्ता कार्यक्रम, आईआईटी कानपुर 18–23 अक्टूबर 2012 के दौरान पांचवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा इण्डिया हैबिटेट सेन्टर नई दिल्ली में 21–22 जनवरी, 2013 के दौरान ''मांग पक्ष प्रबंधन व ऊर्जाकुशलता'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और एनपीटीआई में 21–22 मार्च, 2013 के दौरान सीजीआरएफ एवं ओमबडसमेन के अधिकरियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।

2012–13 के दौरान विनियामक फोरम की सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां

3.1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की।

ग्रिड अनुशासन के अपने प्रयासों में आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में 50.2 एचजेड–49.5 एचजेड से 50.2 एचजेड–49.7 एचजेड के फ्रिक्वेंसी एवं अनुज्ञय फ्रिक्वेंसी बैण्ड के लिए मानदण्ड को कड़ा बनाया। नया अनुज्ञय फ्रिक्वेंसी बैण्ड 17.9.2012 से प्रभावी हुआ। जुलाई 2012 में दो ग्रिड सफलता से आयोग के लिए कई नई चुनौतियां आई। इस मामले में आयोग के निर्देशों तथा अधिनियम व ग्रिड कोड के उपबंधों के निद्रेशों के गैर अनुपालन के लिए दण्ड लागने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान पंजाब और जम्मू व कश्मीर राज्यों के एसटीयू/एलएलडीसी के प्रभार में अधिकरियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 142 के अधीन कार्रवाई आरंभ की। आयोग ने ग्रिड गैर अनुशासन के मामले में कई इकाइयों पर निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दण्ड लगाया।

नियंत्रण अवधि 2009–14 के लिए टैरिफ विनियमों में आयोग ने सहायता के लिए हाइड्रो विद्युत संयंत्रों के प्रोत्साहन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क निधारित किया। इस पहल के आधार पर आयोग ने रिज़र्वायर आधारित केन्द्रों के रूप में पंप स्टोरेज आधारित हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टैरिफ विनियमों को संशोधित किया चूंकि वे मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं। एक प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न इस प्रकार के संयंत्रों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। संशोधित विनियमों में पंप स्टोरेज हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए व्यवस्था है। पारदर्शिता के लिए विनियमों में हिताधिकारियों के साथ शेयर करने के लिए थर्मल उत्पादन कंपनियों को अध्यादेश है कि सकल क्लॉरिफिक मूल्य के पैरामीटर के ब्यौरे और विभिन्न स्रोतों से ईंधन की कीमत, देसी कोयले इत्यादि के साथ आयातित कोयले के ब्लैंडिंग अनुपात को शेयर किया जाए। टैरिफ विनियमों को उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अदा विभिन्न फीस व्यय प्रभारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति के लिए संशोधित किया गया।

आयोग ने ग्रिड में विद्युत के कुशल विश्वसनीय और किफायती पारेषण सुनिश्चित करने के लिए अन्तरराज्यिक पारषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कार्यनिष्पादन के मानकों को विनिर्दिष्ट किया। एसओपी विनियमों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति और पारेषण प्रणाली के विभिन्न संघटकों के लिए घटकवार उपलब्धता विनिर्दिष्ट है यदि घटक की उपलब्धता मानदण्डों में यथाविनिर्दिष्ट की अपेक्षा पुनः बहाली में अधिक समय लगता है या मानदण्डों से कम।

व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों के संशोधनों के माध्यम से आयोग ने भारत के अंदर पुनः बिक्री के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत की मान्यता के लिए ''अन्तरराज्यिक व्यापार'' की परिभाषा को विस्तारित किया और विद्युत की अन्तरराज्यिक व्यापार के रूप में किसी अन्य देश को विद्युत का निर्यात किया। कंपनी के एसोसिशन के ज्ञापन में एक मुख्य उद्देश्य के रूप में ''विद्युत में व्यापार'' वाले व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए लागू आवेदन करने वाली कंपनी के लिए अधिदेश दिया गया। ''उल्लंघन तथा दण्ड'' के लिए उपबंध व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभन्न प्रकार के उल्लंघन के उदाहरणों का पता लगाने के लिए आरंभ किया गया।

संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के लिए और नवीकरणीय ऊर्जास्रातों के विकास को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मौजूदा बुनियादी ढांचा तथा संबद्ध अंतःसंयोजक एवं पारेषण सुविधिाओं के साथ–साथ नवीकरणीय ऊर्जाआधारित उत्पादन केन्द्रों द्वारा उसी परिसर में ऊर्जाके नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित 5 मेगावाट से 50 मेगावाट के बीच क्षमता की स्थापना के लिए अधिशेष भूमि एवं अन्तरराज्यिक ग्रिड से संबद्ध मौजूदा उत्पादन केन्दों की अनुमति के लिए संयोजकता विनियमों को संशोधित किया। मौजूदा उत्पादन केन्द्र से नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादन केन्द्र के मूल उत्पादक के रूप में कार्य करना अपेक्षित होगा और आयोग के अन्य विनियमों तथा ग्रिड कोड का अनुपालन करते हुए नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादन केन्द्र के लिए सभी प्रचालनगत और वाणिज्यिक उत्तरदायित्वों के लिए

इनके बीच करार को कार्यान्वित करना होगा।

नवीकरणीय विनियमक निधि तंत्र के सुचारू कार्यान्वन के लिए आयोग ने अनुसूचीकरण, पवन ऊर्जाके संबंध में स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाए गए मुददों के समाधन के लिए एमएनआरई को निर्देश दिया। कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने एक 1.7.2013 से नवीकरणीय विनियामक निधि तंत्र के कार्यान्वयन के लिए 16.1.2013 को आदेश जारी किया। आयोग ने राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को केविविआ के निर्देशों के अनुसार ''नवीकरणीय विनियामक निधि तंत्र के कार्यान्वयन के लिए क्रियाविधी'' के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया और शीघ्रता से आयोग के अनुमोदन के लिए संशोधित क्रियाविधयों को प्रस्तुत किया। जैसा कि नवीकरणीय ऊर्जाटैरिफ विनियम 2012 में अधिदेश है कि आयोग ने 28.2.2013 के आदेश के माध्यम से नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14) के लिए नवीकरणीय ऊर्जापरियोजनाओं के जैनरिक टैरिफ को अवधारित किया।

आयोग ने फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करने के अलावा साफिर और भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान आयोग ने विद्युत की प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्ति के लिए मॉडल मानक बोली दस्तावेज को अंतिम रूप देते समय विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालित केस–2/अल्ट्रो मेगा परियोजनाओं के लिए ड्राफ्ट मॉडल विद्युत क्रय करार पर आयोग के अभिमतों पर विचार करने के लिए भारत सरकार को सांविधिक सलाह दी।

3.2. आंध्रप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

टैरिफ आदेश समय–समय से जारी किए गए

कोई विनियम वित्तीय वर्ष 2012–13 में अधिसूचित नहीं किया गया

3.3. बिहार विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरा आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए:

- अधिसूचना संख्या बीईआरसीध्स्वप्रेरणा कार्रवाई संख्या 29/2012.03.875 दिनांक 31 अगस्त, 2012 - बीईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमए 2012
- विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 का तृतीय संशोधन
- वितरण अनुज्ञप्तिधारी विनियम, 2012 के कार्यनिष्पादन के मानक का प्रथम संशोधन
- निर्बाध पहुंच विनियम 2012 के लिए निबंधन व शर्तों में प्रथम संशोधन
- फीस, फाइन और प्रभार विनियम 2012 का तीसरा संशोधन
- नवकरणीय क्रय बाध्यता, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन विनियम 2012 का प्रथम संशोधन
- सौर ऊर्जासंसाधन विनियम 2012 से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों में प्रथम संशोधन
- टैरिफ विनियम 2012 के अवधारण की निबंधन व शर्तों में प्रथम संशोधन
- विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 में दूसरा संशोधन
- फीस, फाइन और प्रभार विनियम 2011 का दूसरा संशोधन

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- बिहार राज्य में बगासे आधारित सहउत्पादनसंयंत्र एवं बायोमास आधरित विद्युत संयंत्रों से विद्युत के क्रय के लिए टैरिफ की समीक्षा के मामले में और नवीकरणीय उर्जा/सह उत्पादन संयंत्र से वर्ष में विद्युत के प्रतिशतता लक्ष्य का निर्धारण
- उस सीमा तक बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी 30.03.2012 के वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग करने के लिए याचिका के मामले में जिसे नवीकरणीय क्रय बाध्यता की प्रतिशतता के रूप में सौर क्रय बाध्यता को विनिर्दिष्ट किया है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1मेगावाट और अधिक की विद्युत की अपेक्षा वाले उपभोक्तओं के टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग क्षेत्राधिकार के मामले में किइस प्रकार के उपभोक्ताओं को अब डिम्ड निर्बाध उपभोक्ता के रूप में विचार किया जाएगा।
- बीएसईबी के वित्तीय वर्ष 2012–13 के वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए ट्रूइंगअप आदेश के साथ वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ और एआरआर का अवधारण
- 1मेगावाट और अधिक की विद्युत की अपेक्षा वाले उपभोक्ताओं के टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग का क्षेत्राधिकार

3.4. छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी किए:

- सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, एसएलडीसी और सीएसपीडीसीएल के वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ याचिकाओं और एआरआर पर आदेश
- वर्ष 2012–13 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जावितरण कंपनी लि., भिलाई स्टील प्लांट एवं जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. द्वारा विद्युत खरीद की पूल लागत के मामले में स्वप्रेरणा आदेश

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए:

- सीएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जासंसाधनों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2012

- सीएसईआरसी (टैरिफ एवं प्रभारों से प्रत्याशित राजस्वों के अवधारण के लिए एमवाईटी सिद्धांत व पद्धति तथा क्रियाविधि के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012
- सीएसईआरसी (संयोजकता एवं अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच) प्रथम संशोधन, विनियम, 2012
- सीएसईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र की फीस व प्रभार एवं अन्य संबंद्ध मामले) विनियम, 2012
- सीएसईआरसी (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2012
- सीएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जासंसाधनों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें एवं संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

3.5. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग की उपलब्धियां निम्नानुसार है:

- विद्युत क्रय लागत समायोजन प्रभारों का कार्यान्वयन
- टैरिफ के दैनिक समय का कार्यान्वयन
- डीईआरसी (नवीकरणीय क्रय बाध्यता और नवीकरणीय ऊर्जाप्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम 2012 अधिसूचित किया गया।
- डीईआरसी (ग्रिड संबद्ध सौर फोटो वोलटिक परियोजना के लिए टैरिफ के अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2013 अधिसूचित किया।
- डिस्कॉमवार अनुसूचीकरण डीईआरसी द्वारा कार्यान्वित किया गया।

3.6. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित उपलब्धियों प्राप्त की:

- मांग पक्ष प्रबंधनः गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने ड्राफ्ट मांग पक्ष प्रबंधन विनियम 2012 प्रकाशित किया और विभिन्न स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए। सभी ने उपभोक्ताओं संस्थाओं और कंपनियों सहित 8 पार्टियों ने ड्राफ्ट विनियमों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मांग पक्ष प्रबंधन विनियम 2012 को अनुमोदित किया। इन विनियमों को 2012 की अधिसूचना संख्या 1 के रूप में 8 मई, 2012 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- डीएसएम उद्देश्यः जीईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2012 के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसरण में जीईआरसी ने 6.8.2012 को गुजरात राज्य के लिए मांग पक्ष प्रबंधन के लिए उद्देश्यों को तैयार किया।
- पवन टैरिफ आदेशः जीईआरसी ने 8.8.2012 के आदेश संख्या 2 के माध्यम से स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए 11 अगस्त, 2012 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान आरंभ की जाने वाली पवन ऊर्जापरियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के लिए टैरिफ को अवधारित किया।

3.7. जम्मू और कश्मीर विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:–

- जेकेएसईआरसी (उपभोक्त शिकायत निवारक फोरम, ओमबडसमेन ओर उपभोकता एडवोकेसी) विनियमय
- जेकेएसईआरसी (बहुवर्ष वितरण टैरिफ) विनियमय
- जेकेएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के लिए निबंधन व शर्तें) विनियमय
- जेकेएसईआरसी वितरण कोडय
- जेकेएसईआरसी (अनुपालन ऑडिट) विनियमय
- वित्तीय वर्ष 2016–17 तक आरपीओ लक्ष्यों की अधिसूचना

निम्नलिखित ड्राफ्ट विनियम स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों/सुझावों के लिए जारी किया गया

- जेकेएसईआरसी (लाइसेंसिंग) विनियमय
- जेकेएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जासंसाधनों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियमय
- जेकेएसईआरसी (ईंधन कीमत समायोजन फार्मूला) विनियमय

आयोग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए राज्य विद्युत विकास विभाग (पारेषण एवं वितरण कंपनी) के लिए एआरआर एवं रिटेज टैरिफ पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (उत्पादन कंपनी) के लिए वार्षिक नियत प्रभार और उत्पादन टैरिफ पर आदेश

इसके अलावा, आयोग के निर्देशों पर जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विभाग ने देशी एवं गैरदेशी उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार प्रगटन योजना आरंभ की जिसने बड़ी संख्या में गैरकानूनी उपभोक्ताओं को नियमित करने में और उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे गैर पंजीकृत भार के पंजीकरण में मदद की।

3.8. झारखण्ड विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोग द्वारा जारी किए गए:

- टीएण्डडी हानि को कम करने, ऊर्जाऑडिटिंग, देयताओं की वसूली और अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न उत्पादन संयंत्रों की कार्यनिश्पादन से संबंधित गतिविधि की संवीक्षा के लिए

स्वप्रेरणा कार्रवाई पर आदेश–जेएसईबी

- वित्तीय वर्ष 2012.13 वित्तीय वर्ष 2015.16 की नियंत्रण अवधि के लिए जोजाबेरा यूनिट 2 और 3 के लिए एमवाईटी आदेश की समीक्षा के लिए याचिका पर आदेश
- केवीए पर दण्ड प्रभार द्वारा एचटीएस उपभोक्ता के संबंध में टैरिफ उपबंध के अनुसार कड़ाई से बिलों के लिए जीएसईवी पर निर्देश के लिए आवेदन पर आदेश जो दिसंबर, 2011 के माह के लिए बिल एवं कांट्रेक्ट मांग के 110: से आगे रिकॉर्ड किया गया जिसमें नवंबर 2011 माह के लिए बिल में दिया गया क्रेडिट मुख्य इंजीनियर (सीएण्डआर) जेएसईबी द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्यावर्तित किया गया।
- उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज
- वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए तीसरी तिमाही (अर्थात अक्टूबर 11 से दिसंबर 11 तक) के लिए ईंधन कीमत एवं विद्युत क्रय समायोजन याचिका
- टाटा स्टील लि0 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमशेदपुर के अनुज्ञप्त क्षेत्र के लिए ईंधन कीमत एवं विद्युत क्रय करार दाखिल करना।
- विद्युत आपूर्ति करार के अनुसार विद्युत वॉल्टेज सहित विद्युत की गैरबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चिम करने का आदेश।
- तोलाबिरसा नगर, गांव–अरसुण्डे के अभ्यर्थी/निवासी को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध न करवाना।

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए:

- जेएसईआरसी (नवीकरणीय क्रय बाध्यता और उसका अनुपालन–प्रथम संशोधन) विनियम, 2012

3.9. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं संघशासित प्रदेश)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना
- निर्बाध पहुंच का प्रचालनीकरण
- हानि में कमी कार्यक्रम
- उपभोक्ता मीटरिंग रीडिंग और बिलिंग श्रेणीवार स्थिति
- मासिक/तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत न करना – कार्यनिश्पादन के मानक
- विद्युत विभाग पांडिचेरी के लिए अप्रैल, 2010 से अक्टूबर, 2010 की अवधि के लिए वृद्धिशील ईंधन अधिभार

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए

- जेईआरसी (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए क्रियाविधि) विनियम, 2013
- जेईआरसी (टैरिफ के अवधारण की निबंधन व शर्तें) संशोधन विनियम 2009
- जेईआरसी (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के फोरम की स्थापना) संशोधन विनियम 2009

3.10. संयुक्त विद्यत विनियामक आयोग (मणिपुर एवं मिजोरम)

- विद्युत विभाग मणिपुर सरकार के लिए और विद्युत विभाग एवं उर्जा, मिजोरम सरकार के लिए टैरिफ आदेश।
- आयोग ने मिजोरम में विद्युत के अंतःराज्यिक व्यापार के लिए मैसर्स इटरनिटी पार्टनर को अंतःराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति जारी।
- राज्य सलाहकार समिति की बैठकें और समन्वय फोरम की बैठके स्टेकहोल्डरों के साथ की गई।
- विद्युत पर व्यापक कार्यशाला नामित संस्थाओं के माध्यम से मिजोरम एवं मणिपुर में आयोजित की गई।

3.11. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोग ने जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2011 के लिए केपीटीसीएल के एपीआर पर आदेश और एमवाईटी फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2013 के लिए संशोधित ईआरसी और पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।
- वित्तीय वर्ष 2013 के लिए संशोधित एआरआर और टैरिफ के सीईएससी के अनुमोदन का आदेश।
- संशोधित एआरआर तथा वित्तीय वर्ष 2013 के लिए टैरिफ के अनुमोदन (बेस्कॉम/मेस्कॉम/जेस्कॉम/हेस्कॉम) पर आदेश।
- वित्तीय वर्ष 2013 के लिए संशोधित एआरआर और टैरिफ के हुकेरी रेक्स अनुमोदन पर आदेश

3.12. केरल विद्युत विनियामक आयोग

राज्य आयोग ने विभिन्न याचिकाओं के निपटान के लिए 57 सार्वजनिक सुनवाईयां आयोजित की और राज्य के अन्य अनुज्ञप्तिध ाारियों के एसटीईबी को विद्युत आपूर्ति के लिए बल्क आपूर्ति टैरिफ, रिटेल टैरिफ एआरआर एवं ईआरसी, लेखों के ट्रूइंग अप, गैर अनुपालन, विवाद के अन्य विषयों पर वर्ष 2012–13 के दौरान 45 आदेश जारी किए। राज्य सलाहकार समिति की दो बैठके इस वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित की गई।

सभी अनुज्ञप्तिधारियों ने सीजीआरएफ को स्थापित किया और समुचित व प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। विद्युत ओमडसमैन प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है और उसने वर्ष के दौरान 87 याचिकाओं का निपटान किया है। अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिश्पादन के मानक की आयोग द्वारा मॉनिटरिंग किया जात है। राज्य ने वर्ष

के दौरान नवीकरणीय ऊर्जाक्रय बाध्यता के 3: की पूर्ति की है। आयोग ने इस वर्ष के दौरान तीन विनियमों को अधिसूचित किया है अर्थात्,

- केएसईआरसी (अनुपालन एवं ऑडिट) विनियम 2012
- केएसईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए क्रॉस सब्सिडी कमी के लिए रोडमैप के अवधारण के लिए सिद्धांत) विनियम 2012
- केएसईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नवीकरण स्रोतों से विद्युत प्राप्ति) विनियम, 2013

3.13. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग ने 15 टैरिफ आदेश जारी किए।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- एमईपीआरसी (ऊर्जाके नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सहउत्पादन और उत्पादन) विनियम 2010 का दूसरा संशोधन।
- एमईपीआरसी (बोर्ड के कार्मिक और उत्तराधिकारी कंपनियों के पेंशन एवं टर्मिनल लाभ देयताओं की अनुमति के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012
- एमपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (पुनरीक्षण–प्) विनियम, 2009 में तीसरा संशोधन।
- एमपीईआरसी (श्रेणी प् और श्रेणी प्प सेवा भर्ती और सेवा शर्तें) विनियम, 2012
- एमपीईआरसी (श्रेणी प्प्प और श्रेणी प्ट सेवा भर्ती और सेवा शर्तें) विनियम, 2012
- एमपीईआरसी (वितरण कार्यनिष्पादन मानक) (पुनरीक्षणदृप्प) विनियम 2012
- एमपीईआरसी (विद्युत की आपूर्ति और व्हीलींग के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें और प्रभारों के निर्धारण के लिए पद्धतियां एवं सिद्धांत) विनियम, 2012
- एमपीईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (पुनरीक्षण–प्प) विनियम 2012
- एमपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (पुनरीक्षण–प्प) विनियम 2012
- एमपीईआरसी (आपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विद्युत लाइन या संयंत्र या संयंत्र प्रदान करने के लिए व्यय एवं अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्) विनियम 2009 में चौथा संशोधन।
- एमपीईआरसी (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–I) विनियम 2009 में तीसरा संशोधन।

3.14. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वितीय वर्ष 2012–13 में आयोग ने 08 जून, 2012 को एमईआरसी (प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि) विनियम 2012 अधिसूचित किया।

आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 में 170 आदेश जारी किए। आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशों की सूची नीचे दी गई है:

- आयोग ने एमएसईडीसीएल के परिपत्र संख्या 43 और 44 के संबंध में भार शेडिंग के प्रोटोकॉल और सिद्धांतों के उल्लंघन एवं पुनरीक्षण के मामले में स्वप्रेरणा सुनवाई में 26 नवंबर, 2012 के आदेश के माध्यम से प्रभागीय स्तर के स्थान पर फीडर स्तर पर लोड शेडिंग के कार्यान्वयन के लिए एमएसईडीसीएल के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- आयोग ने 22 मार्च, 2013 के आदेश के माध्यम से नियंत्रण अवधि (अर्थात् वितीय वर्ष 2013–14) के चौथे वर्ष के लिए नवीकरणीय ऊर्जापरियोजनाओं के जैनरिक टैरिफ को अवधारित किया।
- आयोग ने टैरिफ के अवधारण और एआरआर पर विभिन्न आदेशों को जारी किया

3.15. नागालैण्ड विद्युत विनियामक आयोग

- आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ आदेश जारी किया

वितीय वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित किया:

- एनईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस व प्रभारों का उदग्रहण और वसूली) विनियम 2012
- एनईआरसी (अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम सूचना) विनियम, 2012
- एनईआरसी राज्य ग्रिड कोड विनियम 2012
- एनईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012
- एनईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओमडसमेन) विनियम 2012
- एनईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010
- एनईआरसी (अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण और वितरण में कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम 2012

3.16. पंजाब विद्युत विनियामक आयोग

आयोग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन की गई हैं:

1. टैरिफ आदेश जारी करना : वितीय वर्ष 2012–13 के लिए पीएसटीसीएल और पीएसपीसीएल के टैरिफ आदेश 16 जुलाई, 2012 को जारी किए गए।
2. नवीकरणीय ऊर्जासे उत्पादन का उन्नयन : विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 86(1)(ई) में दिए अनुसर ऊर्जाके नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन और सहउत्पादन के विकास के उद्देश्य से आयोग ने याचिका संख्या 2012 का 35 (स्वप्रेरणा) में 19.7.2012 के आदेश में आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 में आरंभ की गई नवीकरणीय ऊर्जाविद्युत परियोजनाओं (आरई परियोजना) के लिए जैनरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ को अवधारित किया। आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादकों द्वारा दाखिल याचिकाओं के माध्यम से उत्पादन टैरिफ भी अवधारित किया।
3. उपभोक्ता क्षमता निर्माण पहल : त्रि–टायर उपभोक्ता निवारक तंत्र विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए अस्तित्व में है। उपभोक्ताओं शिकायत के निवारण के लिए विवाद व्यवस्थापन समितियां आंचलिक, मण्डल और प्रभागीय स्तर पर 2006 से कार्य कर रही हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारक फोरम पटियाला में मुख्यालय में 2006 से कार्य कर रहा है। ओमडसमेन विद्युत, पंजाब, मोहाली वर्ष 2006 से अस्तित्व में है। आयोग इन निवारक कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा है।
4. आयोग को याचिकाएंरू विद्युत के उत्पादन पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर याचिकाएं विद्युत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग के समक्ष दाखिल की जाती हैं। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान आयोग ने 90 याचिकाओं पर निर्णय लिया जो टैरिफ के अवधारण, ईंधन अधिभार के उदग्रहण, निर्बाध पहुंच की अनुमति, विद्युत क्रय करार का अनुमोदन, पारेाण/व्हीलींग प्रभार इत्यादि का निर्धारण जैसे विषयों पर इसके समक्ष आए।
5. वितीय वर्ष 2013–14 में विनियमों की अधिसूचनाः आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 में 15 विनियम अधिसूचित किए।

3.17. सिक्किम विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किएः

- वितीय वर्ष 2012–13 क लिए टैरिफ आदेश 30.03.12 को जारी किए गए।

आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किएः

- एसएसईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंध व शर्तें) विनियम 2012
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम 2012
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण और विद्युत ओमडसमेन एवं फोरम की स्थापना) विनियम 2012
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2012
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जास्रोतों से उत्पादन के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2012
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2013

3.18. तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किएः

- पवन ऊर्जापर संपूर्ण टैरिफ आदेश
- बगासे आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों के लिए संपूर्ण टैरिफ आदेश
- बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए संपूर्ण टैरिफ आदेश

आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए हैं:

- एसएसी विनियमों में संशोधन
- तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2013। ऊर्जाविनियमों के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत प्राप्ति के विनियम 3, 6, 7 ओर 8 में संशोधन

3.19. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किएः

- वितीय वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और ट्रूइंग अन्तरराज्यिक पारेषण याचिका का अवधारण, वितीय वर्ष 2012–13 के लिए पुनरीक्षण याचिका और वितीय वर्ष 2013–14 के लिए टैरिफ अवधारण
- त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग के विनियम (नवीकरणीय क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) 2009 के खंड 3(पअ) के अधीन प्रतिदेय त्रिपुरा में नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादन के प्रत्यायन के लिए फीस व प्रभार का अवधारण

आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किएः

- राज्य सलाहकार समिति, 2012
- नवीकरणीय क्रय बाध्यता और उसका अनुपालन 2012 (प्रथम संशोधन) 21 अगस्त 2012 को प्रकाशित ड्राफ्ट
- 21 अगस्त 2012 को प्रकशित ड्राफ्ट नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जाकी प्राप्ति 2012 (प्रथम संशोधन) की प्राप्ति

3.20. उत्तरप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

- ''न्याय उपभोक्ता के द्वार'' कार्यक्रम उपभोक्ता शिकायतों के लिए आरंभ किया गया।

3.21. उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2012–13 के दौरान इस आयोग की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- वितीय वर्ष 2012–13 के लि राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी यूपीसीएल के लिए आयोग ने टैरिफ आदेश जारी किया जिसमें रिटेल टैरिफ में 6.9 की वृद्धि हुई। आयोग ने 30 किलोवाट तक एलटी उपभोक्ताओं के लिए पूर्व प्रदत्त मीटरिंग की योजना तैयार की।

- आयोग ने वितीय वर्ष 2012–13 के लिए उत्तराखण्ड राजय में उत्पादन कंपनी यूजेवीएन लि. के लिए आयोग ने टैरिफ आदेश जारी किए जिसमें आयोग ने वितीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुमोदित रु.489.81 करोड़ रुपये के स्थान रु. 485.46 रुपये के रूप में उत्पादन केन्द्रों के एएफसी को अनुमोदित किया।

- आयोग ने वितीय वर्ष 2011–12 के लिए उत्तराखण्ड राजय में उत्पादन कंपनी पीटीसीयूएल के लिए आयोग ने टैरिफ आदेश जारी किए जिसमें आयोग ने वितीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुमोदित रु.131.82 करोड़ रुपये के स्थान रु.159.54 रुपये के रूप में उत्पादन केन्द्रों के एटीसी को अनुमोदित किया।

3.22. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल एपीआर पर आदेश
- वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के टैरिफ आवेदन के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी का आदेश
- वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के लिए डब्ल्यूबीएसईटीसीएल के टैरिफ आवेदन के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी का आदेश
- वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के लिए सीईएससी के टैरिफ आवेदन के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी का आदेश 2014.2015, 2015.2016 और 2016.2017 के लिए सीईएससी के लिए 4.3.2015 का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. के टैरिफ आवेदन के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी का आदेश 2011.2012, 2012.2013 और 2013.2014

वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए
विनियामक फोरम की वार्षिक लेखा विवरणी

विनियामक फोरम की वार्षिक लेखा विवरणी 2012—13

सेवा में,
सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालय मार्फत केविविआ
तीसरी व चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली—110001

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की सलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वितीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना हैं

हमनें भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते है और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच की जाती है जिसे वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रगटन ने सहायता ली जाती है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अलावा क्षमता निर्माण एवं प्राप्त परामर्श सेवाओं के लिए विद्युत मंत्रालय से विनियामक फोरम द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता प्रयोजन/उद्देश्य के लिए केवल वर्ष 2012—13 के दौरान खर्च कर दी गई है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धान्तों के अनुसार इसे उचित एवं सही रूप में दिया गया है।

क) 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

—हस्ता./—
(ए.के. अवस्थी)
साझेदार
सदस्यता सं. 072519

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19/06/2013

31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि (₹ में)

विवरण	अनुसूची	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार
निधि का स्रोत			
–			
कोरपस निधि		**37,010,643**	37,010,643
योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श)	1	**14,349,870**	-
एमएनआरई निधि (आरईसी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)	2	**9,672,934**	9,639,056
अधिशेष निधि (आय एवं व्यय खाते से अंतरित)	3	**23,054,682**	23,542,323
चालू देयताएं			
प्रतिदेय व्यय	4	**754,750**	37,112
प्रतिदेय व्यय (योजना निधि)		**233,750**	-
अग्रिम में प्राप्त सदस्यता शुल्क		**300,000**	-
नकदी खाता (ओवरड्राफट)		**396,068**	-
कुल		**85,772,697**	**70,229,134**
निधि का प्रयोग			
अचल आस्तियाँ	5		
सकल अचल आस्तियाँ		**140,727**	282,115
घटा : मूल्यह्रास		**60,738**	141,388
निवल अचल आस्तियां		**79,989**	140,727
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
ऋण एवं अग्रिम	6	**4,194,435**	3,498,598
जमा प्रतिभूति (एमटीएनएल)		**3,000**	3,000
नकद एवं बैंक शेष	7	**81,495,273**	66,586,809
कुल		**85,772,697**	**70,229,134**
लेखा नीतियां और लेखा पर नोट	8		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

राशि (₹ में)

विवरण	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार	
आय				
सदस्यता अंशदान		**9,300,000**		8,100,000
बचत खाते पर ब्याज		**1,449**		2,286
कोरपस निधि एफडीआरआर पर ब्याज **(टीडीएस =₹3,69,248/–)**		**3,692,445**		3,496,610
आटो स्वीप एफडीआर पर ब्याज **(टीडीएस = 1,67,971/–)**		**814,437**		186,502
एफडीआर ब्याज **(टीडीएस = 1,32,844/–)**		**1,328,482**		1,146,971
कुल–क		**15,136,813**		**12,932,369**
व्यय				
बैठक एवं सेमिनार व्यय		**2,427,433**		2,428,901
वेतन व्यय		**2,178,988**		2,658,768
क्षमता निर्माण व परामर्श		**7,688,071**		12,410
ऑटो स्वीप और बट्टे खाते डाला गया उपार्जित		**-**		6,533
सचिवालय व्यय				
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**305,639**		276,355	
ऑडिट फीस	**19,800**		19,800	
बैंक प्रभार	**1,743**		1,663	
कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय	**64,969**		71,916	
मूल्यह्रास	**60,738**		141,388	
विधिक एवं व्यवसायिक प्रभार	**1,416,030**		495,000	
अन्य व्यय	**538,849**		636,275	
टेलीफोन व्यय	**54,714**		53,028	
मुद्रण एवं लेखन साम्रगी व्यय	**14,654**		6,063	
यात्रा व्यय	**312,825**		174,665	
प्रशासनिक व्यय	**540,000**	**3,329,961**	490,000	2,366,153
कुल–ख		**15,624,453**		**7,472,765**
वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष (घाटा) (क–ख)		**(487,641)**		**5,459,604**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

अनुसूची–1

योजना निधि (परामर्श एवं क्षमता निर्माण)

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–2013	वित्तीय वर्ष 2011–2012
आरंभिक शेष	-	-
जोड़े:		
प्राप्त ब्याज	**225,045**	65,877
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	**15,000,000**	16,000,000
कुल	**15,225,045**	**16,065,877**
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	**407,675**	5,323,179
क्षमता निर्माण	**467,500**	9,697,725
बैंक प्रभार	-	255
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	-	65,877
बचत धन खर्च की गई राशि के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	-	978,841
कुल	**875,175**	**16,065,877**
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**14,349,870**	-

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

एमएनआरई निधि

(नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–2013	वित्तीय वर्ष 2011–2012
आरंभिक शेष	9,639,056	16,045,051
जोड़े:		
प्राप्त ब्याज	688,499	580,280
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	-	-
कुल	**10,327,555**	**16,625,331**
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	-	709,757
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क	654,551	6,274,690
बैंक प्रभार	70	1,828
कुल	**654,621**	**6,986,275**
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	9,672,934	9,639,056

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

अनुसूची–3

अधिशेष निधि

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–2013	वित्तीय वर्ष 2011–2012
आरंभिक शेष	**23,542,323**	18,082,719
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष/(घाटा)(आय एवं व्यय लेखा के अनुसार)	**(487,641)**	5,459,604
कुल	**23,054,682**	**23,542,323**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

अनुसूची–4

प्रतिदेय निधि

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	37,112	469,597
जोड़े : प्रतिदेय लेखापरीक्षा की फीस	19,800	19,800
जोड़े : विज्ञापन एव प्रचार व्यय	185,694	2,369
जोड़े : प्रतिदेय कैंटिन व्यय	2,439	3,678
जोड़े : प्रतिदेय कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	33,872	4,297
जोड़े : प्रतिदेय मीटिंग व्यय	1,697	-
जोड़े : प्रतिदेय टेलीफोन व्यय	6,096	6,968
जोड़े : प्रतिदेय यात्रा व्यय	116,788	-
जोड़े : प्रशासनिक लागत (केविविआ का गेस्ट हाउस)	388,364	-
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रदत्त	37,112	469,597
कुल	**754,750**	**37,112**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

अनुसूची–5

31 मार्च, 2013 को आय कर के अनुसार अचल आस्ति अनुसूची

राशि (₹ में)

विवरण	डब्लूडीवी 01.04.2012 को	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां (<180 दिन)	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां (>180 दिन)	बिक्रिया/अंतरण	कुल	वर्ष के दौरान मूल्यहास	डब्लूडीवी 31.03.2013 को
प्रिंटर	**20,545**	-	-	-	20,545	**3,082**	**17,463**
कंप्यूटर	**76,933**	-	-	-	76,933	**46,160**	**30,773**
लैपटॉप	**11,130**	-	-	-	11,130	**6,678**	**4,452**
हीट ब्लोवर	**12,737**	-	-	-	12,737	**1,911**	**10,826**
माईक्रोवेव	**5,661**	-	-	-	5,661	**849**	**4,812**
यूपीएस	**13,721**	-	-	-	13,721	**2,058**	**11,663**
कुल	**140,727**	**-**	**-**	**-**	**140,727**	**60,738**	**79,989**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	254,290	27,825	-	-	282,115	141,388	140,727

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

ऋण एवं अग्रिम भुगतान

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
स्रोत पर काटा गया कर		
वित्तीय वर्ष 2005–06 के स्रोत पर काटा गया कर	**22,073**	22,073
वित्तीय वर्ष 2006–07 के स्रोत पर काटा गया कर	**261,060**	261,060
वित्तीय वर्ष 2007–08 के स्रोत पर काटा गया कर	**453,260**	453,260
वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्रोत पर काटा गया कर–बैंक ऑफ इंडिया	**98,840**	98,840
वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्रोत पर काटा गया कर–सीबी	**402,430**	402,430
वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्रोत पर काटा गया कर–बैंक ऑफ इंडिया	**315,090**	315,090
वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्रोत पर काटा गया कर–सीबी	**17,509**	17,509
वित्तीय वर्ष 2010–11 के स्रोत पर काटा गया कर	**313,954**	313,954
वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्रोत पर काटा गया कर	**483,006**	483,006
वित्तीय वर्ष 2012–13 के स्रोत पर काटा गया कर	**670,063**	-
टेलीफोन अग्रिम	**-**	-
कुल (क)	**3,037,285**	**2,367,222**
पूर्वप्रदत्त व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव)		
वित्त वर्ष 2012–13 के लिए	**-**	441
वित्त वर्ष 2013–14 के लिए	**441**	441
वित्त वर्ष 2014–15 के लिए	**368**	368
कुल (ख)	**809**	**1,250**
बकाया अंशदान		
आरंभिक शेष	**300,000**	500,000
जोड़े : वर्ष के लिए प्राप्य	**125,000**	-
घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त	**300,000**	200,000
कुल (ग)	**125,000**	300,000
उपचित ब्याज		
कॉर्पोरेशन बैंक के पास एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**254,180**	13,211
बैंक ऑफ इंडिया के पास एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**-**	661,774
कॉर्पोरेशन बैंक के पास कॉरपस निधि एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**147,385**	155,140
कॉर्पोरेशन बैंक के पास ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**384,832**	-
बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**238,144**	-
कुल (घ)	**1,024,541**	**830,126**
अन्य		
सहायक संपदा निदेशक (नकद), विज्ञान भवन, नई दिल्ली	**6,800**	-
कुल (ई)	**6,800**	**-**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ई)	**4,194,435**	**3,498,598**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

अनुसूची–7

31.03.2013 को बैंक शेष

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
नकद खाता – अग्रदाय	2,500	2,500
बैंक ऑफ इंडिया – 121	-	(471,444)
बैंक ऑफ इंडिया – 2806	26,458	9,639,056
आटो स्वीपध्फलेक्सी/जमा एफडीआर में निवेश	81,466,315	57,416,697
कुल	81,495,273	66,586,809

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003405सी

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

वर्ष 2012–13 के लिए सरकार की वित्तीय सहायता की लेखा विवरणी

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–2013	वित्तीय वर्ष 2011–2012
आरंभिक शेष	**-**	-
जोड़ेः		
प्राप्त ब्याज	**225,045**	65,877
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	**15,000,000**	16,000,000
कुल	**15,225,045**	16,065,877
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	**407,675**	5,323,179
क्षमता निर्माण	**467,500**	9,697,725
बैंक प्रभार	**-**	255
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	**-**	65,877
बचतन खर्च की गई राशि के / कारण विद्युत मंत्रालय से वापसी	**-**	978,841
कुल	**875,175**	16,065,877
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**14,349,870**	-

क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय से एफओआर द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता केवल वर्ष 2012–13 के दौरान उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 00340519

हस्ता/–
ए.के. अवस्थी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2013

विनियामक फोरम
(31 मार्च 2013 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल है। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उदभूत आंकड़ों का संकलनय
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करनाय
- अधिनियम के अधीन यथाअपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. **लेखांकन की पद्धति**

   लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम 56 की धारा 211(3)(घ) के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. **आय की मान्यता**

   प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. **नियत आस्तियां और मूल्यह्रास**

   नियत आस्तियों और मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 56 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों के अनुसार बटटे खाते डाली गई मूल्यपद्धति पर की गई है।

4. **कराधान**

   विनियामक फोरम ने 13.12.2011 को आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में विनियामक फोरम में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 6.9.2012 और 19.2.2013 को अवर सचिव (आईटीए–1) सीबीडीआई नई दिल्ली और एडीआईटी (ई) नई दिल्ली द्वारा मंगवाए गए सूचना/दस्तावेज क्रमशः 5.10.2012 और 15.3.2013 को प्रस्तुत किए गए।

5. **तुलन पत्र तारीख के बाद हुए कार्य**

   कोई महत्वपूर्ण कार्य जो 31.3.2013 को उस सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके लेखों के अनुमोदन तक तुलन पत्र तारीख के बाद फोरम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया।

6. **निवेश**

   आटो स्वीप/फ्लेक्सी जमा में निवेश लागत में वर्णित किया गया और नकदी एवं बैंक बकाया में प्रदर्शित किया गया।

7. **सेवानिवृत्ति लाभ**

   सभी कर्मचारी कांट्रेक्ट आधार पर हैं। उनके कांट्रेक्ट की शर्तों के आधार पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्रतिदेय नहीं है और इस प्रकार नहीं दिया गया।

8. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनःव्यवस्था की गई।

–हस्ता/–

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिव

अनुबंध ।: 31.03.2013 को एफओआरआर के सदस्य

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
1	डा. प्रमोद देव	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक फोरम के सदस्य		
2	श्री ए. रघोथमराव	अध्यक्ष आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
3		अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग
4	श्री जयन्ताबरकाकटी	अध्यक्ष असम विद्युत नियामक आयोग
5	श्री उमेश नारायण पंजीयर	अध्यक्ष बिहार विद्युत नियामक आयोग
6	श्री मनोज डे	अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
7	श्री पी.डी. सुधाकर	अध्यक्ष दिल्ली विद्युत नियामक आयोग
8	डा. पी.के. मिश्रा	अध्यक्ष गुजरात विद्युत नियामक आयोग
9		अध्यक्ष हरियाणा बिजली नियामक आयोग
10	श्री सुभाष चन्द्र नेगी	अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
11	श्री एस मारिया देससाल्फ़िन	अध्यक्ष जम्मू और कश्मीर विद्युत नियामक आयोग
12		अध्यक्ष झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
13	डॉ वी.के. गर्ग	गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अध्यक्ष
14	श्री ए. चावनमाविया – मिजोरम	अध्यक्ष मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग
15	श्री एम.आर. श्रीनिवासस मूर्ति	अध्यक्ष कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग
16	श्री टी.एम. मनोहरन	अध्यक्ष केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग
17		अध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
18	श्री वी.पी. राजा	अध्यक्ष महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग
19	श्री आनंद कुमार	अध्यक्ष मेघालय राज्य विद्युत आयोग
20		अध्यक्ष नागालैंड विद्युत नियामक आयोग
21	श्री सत्यप्रकाश नंदा	अध्यक्ष ओडिशा विद्युत नियामक आयोग
22	सुश्री रोमिला दूबे	अध्यक्ष पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग
23		अध्यक्ष राजस्थान विद्युत नियामक आयोग
24	श्री टी टी दोर्जी	अध्यक्ष सिक्किम राज्य बिजली नियामक आयोग
25		अध्यक्ष तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग
26	श्री मनोरंजन कर्मारकर	अध्यक्ष त्रिपुरा विद्युत नियामक आयोग
27	श्री श्री राम	अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
28	श्री जगमोहन लाल	अध्यक्ष उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग
29		अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग

अनुबंध–II

राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति रिपोर्ट

विषयसूची

1.	ग्रिड कोड	39
2.	तकनीकी उन्नयन	41
3.	निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभार	45
4.	पारेषण प्रभार	49
5.	कुल तकनीक पर समयबद्ध कार्यक्रम एवं वाणिज्यिक हानियां	51
6.	मीटरिंग प्लान	55
7.	HVDS, SCADA और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन	59
8.	कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदण्ड	63
9.	सीजीआर फोरम की स्थापना और ओमबडसमैन	66
10.	उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता निर्माण	70

ग्रिड कोड

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध

राज्य विनियामक आयोग जिन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है उन्हें सितंबर 2005 तक अधिसूचित करनी चाहिए।

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	अधिसूचना की तारीख	स्थिति
1	आंध्रप्रदेश		27.08.2010 को ड्राफ्ट ग्रिड कोड जारी किया गया और अंतिम ग्रिड कोड अभी अधिसूचित किया जाना है।
2	बिहार	20.07.2010	बीईआरसी ने 20.07.2010 को बिहार विद्युत ग्रिड कोड को अधिसूचित किया।
3	छत्तीसगढ़	पहली बार ग्रिड कोड 30.12.2006 को अधिसूचित किया गया था और इसे 31/12/2011 को अधिसूचित नए ग्रिड कोड रद्द कर दिया है।	अधिसूचित
4	दिल्ली	31.03.2008	डीईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम **2008 31.03.2008** F-17 (14) Engg/DERC/2003-04/151 के माध्यम से अधिसूचित किया गया। एसएलडीसी में आईईजीसी ग्रिड कोड 2010 के संबंध में मौजूदा उपबंधों की समीक्षा के लिए ग्रिड समन्वय समिति गठित की और डीजीसी 2008 में संशोधनों की सिफारिश की। आयोग के अनुमोदन के बाद प्रस्तावित संशोधन एनसीडी के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
5	गोवा एवं संघशासित प्रदेश	04.08.2010 को ग्रिड कोड अधिसूचित किया	पहले से अधिसूचित
6	गुजरात	जीईआरसी ने अधिनियम की धारा 79 की उपधारा 1 के खंड एच के अधीन केविविआ द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप 25.08.2004 की अधिसूचना संख्या 5/2014 के माध्यम से ग्रिड कोड अधिसूचित किया। केविविआ ने 28.4.2010 को आईईजीसी अधिसूचित किया। केविविआ के दिनांक 28.04.2010 के अधिसूचना संख्या आईईजीसी एल–1 18/10 के अनुरूप गुजरात राज्य ग्रिड कोड के लिए आयोग ने मौजूदा ग्रिड कोड में आवश्यक संशोधन किया और ड्राफ्ट तैयार किया तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों से आपत्तियों/सुझावों की मांग के लिए आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त 14 आपत्तियां/सुझाव हैं। आयोग इनहें विश्लेषित कर रहा है और शीघ्र गुजरात विद्युत ग्रिड कोड 13 अधिसूचित होगा।	
7	जम्मू और कश्मीर	20 नवंबर, 2007	जेएण्डके राज्य विद्युत ग्रिड कोड अधिनियम अधिसूचना संख्याः 8/JKSERC/2007 के माध्यम से अधिसूचित मौजूद है।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अधिसूचना की तारीख	स्थिति
8	झारखण्ड	04 / 02 / 2009	जेएसईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2008 अधिसूचित
9	कर्नाटक	2006 में अधिसूचित कर्नाटक विद्युत ग्रिड एवं वितरण कोड	आईईजीसी 2010 के अनुपालन के लिए संशोधित ग्रिड कोड एवं वितरण कोड अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
10	केरल	20.1.2006 की अधिसूचना	1.4.2006 से 20.1.2006 को अधिसूचित ग्रिड कोड 2005
11	महाराष्ट्र	15.02.2006	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2006 01 अप्रैल 2006 से लागू हुआ है।
12	मध्य प्रदेश		एम.पी. विद्युत ग्रिड कोड 6.8.2004 को अधिसूचित हुआ और 24.10.2005 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित हुआ। एनपीईआरसी ने 24.10.2005 को एनपी विद्युत ग्रिड कोड के प्रथम पुनरीक्षण को अधिसूचित किया।
13	मणिपुर और मिज़ोरम	02.07.2010	प्रथम संशोधन 7.7.2014 को अधिसूचित किया।
14	नागालैण्ड	09 मई, 2012	एनईआरसी ने विनियमों को अधिसूचित व अंतिम रूप दिया लेकिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।
15	उड़ीसा	14 जून, 2006	उड़ीसा ग्रिड कोड विनियम पहले से लागू है।
16	पंजाब	पीएसईआरसी (पंजाब राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2013 अधिसूचना संख्या पीएसईआरसी / सचिव / विनियम 80 दिनांक 14.2.2013 के माध्यम से अधिसूचित किए गए।	
17	सिक्किम	27 जून, 2013	सिक्किम एसईआरसी यद्यपि 2003 में गठित हुआ लेकिन आयोग प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अप्रैल 2011 से प्रचालनगत हुआ। इस प्रकार सिक्किम एसईआरसी ने इस विनियम की अधिसूचना के लिए समय लिया।
18	तमिलनाडु	19 अक्टूबर, 2005	तमिलन्याडु विद्युत ग्रिड कोड को दिनांक 19.10.2005 की अधिसूचना No.TNERC/GC/13/1 के माध्यम से आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया। दिनांक 12.9.2013 को संशोधन जारी किया गया जिससे सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रेषण व अनुसूचीकरण संभव हुआ।
19	त्रिपुरा	15 जुलाई, 2011	राजपत्र अधिसूचना के बाद यह त्रिपुरा में अब तक लागू है।
20	उत्तराखण्ड	09 अप्रैल, 2007	अधिसूचित
21	उत्तर प्रदेश	18 अप्रैल, 2007	लागू
22	पश्चिम बंगाल	12.01.2006 .... 22.05.2009	प्रथम अधिसूचना सं. 26/WBERC को अधिसूचित किया गया। इसके बाद 22.5.2009 के संशोधन सहित 4.4.2007 की अधिसूचना सं. 34/WBERC के माध्यम से नए विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

तकनीकी उन्नयन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध :

विनियामक आयोगों को गैर भेदभावपूर्ण पहुंच के लिए सुगम फ्रेमवक्र उपलबध करवाने की आवश्यकता है। इसमें संप्रेषण तथा वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता सहित भार प्रेषण सुविधाएं अपेक्षित हैं। यद्यपि यह प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों में मौजूदा मामला है तथापि उपयुक्त राज्य आयोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी उन्नयन सहित सुविधाएं राज्य स्तर पर उपलब्ध करवाई गई हैं जहां आवश्यक हैं जो जून 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
1	आंध्रप्रदेश	आंध्रप्रदेश राज्य ने 'एपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस व प्रभारों की वसूली व उगाही) विनियम 2006* के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–7 से वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता और प्रेषण सहित भार प्रेषण सुविधाएं हैं और यह 27.6.2007 को अधिसूचित किया गया। एसएलडीसी गतिविधि में निवेश वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता एवं प्रेषण प्राप्ति के लिए एसएलडीसी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमति दी जा रही है और यह दूसरी नियंत्रण अवधि 2009–10 से 2013–14 के स्थान पर हैं।
2	बिहार	गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए सुगम फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए डीईआरसी ने 20.5.2006 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) बनाया।
3	छत्तीसगढ़	स्काडा प्रणाली परिचालन में है और आरअीयू को वास्तविक समय डाटा की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एसएलडीसी में स्थापित किया गया।
4	दिल्ली	1. सभी तीन डिस्कॉम द्वारा बिलिंग पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। 2. इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूअर लगभग 95% मामलों में स्थापित है। 3. एचवीडीएस / एलटी (एबी) कंडक्टर स्थापन्न एटीएण्डसी हानि कमी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है। 4. गैस स्विचगियर की स्थापना दिल्ली ट्रांसको लि. और डिस्कॉक द्वारा की जा रही है ताकि 200 केवी ग्रिड उपकेन्द्र में जीआईएस दबाव को कम किया जाए। रिज वैली, डायम, एम्स (ट्रॉमा सेंटर) और इलेक्ट्रिक लेन उपकेन्द्र को आरंभ किया गया है। 5. हाई उच्च उपभोक्ताओं के लिए आटोमेटिक मीटर रीडिंग। टीपीपीडीएल ने वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 11 किलोवाट और अधिक के कनेक्शन को कवर किया है और एएमआर के अधीन औद्योगिक कनेक्शन के अलावा घरेलू कनेक्शन के लिए 16 किलोवाट और अधिक को कवर किया है। 6. डिस्कॉम वितरण नेटवर्क की रोजमर्रा की मॉनिटरिंग में उपभोक्ताओं की इंडेक्सिंग और मैपिंग भौगोलिक सूचना प्रणाली की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। 7. डीटी मीटरिंग पूरी हो गई है। 8. स्काडा प्रणाली स्थापना पूरी हो गई है। एसएसडीसी पूर्णतः कार्यातमक है और आरएलडीसी से समुचित रूप से इन्टरफेस हैं और डिस्कॉम नियंत्रण प्रणाली केन्द्रों से संबंद्ध हैं। एसएलडीसी अन्तःराज्यिक एबीटी की शुरूआत के लिए पहला राज्य होने के नाते फिर अंतःराज्यिक एबीटी सफलतापूर्वक करते हुए 'प्रणाली प्रचालन' का प्रचालन कर रहे हैं। एसएलडीसी ने मैरिट प्रेषण सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम वार अनुसूचीकरण को सरल बनाया।
5	गोवा एवं संघ शासित प्रदेश	गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए सरल फ्रेमवर्क 11.2.2010 के विनियम के माध्यम से पहले से लागू है। भार प्रेषण सुविधाओं के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से पहले से प्रगति पर है और प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किय जा रहा है।
6	गुजरात	पूर्णतः राज्य भार प्रेषण केन्द्र और तीन उप एसएलडीसी उचित संचार और डाटा अधिग्रहरण प्रणाली सहित राज्य में प्रचालन में है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
7	जम्मू और कश्मीर	जेएण्डके राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण और वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2006 को 6/J&KSERC/2006 के माध्यम से अधिसूचित है और इसे 1 मेगावाट और अधिक के लिए उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच की अनुमति है। एसएलडीसी श्रीनगर में उपभार प्रेषण केन्द्र सहित जम्मू में पहले से स्थापित है। दोनों को वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता और प्रेषण से संबद्ध किया गया है। मॉडल एफओआर विनियमों पर आधारित जेकेएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2015 को 10.7.2015 को अधिसूचित किया गया जिससे पूर्ववर्ती विनियमों को निरस्त किया गया।
8	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।
9	कर्नाटक	राज्य पारेषण कंपनी ने समन्वित स्काडा योजना के अधीन स्काडा के उन्नयन का कार्य किया है और तकनीकी उन्नयन के भाग के रूप में 33 केवी उपकेन्द्र स्तर के लिए स्काडा के कार्यान्वयन को पूरा किया है। निर्बाध पहुंच के लिए विनियामक फ्रेमवर्क 1 मेगावाट और अधिक की कॉन्ट्रेक्ट मांग सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए 2006 में आरंभ किया गया।
10	केरल	आरएलडीसी के साथ सुविधाओं की तुलना एसएलडीसी में उपलब्ध हैं। 2013–14 के लिए तकनीकी उन्नयन एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किया गया।
11	महाराष्ट्र	1. 10 जून, 2004, को आयोग ने राज्य में वितरण प्रणाली में निर्बाध पहुंच की शुरूआत में एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 अधिसूचित किया। 21 जून, 2005 को उक्त विनियम को एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2005 से अधिक्रमित किया गया। 2. आयोग ने पूर्ववर्ती विनियमों का अधिक्रमण करते हुए 25 जून, 2014 को एमईआरसी (पारेषण निर्बाध पहंच) विनियम, 2014 तथा एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 को अधिसूचित किया। 3. एमएसएलडीसी द्वारा योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। • अंतःराज्यिक एबीटी तंत्र के लिए बीएसएम सॉफ्टवेयर (रु. 250.62 लाख) • वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण की वृद्धि (रु. 350 लाख)
12	मध्य प्रदेश	राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्काडा ने संचार प्रणाली को बढ़ाया। इसकी केपेक्टस अपेक्षा एबीटी एवं ईए प्रणाली आदि की उन्नयन के लिए वित्तीय 2015–16 तक की गई और आरएलडीसी सुविधाओं से मिलान करते हुए एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई। आयोग ने 18 जून, 2014 को वित्तिय 2015–15 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस व प्रभारों के लिए उदग्रहण व वसूली के लिए तथा 31.03.2015 को वित्तिय वर्ष 2016–16 को आदेश जारी किया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस व प्रभारों का उदग्रहण और वसूली के संबंध में याचिका हाल ही में दाखिल की गई और वह प्रक्रिया के अधीन है।
13	मणिपुर और मिज़ोरम	स्काडा के साथ एसएलडीसी को अद्यतन करना जारी है।
14	नागालैण्ड	सुविधाजनक की गई
15	उड़ीसा	ओईआरसी (निर्बाध पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 और ओईआरसी (निर्बाध पहुंच प्रभारों का अवधारण) विनियम, 2006 क्रमशः 21.6.2005 और 18.07.2006 को पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं। उत्पादक से 1 मेगावाट से अधिक की विद्युत की निर्बाध पहुंच की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को 01 जनवरी, 2009 से अनुमति दी गई है जबकि किसी अनुज्ञप्तिधारी से 1 मेगावाट की 01 अप्रैल 2008 से अनुमति दी गई है। आयोग ने एसटीयू से एसएलडीसी की प्रथक्करण के लिए कदम उठाए हैं। एसएलडीसी निर्बाध पहुंच लागू करने की प्रक्रिया के लिए पूर्णतः संगठित है। एसएलडीसी में वित्तीय 2009–10 से आरंभ आयोग के साथ टैरिफ आवेदन और एआर दाखिल करना आरंभ कर दिया है। ओईआरसी में ओईआरसी (एसएलडीसी के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2010 उड़ीसा में एसएलडीसी कार्य के लिए वार्षिक फीस व प्रभार के उदग्रहण के कार्यान्वयन के लिए तैयार किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि एसएलडीसी के ऊर्जा लेखांकन एवं व्यवस्थापन्न प्रणाली तंत्र को 1.4.2011 से कार्य करना चाहिए और सभी स्टेकहोल्डरों को मासिक ऊर्जा लेखांकन, साप्ताहिक रिएक्टिव ऊर्जा लेखा तैयार करना और जारी करना चाहिए। तदनुसार एसएलडीसी मासिक ऊर्जा लेखा, साप्ताहिक यूआई लेखा इत्यादि तैयार कर रही है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
16	पंजाब	पीएसटीसीएल (पूर्व पीएसईबी) में पहले ही अगस्त 2002 से आरंभ यूएलडीसी योजना के अधीन पीजीसीआईएल से संबद्ध ईएमएस/स्काडा प्रणाली को स्थापित किया है। पीएसटीसीएल ने पहले ही 49 आरटीयू (31 नं. 220 केवी ओर 18 नं. 132 केवी जो क्रमशः 57 नं. और 78 नं. से हैं) जिसमें सभी 220 केवी और 132 केवी उत्पादन केन्द्र, 220 केवी और 132 केवी महत्वपूर्ण 220 केवी केन्द्रों सहित अन्तरराज्यिक टाइ लाइनों को कवर किया गया है। 42 नं. आरटीयू की प्राप्ति उन्नत अवस्था में है और एलओआई से एक माह के अंदर चुनिंदा 220 केवी उपकेन्द्र में पायलट आटीयू के सफलता से कार्यान्वयन स्थापन्न के बाद जारी किए जाने की संभावना है और मौजूदा स्काडा/ईएमएस प्रणाली से समुचित रूप से समन्वित करने की संभावना है जो एक माह के लिए नियंत्रण केन्द्र में पवन लाइन डाटा की सतत उपलब्धता को दर्शाता है। पायल्ट आरटीयू की स्थापना के लिए एलओआई प्रक्रिश्या के अधीन है और शीघ्र ही जारी करने की संभावना है। 10 नं. आरटीयू के स्थापना वर्ष, 220 केवी उपकेन्द्रों में अतिरिक्त 42 नं. आरटीयू की स्थापना और प्राप्ति में यह पीएसटीसीएल द्वारा प्रगति पर है। नवीनतम तकनीक से प्रत्येक वर्ष कंपनियों को नियमित रूप से निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से बदले जा रहे हैं और एलएस एवं एमएस उपभोक्ताओं को टीओडी मीटरों से स्थापित किया गया है और ग्रिड निर्माणाधीन है तथा उन्नयन एवं किफायती उपाय थर्मल संयंत्रों की थर्ड पार्टी लेखा परीक्षा के आधार पर नियमित रूप से किए जाते हैं, स्काडा/ईएमएस वितरण प्रणालियों में स्थापन्न के अधीन है। बाउंड्री मीटरिंग ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए पूरी हो गई है। कृषि क्षेत्र का एमएम मार्ग एसएपी/ईआरपी के आरंभ होने की अंतिम चरण में है और शुरू किया जा रहा है। अस्थायी एवं सरकारी कनेक्शन के लिए पूर्वप्रदत्त स्मार्ट मीटर का प्रस्ताव अंतिम अवस्था में है।
17	सिक्किम	सिक्किम एसईआरसी में 30.6.2012 को एसएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2012 को अधिसूचित किया। आयोग ने वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण और संप्रेषण के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य में डिम्ड अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किए।
18	तमिलनाडु	चेन्नई में एक एसएलडीसी और चेन्नई, मदुरई और इरोड में तीन उपभार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए। उपकेन्द्रों एवं थर्मल हाइड्रल, गैस से डाटा यूएलडीसी योजना के अधीन इक्टठा किया गया। मौजूदा नियंत्रण केन्द्र 19.07 करोड़ा रू. की लागत पर किया जा रहा है। चेन्नई में मुख्य नियंत्रण केन्द्र परिचालन में है जो 1200 आरटीयू को संचालित कर सकता है।
19	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य में कोई भी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए आगे नहीं आया है। इस प्रकार निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को सुविधा उपलबध करवाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्य भार प्रेषण केन्द्र का उन्नयन प्रगति पर है।
20	उत्तराखण्ड	एसएलडीसी के पृथक्करण के लिए, रिंग फैंसिंग और अलग एआरआर दखिल करने तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6.4.2010 को पहले ही निर्देश जारी किए गए। प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16) के लिए बहवर्ष टैरिफ और कारोबार योजना के अनुमोदन के लिए टैरिफ आदेश में यूईआरसी में पीटीसीयूएल को निर्देश दिया कि एसएलडीसी के रिंग फैंसिंग पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा दाखिल करते समय एसएलडीसी के लिए अलग याचिका दाखिल करें। यूईआरसी के निर्देश के अनुसार पीटीसीयूएल ने एसएलडीसी के लिए अलग एआरआर दाखिल किया। इसके अलावा एसएलडीसी की उक्त वेबसाइट (www.uksldc.org) सितम्बर, 2013 से आरंभ की गई है। स्काडा से संबद्ध कार्य लगभग पूर्ण होने के करीब और आईसीटी का वास्तविक समय डाटा, पारेषण लाइन और उत्पादन केन्द्र इस वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
21	उत्तर प्रदेश	आयोग ने राज्य में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के प्रचालन के लिए UPERC/ Secy./Regulations/05-249 दिनांक 7.6.05 के माध्यम से यूपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2004 (संक्षेप में यूपीईआरसी निर्बाध पहुंच) जारी किया। विनियमों में यह भी व्यवस्था है कि 01 अप्रैल 2008 से 1 मेगावाट से अधिक की मांग वाला कोई उपभोक्ता पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आयोग ने निम्नानुसार आवश्यक विनियमक फ्रेमवर्क विनियम बनाया / अंतिम रूप दिया: क. यूपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2009 में पारेषण प्रणाली सहित या उसके बिना वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए अन्य विस्तृत क्रियाविधि शामिल हैय ख. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के व्हिलींग सेवाओं के लिए मॉडल बीपीडब्ल्यूएय ग. राज्य के अंदर या बाहर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आहरित विद्युत के लिए राज्य विद्युत ग्रिड के माध्यम से प्रेषित विद्युत की व्यवस्थापन्न प्रणाली और अनुसूचीकरण, प्रेषण, ऊर्जा लेखांकन, यूआई लेखांकन की क्रियाविधियां। इसके अलावा, आयोग ने उन निर्बाध पहुंच उपभोक्ताअें द्वारा ग्रिड से आहरित विद्युत के ऊर्जा लेखांकन के लिए क्रियाविधि विकसित करने के लिए एसएलडीसी को निर्देश दिया जो वितरण प्रणाली में सन्निहित उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत या वितरण प्रणाली से संबद्ध है।
22	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) विनियम, 2007 यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 35 / डब्ल्यूबीईआरसी दिनांक 12.4.2007 के अधीन प्रकाशित। पारेषण प्रणाली में स्काडा 2005 से कार्यान्वित किया गया और कार्य कर रहा है। विभिन्न 132KV, 220KV और 400KV उपकेन्द्र तथा विद्युत केन्द्रों से प्रचालनगत डाटा माइक्रोवेव लिंक के साथ 48 आरटीओ के माध्यम से एलएलडीसी को प्रेषित किया जा रहा है जो आरटीयू के कुछ अधिक विस्तार सहित ऑप्टीकल फाइबर मोड में परिवर्तित होने के लिए संभावित है।

निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभार

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध :

5.3.2 गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारेषण प्रभार के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत की आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धाकारी उत्पादकों उपलबध करवाया जाएगा। उपयुक्त आयोग जून 2005 तक इस प्रकार के पारेषण प्रभारों को स्थापित करेगा।

5.4.5 अधिनियम की धारा 49 में व्यवस्था है कि ऐसे ग्राहक जिन्हें धारा 42 के अधीन निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है वे इस प्रकार की निबंधन व शर्तों पर विद्युत की आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति से करार कर सकते हैं जिसमें उनके द्वारा सहमत टैरिफ भी शामिल है। वितरण में निर्बाध पहुंच के लिए विनियम करते समय एसईआरसी अधिनियम की धारा 42 के अधीन यथाअपेक्षित क्रास सब्सिडी प्रभार और विलिंग प्रभारों को निर्धारित करेगा।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (LTOA/STOA)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">आंध्रप्रदेश</td><td>उपयोगिता (डिस्कॉम)</td><td>अवधि (LTOA/STOA)</td><td>माप की इकाई</td><td>LT 11</td><td colspan="2">KV 33</td><td>KV</td></tr>
<tr><td>APSPDCL</td><td>*LTOA/STOA</td><td>Rs./KVA/Month</td><td>384.88</td><td colspan="2">191.22</td><td>29.6</td></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>*LTOA/STOA</td><td>Rs./KVA/Month</td><td>641.32</td><td colspan="2">192.89</td><td>21.07</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बिहार</td><td>BSEB</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम (विलिंग प्रभार)</td><td>वास्तविक अंतःक्षेपण के अनुसार अनुसूचित और अनुमोदित ऊर्जा पर 23.5 पैसा प्रति यूनिट</td><td></td><td>33 KV</td><td colspan="2">11 KV</td><td>LT</td></tr>
<tr><td>एसटीयू</td><td>1. एसटीओए प्रभार 22.4 पैसा प्रति यूनिट
2. एलटीओए प्रभार निवल एआरआर समानुपातिक रूप से सभी एलटीओए ग्राहक द्वारा शेयर किया जाएगा।</td><td></td><td>400 KV</td><td>220 KV</td><td>132 KV</td><td>66 KV</td></tr>
<tr><td>4</td><td>दिल्ली</td><td colspan="7">आयोग ने तदनुरूपी वर्षों के लिए टैरिफ आदेश में विभिन्न वर्षों के लिए BRPL, BYPL और TPPDL के लिए विलिंग प्रभारों को अवधारित किया।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/STOA)	परिमापन का यूनिट	वॉल्टेज स्तर	
5	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	यूटिलिटी	अवधि	माप की इकाई	वॉल्टेज स्तर	
					EHT/HT	LT
		ED-A&N	सभी	पैसे/किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
		ED–चंडीगढ़	सभी	पैसे /किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
		DNHPDCL	सभी	पैसे /किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
		ED-दमन और दीव	सभी	पैसे /किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
		ED–गोवा	सभी	पैसे /किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
		ED–लक्षद्वीप	सभी	पैसे /किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
		ED–पुडुचेरी	सभी	पैसे /किलोवाट	निर्धारित नहीं किया।	
6	गुजरात	PGVCL/ MGVCL/ DGVCL/ UGVCL	दोनों	पैसेधकिलोवाट	11 KV	400 KV
					11	41
		टोरंट पावर लि. अहमदाबाद			22	72
		टोरंट पावर लि. सूरत			18	48

टिप्पणीः 2011 की अधिसूचना संख्या 3 के रूप में जीईआरसी ने जीईअरारसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 को 1.6.2011 को अधिसूचित किया जिसमें 12 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो 25 वर्ष से अधिक न हो के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच, तीन महीने से अधिक अवधि के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं और एक समय पर एक माह तक अवधि के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच जो कलैण्डर वर्ष में 6 महीने से अधिक की अवधि न हो, दी गई है। विनियमों में राज्य पारेषण नेटवर्क तथा अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण प्रणाली में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की व्यवस्था है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/ STOA)	माप की इकाई	वॉल्टेज स्तर			
					वितरण प्रभार	विलिंग प्रभार		
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	जेएण्डके PDD			496.00	1396.00		

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी		यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/ STOA)	माप की इकाई	वॉल्टेज स्तर			
8	झारखण्ड		JSEB / JBVNL		Rs./kWh	0.12			

9 — कर्नाटक

विलिंग प्रभार (पैसे/यूनिट)

यूटिलिटी	EHT/132KV	HT/33/66 KV	HT/11 KV	LT
BESCOM			10	22
MESCOM			21	48
CESC			19	44
HESCOM			19	44
GESCOM			22	51

i. नवीकरणीय स्रोतों के लिए जो राज्य के अंदर व्हिल एनर्जी देते हैं, व्हिलिंग प्रभार वस्तु में है और अंतक्षेपित ऊर्जा के 5 प्रतिशत के बराबर है।
ii. वास्तविक प्रभार अंतःक्षेपण प्वाइंट तथा निकासी प्वाइंट पर आश्रित है।
iii. उक्त प्रभार के अतिरिक्त यथा लागू हानियां वहन की जाएंगी।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/STOA)	परिमापन का यूनिट	वॉल्टेज स्तर
10	केरल	01.07.2012 से प्रभावी क्रॉस सब्सिडी प्रभार और विलिंग प्रभार			

यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/ STOA)	माप की इकाई	Voltage levels: EHT 220 KV	EHT 110 KV	EHT 66 KV	रेलवे	HT-1 इण्डस्ट्रियल	HT-II गैर–इण्डस्ट्रियल	HT-IV व्यावसायिक
KSEB	एलटीओए बराबर और 5 वर्ष से ज्यादा / 5 वर्ष से कम	क्रॉस सब्सिडी प्रभार	शून्य	शून्य	11 Ps/यूनिट	24 Ps/यूनिट	शून्य	49 ps/यूनिट	255 ps/यूनिट
		विलिंग प्रभार					26 ps/यूनिट	26 ps/यूनिट	26 ps/यूनिट

11 — महाराष्ट्र

			L.T	33 kV	11 kV
MSEDCL		Rs/kWh	1.03	0.11	0.60
TPC-D		Rs/kWh	0.38	0.19	
RInfra-D		Rs/kWh	0.88	0.46	
BEST		Rs/kWh	बेस्ट को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है और एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2005 विशेष रूप से निर्बाध पहुंच विनियमों की परिधि से बेस्ट से छूट दी गई है।		

12 — मध्य प्रदेश

क्र. सं.	वर्ष	LTOA (Rs./MW/Month)	STOA (Rs./MW/Month)
1	वित्तीय वर्ष 2012.13	4100	1025
विलिंग प्रभार			
वित्तीय वर्ष 2012.13		33 Kv पर रु. 0.15 प्रति	

13 — मणिपुर और मिजोरम

पारेषण एवं व्हिलिंग प्रभार वार्षिक रूप से दोनों राज्यों में नियत किए गए हैं।

14 — नागालैण्ड

नागालैण्ड	स्थिति (LTOA/ STOA)	माप का परिमापन	वॉल्टेज स्तर			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				

छम्त्ह ने निर्बाध पहुंच विनियमों को अंतिम रूप दिया है लेकिन इस पर कोई मामला आयोग के सामने नहीं आया है।

15 — उड़ीसा

डिस्कॉम	HT उपभोक्ताओं के लिए विलिंग और क्रॉस सब्सिडी प्रभार (11 KV & 33 kV): विलिंग प्रभार (Paise/Kwh)	क्रॉस सब्सिडी प्रभार 9 पैसा/Kwh)
CESU	78.09	101
NESCO	81.29	55
WESCO	61.30	76
SOUTHCO	99.94	165

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/STOA)	परिमापन का यूनिट	वॉल्टेज स्तर

16 पंजाब

दीर्घ कालिक (LTOA) (PSPCL)	मध्यकालिक (STOA) वॉल्टेज स्तर (PSPCL)					
	From 1.4.2012 to 6.5.2012			From 7.5.2012 to 31.3.2013		
220 kV, 132 kV, 66kV, 33kV or 11 kV	220 kV &132 kV	66 kV & 33 kV	11 kV	220 kV & 132 kV	66kV & 33kV	11kV
452540/MW/ अनुबंधित क्षमता का माह	0.0 पैसे / यूनिट	18.6 पैसे / यूनिट	37.2 पैसे / यूनिट	124.0 पैसे / यूनिट		

17 सिक्किम

यूटिलिटी (डिस्कॉम)	अवधि (LTOA/ STOA)	परिमापन का यूनिट	वॉल्टेज स्तर
ऊर्जा एवं विद्युत प्रभाग, सिक्किम सरकार	...	....	

18 तमिलनाडु

वर्ष	यूटिलिटी	स्थिति (LTOA/ STOA)	माप का परिमापन	वॉल्टेज स्तर				
					22kV	33kV	110kV	230kV
वित्तीय वर्ष 2012.13	TANGEDCO	LTOA/STOA to TANGEDCO	MU	3659.54				
		STOA-**केप्टिव एवं थर्ड पार्टी**	MU	834	199	536	661	230

19 त्रिपुरा

निर्बाध पहुंच प्रणाली अभी त्रिपुरा राज्य में विकसित नहीं की गई है अतएव निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभारों का प्रश्न नहीं उठता।

20 उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लि.

7659.07*MW/day*
''अंतर्निहित निर्बाध पहुंच उपभोक्ता'' को उक्त व्हिलिंग प्रभार अदा नहीं करना है और अन्यथा विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार संगणित निवल व्हिलिंग प्रभार अदा करेंगे और वह एचटी उद्योग उपभोक्ता के लिए भी विलिंग प्रभार अदा नहीं करेंगे और गैर देसी उपभोक्ताओं के लिए रु. Rs. 6837.09?MW?day होगा।

21 उत्तर प्रदेश

यूटिलिटी (डिस्कॉम)	स्थिति (LTOA/ STOA)	माप की ईकाई	वॉल्टेज स्तर	
			132 kV	132 kV से ऊपर
सभी डिस्कॉम		रु./kWh	LTOA: 0.176 STOA:0.05	LTOA: 0.132 STOA:0.04

22 पश्चिम बंगाल

वर्ष 2012-13	WBSEDCL	CESC Ltd	DPL	DPSC Ltd
विलिंग प्रभार	82.24 paise/kWh	136.61 paise/kWh	27.46 paise/kWh	58.35 paise/kWh
परिहार्य लागत	315.14 paise/ kWh + विलिंग प्रभार	339.46 paise/ kWh + विलिंग प्रभार	184.69 paise/ kWh + विलिंग प्रभार	450.44 paise/ kWh + विलिंग प्रभार
क्रॉस सब्सिडी अधिभार	अनुमत निर्बाध पहुंच और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिहार की गई लागत से उपभोक्ताओं की श्रेणी के लिए लागू टैरिफ का यह अंतर है।			

पारेषण प्रभार

LTOA – दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच

STOA – अल्पकालिक निर्बाध पहुंच

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th colspan="2">एलओए (₹/MW/ekg)</th><th colspan="3">एसटीओए (₹/MW/fnu)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">आंध्रप्रदेश</td><td rowspan="2">स्थिति (LTOA/STOA)</td><td rowspan="2">परिमापन का यूनिट</td><td colspan="3">वॉल्टेज स्तर</td></tr>
<tr><td>132KV</td><td>220KV</td><td>400KV</td></tr>
<tr><td>*LTOA/STOA</td><td>Rs.MW/दिन</td><td>2153.42</td><td>2153.42</td><td>2153.42</td></tr>
<tr><td colspan="5">* LTOA/STOA दोनों के लिए प्रभार समान है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td colspan="2">53310</td><td colspan="3">438</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td colspan="2">निवल एआरआर रक्षित क्षमता के अनुपात में अनुपातिक रूप से सभी LTOA/MTOA द्वारा शेयर किया जाएगा।</td><td colspan="3">वास्तविक अंतःक्षेपण के अनुसार अनुमोदित और अनुसूचित ऊर्जा पर STOA प्रीार 27.8 पैसे प्रति यूनिट</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="5">आयोग ने 24.12.2013 के आदेश में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के मामले में पारेषण सेवा प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति को निर्धारित किया। संबंधित वर्षों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित एआरआर के आधार पर पारेषण प्रभार प्रत्येक वर्ष के लिए एसएलडीसी द्वारा अवधारित किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="5">अवधि के दौरान चूंकि जेईआरसी के क्षेत्राधिकार के अधीन कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नहीं है अतएव पृथक पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td colspan="2">2780</td><td colspan="3">अल्पकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों द्वारा प्रतिदेय प्रभार पारेषण त्र दीर्घकालिक / मध्यकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों द्वारा प्रतिदेय प्रभार पारेषण की दर × 1 / 4 अर्थात् Rs. 695/MW/Day</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Rs. 496.00</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="2">0.18</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td rowspan="2">कर्नाटक</td><td colspan="5">2012-13</td></tr>
<tr><td colspan="2">112224</td><td colspan="3">922.39</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td colspan="2">EHT-22 Ps/unit</td><td colspan="3">EHT-22 Ps/unit</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="2">Rs.213.39/kW/month</td><td colspan="3">Rs.0.29 Rs/kWh</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">Rs. 123000 /MW/month</td><td colspan="3">Rs. 1024/MWE/Day</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="5">LTOA और STOA अभी अलग से किए जाने हैं।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="2">लागू नहीं</td><td colspan="3">लागू नहीं</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th colspan="2">एलओए (₹/MW/ekg)</th><th>एसटीओए (₹/MW/fnu)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">15.</td><td rowspan="2">उड़ीसा</td><td>वर्ष</td><td>LTOA (रु./MW/माह)</td><td>STOA (रु./MW/माह)</td></tr>
<tr><td>वित्तिय वर्ष 2012-13</td><td>6000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16.</td><td rowspan="2">पंजाब</td><td colspan="2">71226</td><td>19 पैसे/यूनिट</td></tr>
<tr><td colspan="3">इसके अलावा यह अनुरोध है कि राज्य के अंदर उपभोग की एनआरएसई विद्युत के व्हिलिंग के लिए व्हिलिंग प्रभार और पारेषण दूरी का ध्यान किए बिना राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा के 2% पर उदग्रहित होगा। राज्य के बाहर एनआरएसई विद्युत की व्हिलिंग के मामले में पूर्ण पारेषण और व्हिलिंग प्रभार उदग्रणीय होगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">17.</td><td rowspan="3">सिक्किम</td><td>वर्ष</td><td>LTOA (रु./MW/माह)</td><td>STOA (रु./MW/माह)</td></tr>
<tr><td>वित्तिय वर्ष 2012-13</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पणी:
सिक्किम एसईआरसी ने 30.6.2012 को एसएसईआरसी ने एसएसईआरसी (अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012 पहे अधिसूचित किया जिसमें विभिन्न प्रभारों (पारेषण व्हिलिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिप्रभार) को अवधारित करने के लिए क्रियाविधि व पद्धतियां रेखांकित की गई। तथापि राज्य में केवल डीम्ड वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् ऊर्जा एवं विद्युत विभाग सिक्किम सरकार ने आज तक वितरण या पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच का अनुरोध करते हुए किसी उपभोक्ता से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं किया है। इसलिए निर्बाध पहुंच के अधीन पारेषण/वितरण के लिए प्रभार स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुआ।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="2">Rs.6483(MW/day) = Rs.1,94,490/-(MW/month)</td><td>Rs.270.11(MW/hr) = Rs.6483/- (MW/day)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="3">त्रिपुरा के मामले में नहीं उठाया गया।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td colspan="2">Rs.83342.40</td><td>Rs.2778.08</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="3">Rs. 0.174 / kWh</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">145231.00</td><td>1210.26</td></tr>
</table>

कुल तकनीक पर समयबद्ध कार्यक्रम एवं वाणिज्यिक हानियां

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.6 एक समयबद्ध कार्यक्रम ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों और तकनीक के पृथक्करण के राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। एसइआरसी द्वारा यथानिर्धारित प्रतयेक परिभाषित यूनिट में इसके परिणाम की घोषणा और ऊर्जा लेखांकन मार्च, 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अधिशासन में उपयुक्त सुझाव और पर्याप्त निवेशों सहित हानियों की कमी के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। विश्वसनीयता के मानक और आपूर्ति की गुणवत्ता तथा हानि स्तरों को समय–समय से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2012 तक अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2012.13</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">आंध्रप्रदेश</td><td>APSPDCL</td><td>12.45%</td></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>12.30%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बिहार</td><td colspan="2">BSEB (T&D Loss)
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th></th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BSEB (T&D Loss)</td><td>27.5</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>छत्तीसगढ़</td><td colspan="2">30%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th></th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BRPL</td><td>17.74% (लक्ष्य 14.16%)</td><td>16.93% (लक्ष्य 13.33%)</td><td>ट्रूअप किया जाना है (लक्ष्य 12.50%)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BYPL</td><td>21.14% (लक्ष्य 16.82%)</td><td>22.19% (लक्ष्य 15.66%)</td><td>ट्रूअप किया जाना है (लक्ष्य 14.50%)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TPPDL</td><td>10.73% (लक्ष्य 12.50%)</td><td>10.56% (लक्ष्य 12.00%)</td><td>ट्रूअप किया जाना है (लक्ष्य 11.50%)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>NDMC</td><td>7.65% (लक्ष्य 10.35%)</td><td>11.57% (लक्ष्य 10.10%)</td><td>ट्रूअप किया जाना है (लक्ष्य 9.85%)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="7">गोवा एवं संघ शासित प्रदेश</td><td>ED-A&N</td><td>18.03%</td></tr>
<tr><td>ED– चंडीगढ़</td><td>16.00%</td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td>6.00%</td></tr>
<tr><td>ED– दमन एवं दीव</td><td>9.25%</td></tr>
<tr><td>ED– गोवा</td><td>12.50%</td></tr>
<tr><td>ED– लक्षद्वीप</td><td>15.92%</td></tr>
<tr><td>ED– पुडुचेरी</td><td>12.50%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th colspan="3">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th colspan="3">डिस्कॉम</th><th colspan="3">वित्तीय वर्ष 2012.13</th></tr>
<tr><td rowspan="9">6</td><td rowspan="9">गुजरात</td><td colspan="3">DGVCL</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">UGVCL</td><td colspan="3">13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">MGVCL</td><td colspan="3">12.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">PGVCL</td><td colspan="3">27.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">TPL-A</td><td colspan="3">8.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">TPL-S</td><td colspan="3">5.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">कोंडला पोर्ट ट्रस्ट</td><td colspan="3">8.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">मुन्द्रा SEZ</td><td colspan="3">7.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">टोरंट एनर्जी लि. (TEL)</td><td colspan="3">3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">जम्मू एण्ड कश्मीर</td><th colspan="3">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)/T&D Loss Trajectory</th></tr>
<tr><th colspan="3">डिस्कॉम</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td colspan="3">यूटिलिटी</td><td>46.76</td><td>45.26</td><td>43.76</td></tr>
<tr><td rowspan="6">8</td><td rowspan="6">झारखण्ड</td><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th colspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वितरण हानि लक्ष्य (%)</th></tr>
<tr><th colspan="2">डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">JSEB</td><td>18%</td><td>17%</td><td>16%</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">JUSCO</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">SAIL – बोकारो</td><td>15%</td><td>13%</td><td>11%</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">TSL</td><td>6.5%</td><td>6.0%</td><td>5.75%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">9</td><td rowspan="9">कर्नाटक</td><td colspan="6">केवल T&D हानियां</td></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="4">वित्तीय वर्ष 2012-13 (%)</th></tr>
<tr><th colspan="2">लक्ष्य</th><th colspan="2">प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td colspan="2">BESCOM</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">13.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">GESCOM</td><td colspan="2">19.50</td><td colspan="2">19.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">HESCOM</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="2">19.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">MESCOM</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">11.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">CESC</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">हुकेरी RCS</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">15.10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">केरल</td><td colspan="6">KSEB</td></tr>
<tr><td>2007-08</td><td>2008-09</td><td>2009-10</td><td>2010-11</td><td>2011-12</td><td>2012-13</td></tr>
<tr><td>20.02</td><td>18.83</td><td>17.71</td><td>16.09</td><td>15.65</td><td>14.81 (अनुमोदित)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">11</td><td rowspan="4">महाराष्ट्र</td><td colspan="3">MSEDCL</td><td colspan="3">14.67%</td></tr>
<tr><td colspan="3">TPC-D</td><td colspan="3">1.35%</td></tr>
<tr><td colspan="3">R Infra-D</td><td colspan="3">10.24%</td></tr>
<tr><td colspan="3">BEST</td><td colspan="3">7.50%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2012.13</th></tr>
<tr><td rowspan="4">12</td><td rowspan="4">मध्यप्रदेश</td><td>डिस्कॉम</td><td>2012.13</td></tr>
<tr><td>(i) पूर्व डिस्कॉम</td><td>24</td></tr>
<tr><td>(ii) पश्चिम डिस्कॉम</td><td>22</td></tr>
<tr><td>(iii) केन्द्रीय डिस्कॉम</td><td>26</td></tr>
<tr><td>13</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मणीपुर राज्य ऊर्जा वितरण कंपनी लि.</td><td>35%</td><td>32%</td><td>29%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ऊर्जा और विद्युत विभाग मिजोरम सरकार</td><td>31%</td><td>29%</td><td>27%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><td>डिस्कॉम</td><td>2012-13</td><td>2013-14</td><td>2014-15</td></tr>
<tr><td>DPN</td><td>41.37%</td><td>38.89%</td><td>33.67%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>15</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">डिस्कॉम</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2012-13</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2013-14</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2014-15</th></tr>
<tr><th>लक्ष्य</th><th>प्राप्त किया</th><th>लक्ष्य</th><th>प्राप्त किया</th><th>लक्ष्य</th><th>प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>CESU</td><td>23.77</td><td>41.44</td><td>23.77</td><td>39.50</td><td>23.77</td><td>36.65</td></tr>
<tr><td>NESCO</td><td>19.17</td><td>40.38</td><td>19.17</td><td>35.93</td><td>19.17</td><td>33.19</td></tr>
<tr><td>WESCO</td><td>20.40</td><td>42.72</td><td>20.40</td><td>40.64</td><td>20.40</td><td>39.49</td></tr>
<tr><td>SOUTHCO</td><td>26.25</td><td>47.13</td><td>26.25</td><td>46.39</td><td>26.25</td><td>44.64</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>16</td><td>पंजाब</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">(पारेषण एवं वितरण हानियां आयोग द्वारा अनुमोदित संबंधित टैरिफ आदेश)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PSPCL</td><td>18.00%</td><td>17.00%</td><td>16.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17</td><td>सिक्किम</td><td colspan="2">ऊर्जा एवं विद्युत विभाग, राज्य सरकार विभाग सिक्किम में डीम्ड वितरण/पारेषण/उत्पादन के रूप में कार्य कर रहा है। पारेषण वितरण और उत्पादन का पृथक्ककरण अभी नहीं किया गया है अर्थात् विभाग की पुनसंरचना अभी की जानी है इसके कारण ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से तकनीक एवं वाणिज्यिक हानियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। सिक्किम एसईआरसी ने इस विषय पर समय से कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="2">केवल त्रिपुरा के सरकारी स्वामित्व के अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् टीएसईसीएल को एटीएण्डसी हानियों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहले ही हिदायत दे दी गई है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2012.13</th></tr>
<tr><td>20</td><td>उत्तराखण्ड</td><td colspan="2">
तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि कमी के लिए प्रयास के रूप आयोग को विभिनन टैरिफ आदेशों के माध्यम से एटीएण्डसी हानियों की कमी के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया गया। इसके अलावा आयोग ने सरकार निधि योजनाओं अर्थात् आरएपीडीआर की भाग क और भाग ख को निवेश अनुमोदन दिया है जो मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक 15 प्रतिशत वितरण हानियों की प्राप्ति के उद्देश्य सहित वितरण प्रणाली के एटीएण्डसी हानियों को कम करने पर केन्द्रित कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने वितरण हानि कमी तथा वसूली कुशलता के लिए क्षेत्र को परिभाषित किया है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के लिए वितरण हानियों और वसूली कुशलता के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

वितरण हानियों की स्थिति
<table>
<tr><th>स्थिति</th><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>अनुमोदित वितरण हानियां</td><td>17%</td><td>16%</td><td>15.5%</td></tr>
</table>
वसूली कुशलता की स्थिति
<table>
<tr><th>स्थिति</th><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>अनुमोदित वितरण हानियां</td><td>97%</td><td>97.5%</td><td>98%</td></tr>
</table>
संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए उक्त वितरण हानियां तथा वसूली कुशलता पर विचार करते हुए संगणित एटीएण्डसी हानियां। संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए संग्रह दक्षता इस प्रकार है:
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">स्थिति</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th></th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनुमोदित संग्रह क्षमता</td><td>19.49%</td><td>18.10%</td><td>17.19%</td></tr>
</table>
विश्वसनीयता के मानक और आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में आयोग ने 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित यूईआरसी कार्यनिष्पादन विनियम 2007 के मानक को पहले ही अधिसूचित किया है।
</td></tr>
<tr><td>21</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>उपलब्ध नहीं है</td><td>उपलब्ध नहीं है</td><td>उपलब्ध नहीं है</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>22</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>WBSEDCL</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>17.50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CESC</td><td>14.45</td><td>14.30</td><td>14.30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DPL</td><td>5.30</td><td>5.20</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DPSC</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DVC</td><td>2.30</td><td>2.20</td><td>2.20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

मीटरिंग प्लान

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध :

5.4.9 इस अधिनियम में दो वर्षों के अंदर सभी उपभोक्ताओं को मीटर किया जाना अपेक्षित हैं। एसईआरसी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से अपनी मीटरिंग योजना प्राप्त कर सकती है, उन्हें अनुमोदित और उसकी निगरानी कर सकती है। एसईआरसी को पूर्व प्रदत्त मीटर इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रथमतः एक एमवीए के न्यूनतम भार वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटर भी प्रोत्साहित किए जाएंगे। एसईआरसी को स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
1	आंध्रप्रदेश	70 केवीए से ऊपर लोड वाले अधिकांश एचटी उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही टीओडी टैरिफ और मीटर हैं।
2	बिहार	टैरिफ आदेश सहित आयोग द्वारा जारी निर्देशों में बीईआरसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए शत प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिया और आयोग ने सम–समय से मीटरिंग की स्थिति की समीक्षा की।
3	छत्तीसगढ़	राज्य डिस्कॉम द्वारा मीटर लगाने का कार्य 100% पूरा हो गया। सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं को टीओडी मीटर सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
4	दिल्ली	टीओडी मीटरिंग बड़े उद्योग और गैर देशी उपभोक्ताओं (300 किलोवाट और अधिक) के लिए पायलट आधार पर 13.7.2012 के डीईआरसी टैरिफ आदेश के माध्यम से आरंभ किए गए।
5	गोवा एवं संघ शासित प्रदेश	जेईआरसी नियमित रूप से मीटरिंग की प्रगति मॉनिटरिंग करता है और अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मीटरिंग योजना की समीक्षा करता है। पूर्व प्रदत्त मीटर और टीओडी मीटर का उपयोग टैरिफ श्रेणी के उचित अवधारण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। थर्ड पार्टी मीटरिंग परीक्षण व्यवस्थाओं के संदर्भ में सीजीआरएु / ओमबडसमैन गुण अवगुण आधार पर मामाले का निर्णय करता
6	गुजरात	उपभोक्ता की सभी श्रेणियां कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर 100 प्रतिशत मीटर की गई हैं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए मीटरों को अलग किया गया और 100 प्रतिशत फीडर स्तर मीटरिंग उपलब्ध करवाई गई। कृषि कनेक्शन 10.10.2000 के बाद मीटरों सहित रिलीज किए गए।
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य विद्युत विकास विभाग) से अप्रैल 2012 के अंत तक 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा करना अपेक्षित था। यद्यपि कंपनी आरएपीडीआरपी के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों में 100 प्रतिशत मीटरिंग की पूरा होने पर केन्द्रित रहा है लेकिन कंपनी अधिनियम के अधीन यथास्थापित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योग्य नहीं रही है। कंपनी के अनुरोध पर 100 प्रतिशत मीटर प्राप्त करने की निर्धारित सीमा जून 2013 तक बढ़ा दी गई। कंपनी जून 2013 तक निर्धारित सीमा के अंदर 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा नहीं कर सकी और अनुरोध किया है कि यह वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा कर सकती है। स्वप्रेरणा कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध आयोग द्वारा आरंभ की गई ताकि राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित विस्तृत मीटरिंग योजना के प्रस्तुत करने के संबंध में मामले में पारित आयोग के निर्देशों के लिए कंपनी के अनुपालन की मांग की जा सके। कंपनी ने प्रणाली एवं उपभोक्ता मीटरिंग के लिए दोनों मीटरिंग योजनाओं को प्रस्तुत किया। आयोग ने योजना स्वीकार करते समय प्रस्तावित योजना के अनुसार 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया। आयोग ने अधिनियम में निर्धारित समय के गंभीर विचलनों को ध्यान में रखते हुए 100 प्रतिशत मीटरिंग की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित समय सीमा के लिए राज्य विधायिका के अनुमोदन की मांग के लिए कंपनी को निर्देश दिया।
8	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
9	कर्नाटक	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की मीटरिंग योजना अनुमोदित की गई है और मॉनिटर की जा रही है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने 10एचपी और कम के आईपी सेट को छोड़कर स्थापना की सभी श्रेणियों के लिए मीटर स्थापित किए हैं।
10	केरल	सभी ग्राहक विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के पूर्व मीटरगत किए गए। सभी एचटी/ईएसटी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटर विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन से पूर्व आरंभ किए गए। 500 यूनिट एक माह से अधिक उपभोग वाले एलटी देसी उपभोक्ताओं तथा 20 किलोवाट से अधिक सभी एलटी उद्योगों के लिए टीओडी मीटर क्रमशः 1.5.2013 से 1.7.2012 से आरंभ किए गए।
11	महाराष्ट्र	1. आयोग ने 28 अप्रैल 2000 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–1 में महाराष्ट्र में टीओडी टैरिफ आरंभ किया है। 2. महाराष्ट्र में टैरिफ दो संघटकों अर्थात् नियत लागत (Rs./kW) और परवर्ती लागत (Rs./kW) में है। 3. भार के बेहतर प्रबंधन के लिए टीओडी टैरिफ एमईआरसी द्वारा शुरू किया गया है। पीक टाइम उपयोग अधिक प्रभारित किया जाता है और रात्रि समय का प्रयोग पर रियायत दी जाती है। महाराष्ट्र में टीओडी टैरिफ निम्नलिखित टाइल स्लॉट में प्रत्येक दिन विभक्त किया गया है और संबंधित टाइम स्लॉट के दौरान उपभोग के अनुसार प्रभारित किया जाता हैः **समय** 0600 - 0900 घण्टा 0900 - 1200 घण्टा 1200 - 1800 घण्टा 1800 - 2200 घण्टा 2200 - 0600 घण्टा 4. आयोग ने मैसर्स इडेमी, स्वतंत्र एनएबीएल प्रत्यायित कैलीबरेशन एवं परिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से प्रतयेक श्रेणी से उपभोताओं के नमूना संख्या के लिए परिचालनगत मीटरों की शुद्धता की सत्यापन के लिए आर इंफ्रा डी लाइनसेंस क्षेत्र में थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण आरंभ किया। यह मीटर परीक्षण अभियान 14 अक्टूबर, 2009 से एमईआरसी की ओर से रिडेमी द्वारा आरंभ किया गया और यह 4 अप्रैल 2010 को समापत हुआ। इस कार्य के दौरान 1337 मीअर देखे गए। 5. 16.08.2012 के एमएसइडीसीएल 2012 के मामला संख्या 19 में आदेश के माध्यम से कहा कि सभी नए कनेक्शन केवल मीटर आधार पर दिए जाने चाहिए। 6. महाराष्ट्र राज्य में सभी उपभोक्ता एमएसईडीसीएल उपभोक्ता लाइसेंस क्षेत्र में एजी उपभोक्ताओं को छोड़कर मीटर किए गए हैं। 2014 के मामला संख्या 121 में कार्यवाही के दौरान एमएमइडीसीएल ने कहा कि कुल 37,32,563 में से लगभग 16,11,963 (अर्थात् 43:) एजी उपभोक्ता कनेक्शन अभी तक मीटर नहीं किए गए हैं। 7. आयोग ने 3 वर्षों की अवधि के अंदर 100 प्रतिशत मीटर पूरा करने के लिए एमएसइडीसीएल को निर्देश दिया।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
12	मध्य प्रदेश	मीटरिंगकरण योजना नीचे दी गई है: मध्यप्रदेश में वितरण कंपनियों द्वारा सहमत मीटरिकरण योजना i. देसी उपभोक्ता - शहरी - वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त 100 प्रतिशत मीटरिंग 100% ii. देसी उपभोक्ता - ग्रामीण - केन्द्रीय डिस्कॉम के लिए मार्च 2016 और पश्चिमी डिस्काउंट के लिए पूर्वी डिस्कॉम जून 2016 के लिए सितम्बर, 2016 तक iii. कृषि डीटी - पश्चिमी डिस्कॉम और पूर्वी के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं। केन्द्रीय डिस्कॉम के लिए मार्च 2017 तक मीटरीकरण पूरा किया जाना है। iv. फीडर (11kV) - पूर्वी डिस्कॉम 100 प्राप्त किया गया। पश्चिमी डिस्कॉम 95.24 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। केन्द्रीय डिस्कॉम 100% मार्च 2016 तक v. फीडर (33kV) - पूर्वी और पश्चिमी डिस्कॉम 100% प्राप्त किया गया। केन्द्रीय डिस्कॉम मार्च 2016 तक 2000 से एचटी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी पहले से है। थर्ड पार्टी स्वतंत्र मीटर परीक्षण 21. 8.2007 से पहले से है।
13	मणिपुर और मिजोरम	मणीपुर एवं मिजोरम 100: मीटरिंग मणीपुर में प्राप्त की जानी है और मिजोरम में प्राप्त की गई।
14	नागालैण्ड	....
15	उड़ीसा	ओईआरसी प्रत्येक अर्द्धवार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठक में डिस्कॉम की मीटरिंग योजना और मीटरिंग की स्थिति की मॉनिटरिंग करता रहा है। आयोग ने पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रयोग के लिए डिस्कॉम को अनुमति दी है यदि उपभोक्ता ने इसका चयन किया है। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि सभी सरकारी उपभोक्तओं को उनके द्वारा भुगतान में चूक से बचने के लिए पूर्व प्रदत्त मीटर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। आयोग ने अपने टैरिफ आदेशों में निर्देश दिया है कि सभी तीन चरण उपभोक्ताओं को टीओडी लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वे अपने कंट्रेक्ट मांग का ध्यान किए बिना अपेक्षित मीटर फिट करवाते हैं। स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर के प्रयोजन के लिए परीक्षण व्यवस्था प्रयोगशालाओं को सीईए (मीटरों की स्थाना और प्रचालन) विनियम 2006 के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है।
16	पंजाब	एपी (कृषि) श्रेणी को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को पंजाब राज्य में मीटर किया जाता है तथापि एपी श्रेणी का उपभोग अनन्य एपी फीडरों के पंप ऊर्जा के आधार निर्धारित किया गया। पीएसपीसीएल को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार 100 प्रतिशत मीटरिंग योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया जिसकी अभी प्रतिक्षा है।
17	सिक्किम	सिक्क्मि एसईआरसी ने सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए अनुज्ञप्तिधरी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मीटरिंग नए कनेक्शनें के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया है कि आयोग द्वारा अनुमोदन के लिए मीटरिंग योजना प्रस्तुत करें। विभाग द्वारा प्रस्तुत ब्योरा के अनुसार कुल उपभोक्ताओं का 77.37 प्रतिशत को नवंबर, 2015 के अनुसार मीटर किया गया।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
18	तमिलनाडु	सभी सेवाओं को कृषि तथा हट सेवाओं को छोड़कर मीटरगत किया गया। 2012 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल याचिका में कृषि और हट सेवाओं में मीटरों की स्थापना के लिए समय की मांग की गई है। अनुज्ञप्तिधारी ने फीडरों और ट्रांसफॉमर में 100 प्रतिशत की मीटरिंग की व्यवस्था का प्रयास किया है। पर्यापत नमूना अध्ययन के माध्यम से वैयक्तिक फीडरों में हानियों के अध्ययन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किया गया और समय से 3/14 तक बढ़ाया गया। अनुज्ञप्तिधारी में अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
19	त्रिपुरा	100: उपभोक्ता मीटरिंग कार्यक्रम चल रहा है। तथापि 90 प्रतिशत से अधिक मीटरिंग पहले ही कर ली गई है। पूर्व प्रदत्त मीटरिंग अभी आरंभ की जानी है। टीओडी उपभोक्ता की मांग के अनुसार पहले आरंभ की गई है।
20	उत्तराखण्ड	100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए निर्देश जारी किए गए। 25 किलावोट और अधिक और सभी एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के एलटी उद्योगों पर कार्यान्वित टीओडी। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ आदेश में यूईआरसी द्वारा अनुमोदित पूर्वदत्त मीटरिंग योजना और तब से प्रत्येक परवर्ती टैरिफ आदेश में शामिल किया गया।
21	उत्तर प्रदेश	मीटरिंग को राज्य में प्रोत्साहित किया गया है और टीओडी मीटरिंग को पहले ही कार्यान्वित किया गया है।
22	पश्चिम बंगाल	वित्तीय वर्ष: 2012.13 WBSEDCL & d) कृषि को छोड़कर सभी श्रेणी 100% कृषि : 100% CESC Ltd. - 100% DPSCL - 100% DPL - 100%

HVDS, SCADA और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.11 उच्च वॉल्टेज वितरण प्रणाली तकनीकी हानियों, चोरी से बचाव, उन्नत वॉल्टेज प्रोफाइल और बेहतर उपभोक्ता सेवा में कमी के लिए प्रभावी पद्धति है। इसे तकनीकी आर्थिक विचार को ध्यान में रखते हुए एलटी/एचटी अनुपात को कम करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। .

5.4.12 स्काडा और डाटा प्रबंधन प्रणालियां वितरण प्रणालियों के कुशल कार्य के लिए उपयोगी हैं। स्काडा और डाटा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम वितरण अनुज्ञप्धिारीयों से प्राप्त किया जाना चाहिए और तकनीकी आर्थिक विचार को ध्यान में रखते हुए एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। चरणबद्ध ढंग से उपकेन्द्र स्वचालन उपकरण स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्र. सं.	एसइआरसी/जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
1.	आंध्रप्रदेश	एचवीडीएस कृषि सेवाओं और गांवों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।	स्काडा आंध्रदेश में सभी बड़े शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
2.	बिहार		आरएपीडीआरपी योजना के अधीन स्काडा पटना के राजधानी शहर के लिए आरंभ किया गया।
3.	छत्तीसगढ़	राज्य डिस्कॉम में एलटी प्रणाली को एचवीडीएस में परिवर्तित किया है। आरईसी ऋण निधि आधार पर निष्पादन के लिए और अधिक योजनाओं को तैयार किया जा रहा है।	स्वचालित मीटर रीडिंग सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए कार्यान्वित की गई है। एचपी और अधिक के एलटी भार के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था 50 एचपी और अधिक के एलटी भार प्रक्रिया के अधीन है। डाटा आधार प्रबंधन एसएपी पैकेज की मदद से की जा रही है। एसएपी सॉफ्टवेयर आठ विभिन्न मॉडयूल के साथ कार्यान्वयन में है। बिलिंग, वित्तीय नियंत्रण, भौतिक प्रबंधन और एचआर मॉडयूल पहले से ही कार्यात्मक है।
4.	दिल्ली	एचवीडीएस HVDS – पहले से कार्यान्वित है लेकिन अब पक्ष में नहीं है। एलटी एबीसी लागत प्रभावशीलता के कारण बड़े धरातल पर आंरभ की गई है।	SCADA – तीन डिस्कॉम द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
5.	गोवा एवं संघ शासित प्रदेश	परिचालन कार्यकुशलता में सुधार के लिए टैरिफ आदेशों के माध्यम से जेईआरसी सभी वितरण अनुज्ञप्तिधरियों को निर्देश देता है और इस संबंध में केपेक्स को अनुमति देता है।	
6.	गुजरात	स्काडा पर कार्यान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आंरभ किया गया। एचवीडीएस कार्यान्वयन हानियों में प्रभावी कमियों के लिए MGVCL, UGVCL, DGVCL और PGVCL में पहले ही लिया गया है।	

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा / डाटा आधारित प्रबंध
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	कंपनी ने एपीडीआरपी के अधीन श्रीनगर शहर में दो पायलट परियोजनाओं को पहले ही पूरा किया है और एक श्रीनगर में और दूसरी कटरा (जम्मू) दो और क्षेत्रों में भी लिया है। अन्य क्षेत्र आरएपीडीआरपी के भाग ख के अधीन कवर किए जा रहे हैं।	स्काडा और डीबीएम प्रणाली आर–एपीडीआरपी योजना (भाग ख) के अधीन उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें जम्मू और श्रीनगर की दो राजधानी शहरों को शामिल करते हुए 30 शहरों को कवर किया गया है।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।	
9.	कर्नाटक	केईआरसी एचटी / एचटी अनुपात की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा एस्कॉम ने "निरंतर ज्योति योजना" के अधीन आईपी से को आपूर्ति करने वाले 11केवी फीडरों के पृथक्करण किया है। एचवीडीएस योजनाएं एस्कॉम द्वारा की जा रही हैं। मार्गनिर्देश एचवीडीएस योजनाओं के कार्यनिष्पादन के संबंध में आयोग द्वारा जहां भी आवश्यक हो जारी किए गए हैं।	KPTCL ने एकीकृत SCADA स्कीम के तहत SCADA का उन्नयन किया। MIS के कार्यान्वयन के लिए ESCOM कम्प्यूटरीकरण लिया है।
10.	केरल	केएसईबी–1:5.23 के एचटी / एलपी अनुपात।	कंपनी द्वारा आरएपीटीआरपी योजना के अधीन पायलट कार्यान्वयन प्रगति पर है।
11.	महाराष्ट्र	एचवीडीएस कार्यान्वयन हानियों में प्रभावी कमी के लिए एपीडीआरपी / आरएपीडीआरपी / बुनियादी योजनाओं के माध्यम से एमएसईडीसीएल क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।	स्काडा / डीएमएस और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन एमएसईडीसीएल क्षेत्र में आरएपीडीआरपी में किया जा रहा है। स्काडा / डीएमएस प्रणाली बेस्ट, टीपीसीडी और आर इंफ्राडी अनुप्तिधारी क्षेत्र में पहले ही कार्यान्वित की गई है।
12.	मध्य प्रदेश	अनुमोदित केपेक्स योजनाएं जिनमें चुनिंदा पहुंच में एचवीडीएस शामिल है।	डिस्कॉम द्वारा किया जाए।
13.	मणिपुर और मिजोरम	दोनों राज्यों में अभी कार्यान्वित किया जाना है।	
14.	नागालैण्ड	..	..

क्र. सं.	एसइआरसी/जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
15.	उड़ीसा	आयोग ने पहले निर्देश दिया है कि सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य जहां तक संभव हो केवल एचवीडीएस के माध्यम से किया जाएगा।	उड़ीसा ग्रिडकोड के अनुसार सभी 220 केवी एस/एस में स्काडा संचार सुविधाओं की स्थापना के लिए उपबंध किए गए हैं। सभी ईएचटी उपकेन्द्रों में भार डाटा केप्चर किया जा रहा है और ऑनलाइन विश्लेशित किया गया है। इसमें सतत आधार पर प्रत्येक डिस्कॉम का 15 मिनट का भार डाटा के – बोर्ड के डिस्प्ले की व्यवस्था है। इसमें अधिक भार और व्यवधानों पर सूचना भी उपलबध है। आरएपीडीआरपी योजना के अधीन वितरण क्षेत्र में स्काडा/डीएमएस के कार्यान्वयन के लिए पहल की गई है। उक्त योजना निधि प्रापत करने के बाद इसे पूर्णतः परिचालनीय किया जाएगा।
16.	पंजाब	आयोग ने सभी एपी कनेक्शनों को एचवीडीएस में परिवर्तित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय रूप से उभर सकने वाली योजनाओं को तैयार करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया है। कंपनी ने 31.3.2015 को समाप्त 2.11 लाख एपीएलवीडीएस कनेक्शनों को एचवीडीएस में परिवर्तित किया गया है।	वितरण स्काडा/डीएमएस के लिए एलओआई को मैसर्स सीमनस पर रखा गया और परियोजना को आरएपीडीआर के कार्य के साथ निष्पादित किया जाएगा।
17.	सिक्किम	एचवीडी प्रणाली तथा स्काडा एवं डाटा प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वयन के अधीन और कुछ समय पूर्व वे पूर्णतः परिचालनीय हो सकती है।	
18.	तमिलनाडु		आरएपीडीआर योजना के अधीन स्काडा–वितरण प्रबंधन प्रणाली 139.79 के करोड़ रू0 की कुल लागत पर सात राज्यों अर्थात् चेन्नई, मदुरई, त्रिचि, कोयंबतूर, स्लेम, त्रिपुर और त्रिरवेली जैसे सात शहरों में अनुज्ञपितधारी द्वारा निष्पादित की जा रही है। परियोजना जून 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।
19.	त्रिपुरा	पहले ही आरंभ की गई और प्रगति के अधीन है।	केवल स्काडा त्रिपुरा के विशेष क्षेत्र में आरंभ किया गया है।
20ए	उत्तराखण्ड	यूईआरसी ने निर्देश दिया है कि 75 केवी से अधिक के सभी भार एचटी पर रिलीज किए जाने चाहिए। सभी पीटीडब्ल्यू भार केवल एचटी पर रिलीज किए जाएंगे। एचवीडीएस तकनीकी हानियों और उन्नत वॉल्टेज प्रोफाइल की कमी के लिए चोरी के लिए संभावित क्षेत्रों के लिए आरएपीआरडीपी भाग ख योजना के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है।	डीसी और डीआरसी को स्थापित किया गया है और कार्य आरंभ किया गया है। केन्द्रीयकृत वाणिज्यिकृत डाटाबेस एमआईएस अनुज्ञप्ति पर कार्यान्वित किया गया है और प्रभागीय एमआईएस का समेकन प्रगति पर है। डिस्कॉम 10 किलोवाट से अधिक के उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के लिए डाटा लोगिन और एएमआर के लिए परियोजना को लिया गया है। उपभोक्ता सूची को जीआईएस मैपिंग आरएपीडीआरपी योजना के अधीन राज्य के 31 शहरों में पूरी की गई है। रिंग फैंसिंग और फीडर मीटरिंग तथा इन शहरों की डीटी मीटरिंग लगभग पूरी हो गई है। मॉडम के स्थापन्न से संबद्ध कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	एसइआरसी/जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
21.	उत्तर प्रदेश	एचवीडीएस और स्काडा प्रणालियों का कार्यानवयन प्रगति पर है।	
22.	पश्चिम बंगाल	इस प्रकार की कोई प्रणाली राज्य में नहीं है।	WBSEDCL आर–एपीडीआरपी (भाग–क) योजना के माध्यम से कार्यान्वयन चरण के अधीन। सीईएससी लि. : ईएचटी और 33 केवी कार्यप्रणालियों में कार्यान्वित। 99 में से लगभग वितरण केन्द्र (33/11/6 केवी) पर 6 केवी/11 केवी स्तर को स्काडा प्रणाली के अधीन कवर किया गया है।

कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदण्ड

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.13.1 उपयुक्त आयोग को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता पर पूर्व निर्धारित के आधार पर कंपनियों को विनियमित करना चाहिए। पैरामीटरों में अन्यों के साथ व्यवधान की अवधि और फ्रिक्वेंसी, वॉल्टेज पैरामीटर ट्रांसफार्मर असफलता दरें आपूर्ति की बहाली के लिए प्रतीक्षा समय नए कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची और दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिशतता को शामिल किया जाना चाहिए। उपयुक्त आयोग को कार्यनिष्पादन के प्रत्याशित मानदण्डों को निर्दिष्ट करना होगा।

क्र. सं.	एसइआरसी/ जेईआरसी	SoP – अधिसूचना की तारीख	सार
1.	आंध्रप्रदेश	22.06.2004	आपूर्ति विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य आयोग ने एपीईआरसी (कार्यनिष्पादन के अनुज्ञप्तिधारी मानक) विनियम, 2004 को अधिसूचित किया (2004 का विनियम संख्या 7) 19.8.2005 को राज्य आयोग ने 2004 के मूल विनियम संख्या 7 में प्रथम संशोधन अधिसूचित किया।
2.	बिहार	18.01.2007	बीईआरसी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम 2006 को 18.1.2007 को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	जुलाई 14, 2006	उपभोक्ता सेवाओं में विलंब के लिए दण्ड के लिए उपबंध सहित एसओपी अधिसूचित किया गया।
4.	दिल्ली	18 अप्रैल 2007	दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और कार्यनिष्पादन मानक विनियम 2007, के माध्यम से अप्रैल 2007 में पहले से अधिसूचित जो अभी संशोधन के अधीन है।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	पहले जेइआरसी ने 18.12.2009 को एसओपी विनियम अधिसूचित किया। इसके बाद एफओआर द्वारा अंगीकृत मॉडल विनियमों पर आधारित एसओपी विनियमों का नया सेट 24.7.2015 को अधिसूचित किया गया।	
6.	गुजरात	31.3.2005 के अधिसूचना सं. 10 के माध्यम से 2005	आयोग उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के लिए विभिनन वितरण कंपनियों के कार्यनिश्पादन की समीक्षा करता है। आयोग वितरण कंपनियों के लिए एसओपी विनियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित ब्यौरो सहित वार्षिक रिपोर्टों तथा तिमाही रिपोर्टें प्राप्त करता है।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	19.06.2006	विद्युत वितरण और खुदरा आपूर्ति की कुशल विश्वसनीय समन्वित और मितव्ययी प्रणाली के लिए कुछेक विवेचनीय वितरण प्रणाली पैरामीटरों के रखरखाव के लिए मार्गनिर्देश रखने वाले J&KSERC ;वितरण कार्यनिष्पादन मानदण्ड विनियम 2006 मौजूद है।
8.	झारखण्ड	09.09.2015	9.9.2015 को अधिसूचित जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2015
9.	कर्नाटक	जून 10,2004	कार्यनिष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट किए गए और 10.6.2014 को अधिसूचित किए गए और उनका अनुपालन मॉनिटर किया जा रहा है।

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरसी	SoP – अधिसूचना की तारीख	सार
10.	केरल	9.5.2006 को अधिसूचित	केएसईआरसी (कार्यनिष्पादन का अनुज्ञप्तिधारी के मानक) विनियम, 2006 संशोधित किया गया और नई अधिसूचना आयोग द्वारा 15.12.2015 को जारी की गई – राजपत्र में अधिसूचित की जानी है।
11.	महाराष्ट्र	20 जनवरी, 2014	2005 विनियमों को एमईआरसी (आपूर्ति के लिए एवं क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम, 2014 एमईआरसी को 20 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया।
12.	मध्य प्रदेश	नवीनतम अधिसूचना - 23/11/2012	विनियमों में आपूर्ति गुणवत्ता, प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यनिष्पादन की गारंटीकृत मानक इत्यादि की गुणवत्ता शामिल है। प्रथम 16.7.2004 को अधिसूचित हुआ। पुनरीक्षण 1 26.09.2005 को अधिसूचित हुआ। पुनरीक्षण. ll 23.11.2012 को अधिसूचित हुआ।
13.	मणिपुर और मिजोरम	25.06.2012	विनियम निरस्त हुआ और नया विनियम 9.6.2014 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित हुआ।
14.	नागालैण्ड	31.01.2012	एनईआरसी/रजिस्ट्रेशन/2012(ए) दिनांक 31.1.2012 के माध्यम से विनियम अधिसूचित किया गया और अंतिम रूप दिया गया।
15.	उड़ीसा	मई 28, 2004	ओईआरसी ने ओईआरसी (कार्यनिष्पादन के अनुज्ञप्तिधारी मानदण्ड) विनियम, 2004 जारी किया। आयोग ने उक्त विनियम में अनुज्ञप्तिधारियों के व्यवधान की फ्रिक्वेंसी और अवधि जैसे कार्यनिष्पादन के प्रत्याशित मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया। कुछ मानकों के गैरअनुपालन के लिए उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति विनियम की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी की गई।
16.	पंजाब	29.06.2007	पीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड एवं संबंद्ध मामले) विनियम 2007 में कार्यनिष्पादन के मानकों निर्दिष्ट किया गया है जो 29.06.2007 की अधिसूचना संख्या पीएसईआरसी/सचिव/विनियम 31 के माध्यम से अधिसूचित और 01.01.2008 से प्रभावी हुआ और 27.7.2007 के राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित किया गया। कंपनी द्वारा कार्यनिष्पादन के मानकों की पूर्ति की असफलता के मामले में प्रतिपूर्ति 1.1.2012 से कार्यान्वित की गई।
17.	सिक्किम	23 मार्च, 2012	आयोग ने विनियमों में प्रत्याशित मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया हैं।
18.	तमिलनाडु	1.9.2004	राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित पैरामीटरों के लिए मानदण्ड कार्यनिष्पादन विनियम 2004 के तमिलनाडु विद्युत वितरण मानकों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए और मॉनिटर किया गया।
19.	त्रिपुरा	11.01.2005	केवल अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् टीएसईसीएल द्वारा त्रिपुरा राज्य में एसओपी विनियम पहले ही आंरभ किया गया है।

क्र. सं.	एसइआरसी/ जेईआरसी	SoP – अधिसूचना की तारीख	सार
20.	उत्तराखण्ड	अप्रैल 17, 2007	एसओपी विनियम पहले ही अधिसूचित है। उपभोक्ताओं सेवाओं में कमी के लिए क्षतिपूर्ति और दण्ड का भुगतान विनियम में अधिसूचित है। तिमाही रिपोर्ट एसओपी पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना नियमित आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यूईआरसी एसओपी के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा कर रही है। पारंपरिक शिकायत के अलावा टोल फ्री नंबर सेवा शिकायत के लिए आरंभ कर दी गई है जो एसओपी विनियमों के अनुपालन की तत्काल मॉनिटरिंग के लिए लाभदायक है। उक्त के अलावा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सेवा चार्टर कार्यनिष्पादन के मानकों के संबंध में विद्युत उपभोक्ताओं की सामान्य जानकारी के लिए 4.2.2015 को जारी किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश		आयोग ने 1 अप्रैल, 2015 से लागू एमवाईटी विनियम 2014 में एसओपी पर अधिसूचित किया।
22.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयेाग (उपभोक्ता सेवा से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम क) प्रथम 16/डब्ल्यूबीईआरसी दिनांक 5.2.2004 के माध्यम से 5.2.2004 को अधिसूचित किया गया। ख) इसके अलावा 18.10.2005 को 24/डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया। ग) दोबारा 31.5.2010 को 46/डब्लयूबीईआरसी द्वार निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया।	समय–सयम से यथासंशोधित कार्यनिष्पादन के मानक ने आपूर्ति की बहाली के लिए समय, असफलता दरें, वॉल्टेज पैरामीटर, व्यवधान की अवधि और फ्रिक्वेंसी से संबंधित बेंचमार्क विनिर्दिष्ट है।

8. सीजीआर फोरम की स्थापना और ओमबडसमैन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध:

5.13.3 यह हिदायत है कि सभी राज्य आयोगों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शिकायत निवारण फोरम के संबंध में मार्गनिर्देशन तैयार करने चाहिए तथा ओमबडसमैन के संबंध में विनियम और 6 महीने के अंदर ओमबडसमैन को नियुक्त और/पदनाम करना चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
1	आंध्रप्रदेश	06.02.2004	ओमबडसमैन और उसके स्टाफ की सेवा की निबंधन व शर्तों तथा नियुक्ति के संबंध में राज्य आयोग ने एपीईआरसी (विद्युत ओमबडसमैन की नियुक्ति और सेवा की निबंधन व शर्तें) विनियम 2007 (2007 का विनियम संख्या 2) को भी अधिसूचित किया। इसके बाद 01.10.2007 को आयोग ने 2004 के मूल विनियम संख्या 1 में प्रथम संशोधन जारी किया।
		03.07.2007	ओमबडसमैन और उसके स्टाफ की सेवा की निबंधन व शर्तों तथा नियुक्ति के संबंध में राज्य आयोग ने एपीईआरसी (विद्युत ओमबडसमैन की नियुक्ति और सेवा की निबंधन व शर्तें) विनियम 2007 (2007 का विनियम संख्या 2) को भी अधिसूचित किया। इसके बाद 19.06.2010 को आयोग ने 2007 के मूल विनियम संख्या 2 में प्रथम संशोधन जारी किया।
2	बिहार	20.05.2006 को अधिसूचित किया।	बीईआरसी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओमबडसमैन) विनियम 2006 20.5.2006 को अधिसूचित किया।
3	छत्तीसगढ़	फरवरी 15, 2005 और 22.12.07 को संशोधित किया।	सीजीआर तीन प्रादेशिक मुख्यालयों में स्थापित किए गए। ओमबडसमैन नियुक्त किया गया और दोनों कार्यरत हैं।
4	दिल्ली	11.03.2004 को अधिसूचित किया।	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए फोरम की स्थापना एवं ओमबडसमैन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम 2003 (11.03.2004 को अधिसूचित किया)
5	गोवा एवं संघ शासित प्रदेश	इस संबंध में जेईआरसी विनियम 31.07.2009 को अधिसूचित किया। सीजीआएफ और ओमबडसमैन व्यवस्था जारी है और ठीक से कार्यरत है।	
6	गुजरात	जीईआरसी (उपभोक्ता के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम 2004, 2004 की अधिसूचना संख्या 4 दिनांक 25.8.2004 (निरस्त) जीईआरसी ने सीजीआरएफ दिनांक 7.4.2011 को अधिसूचित किया और ओमबडसमैन (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और ओमबडसमैन) विनियम 2011 को 2011 की अधिसूचना संख्या 2।	गुजरात राज्य में आठ सीजीआरएफ कार्य कर रहे हैं। आयोग तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.6.2010 से स्वतंत्र ओमबडसमैन को नियुक्त कर रहा है। आयोग तिमाही रिपोर्टों और आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से अपने कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	अधिसूचित और यथास्थान	जेएण्डकेएसईआरसी (उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए फोरम की स्थापना हेतु जेएण्डकेएसईआरसी मार्गनिर्देश और विद्युत ओमडसमैन विनियम, 2010) विनियम 2010 को अधिसूचना क्रमशः संख्या 03/JKSERC/2010 दिनांकय 06.10.2010 – संख्याः 04/JKSERC/2010 दिनांकय 06.10.2010 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा आयोग ने संख्याः JKSERC/20 दिनांकय 27.08.2012 के माध्यम से (उपभोक्ता निवारण शिकायत फोरम ओमबडसमैन और उपभोक्ता एडवोकेसी) विनियम 2012 अधिसूचित किया है। ओमडसमैन अभी नियुक्त किया जाना है चूंकि सीजीआरएफ कंपनी / सरकार द्वारा अभी स्थापित नहीं किया गया है।
8	झारखण्ड	09 / 11 / 2011	पहले ही अधिसूचित किया गया है।
9	कर्नाटक	जून 10, 2004	केईआरसी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम तैयार किया है और 10.6.2014 को अधिसूचित किया। आयोग ने ओमडसमैन नियुक्त किया और राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर सीजीआर फोरम स्थापित किया।
10	केरल	14.10.2005 की अधिसूचना (ओमडसमैन और सीजीआरएफ केएसईबी तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के लिए हैं।)	केएसईआरसी (सीजीआरएफ एवं विद्युत ओमडसमैन) विनियम, 2005 14.10.2005 से प्रभावी। प्रथम संशोधन 2007 द्वितीय संशोधन 2008 तीसरा संशोधन 2010 चौथा संशोधन 2010 पाँचवाँ संशोधन 2011.

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
11	महाराष्ट्र	20.04.2006	क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) – 42(6) के अनुसरण में एमईआरसी ने 'महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत ओमडसमैन) विनियम 2006 तैयार किया है जिसमें महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा ओमडसमैन) विनियम 2003 के रूप में अभिज्ञात 2003 में तैयार विनियमों को अधिक्रमित किया। ख) विनियमों में त्रिटायर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है जिसमें अनुाप्तिधारी द्वारा उनको प्रदत्त सेवा में कमी के कारण व्यथित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता उसके क्षेत्र के आईजीआर कक्ष से संपर्क कर सकता है और संतुष्ट न होने की स्थिति में अंचल के सीसीजीआर से शिकायत दाखिल कर सकता है और सीसीजीआर के निर्णय से संतुष्ट न होने पर ओमडसमैन से संपर्क कर सकता है। ग) तदनुसार प्रत्येक डिस्कॉम ने सीजीआरएफ गठित किया है। तीन डिस्कॉम अर्थात् बेस्ट, आरइंफ्रा और टीपीसी प्रत्येक का एक सीजीआरएफ है। जबकि प्रचालन का व्यापक क्षेत्र होने के कारण एसएसईडीसीएल के पास 16 सीजीआरएफ है। इस प्रकार मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र राज्य में कुल 19 सीजीआरएफ हैं। घ) विद्युत ओमडसमैन का कार्यालय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) के अधीन 27.12.2004 को स्थापित किया गया और मुंबई में 25.1.2005 से कार्य आरंभ किया। एमईआरसी ने 2011 में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधार के लिए नागपुर में एक ओर विद्युत ओमडसमैन गठित किया। ङ) विद्युत ओमडसमैन और सभी सीजीआरएफ राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
12	मध्य प्रदेश	30.4.2004 को अधिसूचित 28.08.2009 को संशोधित/ 10.5.2013 को अंतिम रूप से संशोधित	विनियमों में उपभोक्ता शिकायतों का ईसीजीआरएफ निवारण और ओमडसमैन की स्थापना के लिए मार्गनिर्देश शामिल
13	मणिपुर और मिजोरम	18.06.2010	सीजीआरएफ को दोनों राज्यों में गठित किया गया। ओमडसमैन को दोनों राज्यों के लिए नामित किया गया।
14	नागालैण्ड	31.01.2012	NERC/REFN/2012(B) दिनांक 31/01/2012 ने विनियमों को अधिसूचित किया और अंतिम रूप दिया।
15	उड़ीसा	ओईआरसी ने ओईआरसी (शिकायत निवारण ओमडसमैन) जारी किया।	12 जीआरएफ और दो ओमडसमैन अधिकारी राज्य में प्रचालन में है। एक ओमडसमैन कार्यालय NESCO, WESCO & SOUTHCO कवर करता है और दूसरा ओमडसमैन कार्यालय केवल सीएसयू को कवर करता है। ओमडसमैन सीधे आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि जीआरएफ के अध्यक्ष और वित्त सदस्य संबंधित डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत नाम के पैनल से आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग सहसदस्य को नामित करता है।
16	पंजाब	पीएसईआरसी (फोरम एवं ओमडसमैन) विनियम 2005	पटियाला में मुख्ययालय सहित सीजीआर, सीजीआरएफ 1.8.2006 से कार्य कर रहा है। पीएसईआरसी द्वारा नियुक्त ओमडसमैन विद्युत पंजाब, चंडीगढ़ 11.9.2006 से कार्य कर रहा है।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
17	सिक्किम	30 अप्रैल 2012	तैयार किए गए मार्गनिर्देश और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित सीजीआरएफ। ओमडसमैन के संबंध में विनियम अधिसूचित किया गया और सीजीआरएफ अधिसूचित एवं ओमडसमैन नामित किया।
18	तमिलनाडु	18 फरवरी, 2004	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं ओमडसमेन के संबंध में आयोग के विनियमों में फोरम की स्थापना के लिए या विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के लिए व्यवस्था है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने 42 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए हैं। प्रत्येक वितरण परिमण्डल में एक और फोरम ठीक से कार्य कर रहे हैं। विद्युत ओमडसमैन आयोग द्वारा नियुक्त किया जा रहा है जो विनियमों के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्य करता है। विद्युत ओमडसमैन फोरमों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण हैं।
19	त्रिपुरा	पहले से तैयार किए गए हैं।	सीजीआरएफ को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले ही आंरभ किया गया है। मौजूदा ओमडसमैन 30/6/2015 को सेवानिवृत्त हो गया है। नया ओमडसमैन भी नियुक्त किया जाना है।
20	उत्तराखण्ड	17.01.2007 को अधिसूचित किया।	दो सीजीआरएफ और एक ओमडसमैन कार्यात्मक हैं।
21	उत्तर प्रदेश	आयोग ने 'यूपी विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं विद्युत ओमडसमैन) विनियम 2007' को 4 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित किया गया।	सभी डिस्कॉमों ने अपने संबंधित अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्रों में सीजीआरएफ स्थापित किया है और मौजूदा रूप से कार्य कर रहा है।
22	पश्चिम बंगाल	क) विनियम 8.10.2003 के पूर्ववर्ती विनियम के प्रतिस्थापन्न में 17.01.2006 को किया गया। ख) इसके बाद, 26.8.2013 के 56/WBERC प्रतिस्थापित किया गया।	WBSEDCL – 19+1+1 (1 PGRO at Head Quarter) CESC Ltd. – 10 DPSCL – 9 DPL – 6 फिलहाल तीन ओमडसमैन कार्य कर रहे हैं।

9. उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय नीति में उपबंधः

5.13.4 केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और विद्युत विनियामक आयोगों को विनियामक आयोगों के समक्ष उपभोक्ता समूहों और उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व का क्षमता निर्माण करना चाहिए। इससे विनियामक प्रक्रिया में वृद्धि होगी।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सार
1	आंध्रप्रदेश	आयोग इलैक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया तथा उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से टैरिफ अवधारण, विनियमों को अधिसूचित करने के दौरान स्टेकहोल्डरों/उपभोक्ताओं/आम जनता से सुझाव/विचार आमंत्रित करता रहा है और उनका उत्तर उत्साहवर्धक है।
2	बिहार	
3	छत्तीसगढ़	उपभोक्ता एडवोकेसी कक्ष आयोग द्वारा पहले ही स्थापित किया गया है।
4	दिल्ली	आयोग ने उपभोक्ता एडवोकेसी के लिए सार्वजनिक शिकायत कक्ष ळवछछब्ज को अधिदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक बुलेटिन भी जारी किया है।
5	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	जेईआरसी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई नियमित रूप से करता रहा है। कुछ मामलों के लिए जेईआरसी अपने विनियमों के बारे में सूचित करने के लिए 'उपभोक्ता समूह के साथ विचार–विमर्श भी करता है।'
6	गुजरात	आयोग टैरिफ अवधारण में सहभागिता के लिए उपभोक्ता समूहों को आमंत्रित करता है और उपभोक्ता को सेवाओं में सुधार के लिए अपने मूल्यवान सुझाव की मांग भी करता है। इस परियोजना को सीयूटीएस अंतरराष्ट्रीय की मदद से कार्यान्वित किया गया है जिसका उद्देश्य मांग पक्ष प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए मांग में उपभोक्ता समूहों की दीर्धकालिक क्षमता जानकारी में वृद्धि करना रहा है।
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	आयोग राज्य के जिला मुख्यालयों में सामान्य उपभोक्ता जानकारी तथा विद्युत आपूर्ति कोड, वितरा कार्यनिष्पादन मानक में, जेएण्डके विद्युत अधिनियम 2010 के उपबंधों पर नियमित रूप से कार्यशाला आयोजित करता रहा है और समय–समय से इस प्रकार के सेमीनार/कार्यशाला के आयोग के लिए उपभोक्ता संगठन एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करता है।
8	झारखण्ड	उपभोक्ता समूहों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए बहुविध सार्वजनिक सुनवाईयां किसी टैरिफ आदेश/विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व आयोजित की जाती हैं। जेएसईबी टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देने के लिए बहुविधि सार्वजनिक सुनवाइयां अप्रैल 2012 से मई 2012 तक आयोजित की गई। इसी के साथ–साथ आयोग सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों में कंपनियों को निर्देश देता है जिससे विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए मदद मिलती है और इससे क्षमता निर्माण में भी मदद मिलती है।
9	कर्नाटक	उपभोक्ता समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला प्रशिक्षण सेमिनार तथा तिमाही पत्रिकाओं से उपभोक्ता एडवोकेसी कार्यालय के माध्यम से आरंभिक रूप से किया जाता है। इसे ओमडसमैन के काय्रलय के माध्यम से जारी रखा गया है। अपने टैरिफ आदेश में आयोग वितरण अनुप्तिधारियों द्वारा किए गए उपभोक्ता क्षमता निर्माण के लिए व्यय के लिए निधियां उपलब्ध करवाता रहा है।
10	केरल	केएसईआरसी के अंतर्गत उपभोक्ता एडवोकेसी कक्ष कक्षाओं का आयोजन करते हुए विनियामक तंत्र में उपभोक्ताओं में जागरूकता सृजन के लिए कार्य कर रहा है। अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक, सीजीआरएफ और विद्युत ओमडसमैन, ऊर्जा बचत इत्यादि पर पेमफ्लेट वितरित किए गए। तिमाही आधार पर आयोग के न्यूजलैटर के प्रकारशन के लिए कार्यवाही आरंभ की गई।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सार
11	महाराष्ट्र	1. विद्युत उपभोक्ता के हितों के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन की प्राप्ति के लिए धारा 86(4) और 94(3) के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा और अपेक्षाओं की तुलना के रूप में उनके अनुभव/विशेषज्ञता द्वारा दर्शाए गई रूचि के आधार पर 19.12.2003 के आदेश के द्वारा एमईआरसी में पांच प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि संगठनों को प्राधिकृत किया है अर्थात् (क) मुम्बई ग्राहक पंचायत, विल्ले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई (ख) प्रयास एनर्जी ग्रुप, पुणे (ग) थाने बेलापुर इंडस्ट्रिज ऐसोसिएशन, नवीकरणीय मुम्बई (घ) विदर्भ इंडस्ट्रिज ऐसोसिएशन, नागपुर (ङ) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग एवं कृषि 2.8 जून, 2012 को एमईआरसी ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व के उपयुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं के चयन एवं प्राधिकार के लिए एमईआरसी (प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि) विनियम, 2012 को अधिसूचित किया। 3. हाल ही में, आयोग ने मामला दर मामला आधार पर उपभोक्ता हित को प्रस्तुत करने के लिए सीआर के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ के रूप में 15 व्यक्तियों को भी प्राधिकृत किया। 4. उपभोक्ता समूह उत्पादन कंपनी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और व्यापर अनुज्ञप्तिधारी इत्यादि के लिए एआरआर/टैरिफ के अवधारण पर सुनवाई में उपभोक्ताओं की ओर से सुझाव और अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और सहभागिता करता है। 5. उक्त उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए उपभोक्ता/स्टेकहोल्डरों और आम जनता के सुझावों/टिप्पणियों को टैरिफ निर्धारण और विनियमों को अंतिम रूप देने से संबंधित मामलों पर सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
12	मध्य प्रदेश	उपभोक्ताओं को सहायता करने वाले रजिस्टर्ड 127 एनजीओ के लिए
13	मणिपुर और मिजोरम	मणिपुर मिजोरम अधिसूचित सिटीजन चार्टर, उपभोकता जागरूकता बैठक/कार्यशाला आयोग द्वारा तथा नामजद संगठनों के माध्यम से समय–समय से आयोजित की जाती है। उपभोक्ताओं को दोनों राज्यों में राज्य सलाहकार समिति में ठीक से प्रतिनिधित्व किया जाता है। उपभोक्ता समूह महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक सुनवाई में सहभागिता की जाती है।
14	नागालैण्ड	लागू नहीं

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सार
15	उड़ीसा	• विभिन्न विनियामक निर्णय प्रक्रिया में आयोग उपभोक्ताओं के राय लेता है और उन्हें सुनवाई में सहभागिता के लिए अनुमति देता है। • विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(3) के अनुसार अपने टैरिफ सुनवाई में ओईआरसी विश्लेषण के लिए 'उपभोक्ता काउंसिल' को लगाता रहा है और अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादन कंपनी के एआरआर एवं टैरिफ आवेदन पर अपनी स्वतंत्र विचार रखता रहा है। • आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यनिश्पादन पर आवश्यक फीडबैक तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि पर आवश्यक फीडबैक के लिए उपभोक्ता काउंसिल के लिए एनजीओ और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है। • जीआरएफ एवं ओमडसमैन के साथ वार्षिक विचार–विमर्श • जीआरएफ के निरीक्षण और उपभोक्ता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किए जा रहे हैं। • टैरिफ एवं अन्य महत्वपूर्ण आदेशों का संग्रह वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। • 'आपको क्या करना चाहिए?' शीर्षक की पुस्तिका (एफएक्यू) प्रकाशित की गई और विद्युत उपभोक्ताओं को वितरित की गई। • कार्यनिश्पादन मानक वार्षिक रूप से प्रकाशित किए गए। • सभी बड़े उड़िया और अंग्रेजी दैनिक ने बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित सार्वजनिक जागरूकता अभियान • वर्ष 1998 में आयोग ने वेबसाइट स्थापित की जो देश के विद्युत क्षेत्र में विशेष रही। ओईआरसी वेबसाइट को पोर्टल में उन्नत किया गया जो अब उपभोक्ता से मित्रवत बनी हुई है और अपनी प्रकृति में विचार विमर्श रखती है।
16	पंजाब	उपभोक्ता समूह टैरिफ के अवधारण के लिए सार्वजनिक सुनवाई में सहभागिता करता है। इन उपभोक्ता समूह के कुछ प्रतिनिधियों को पीएसईआरसी, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। उपभोक्ताओं समूहों की टिप्पणियां आयोग द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने से पूर्व सावर्जनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
17	सिक्किम	आयोग विनियामक प्रक्रिया तथा पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के लिए विनियामक प्रक्रिया को बनाने के सभी प्रयास करता रहा है। आयोग के कार्यकलाप, विनियम, सीजीआरएफ एवं ओमडसमैन से संबंधित सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में रखी गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता/संवेदनात्मक कार्यक्रमों के लिए निर्देश देता रहा है ताकि सूचना का विस्तार किया जा सके और उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जा सके।
18	तमिलनाडु	सभी वितरण मण्डलों में निर्मित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की गतिविधियां आयोग द्वारा मॉनिटर की जाती है। आयोग ने उपभोक्ता संबंधित मामलों पर पुस्तिका प्रकाशित की है और उपभोक्ता/उपभोक्ता समूह में प्रचालित की है।
19	त्रिपुरा	पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम की व्यवस्था की स्थिति में नहीं है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
20	उत्तराखण्ड	यूईआरसी ने उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के हित को प्रदर्शित करने के लिए सदस्यों सहित राज्य परामर्शदाता समिति स्थापित की। टैरिफ आदेशों सहित महत्वपूर्ण आदेशों और विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व यूईआरसी इस प्रकार के परामर्श / बैठक के प्रस्ताव सहित कार्यसूची के उचित प्रचालन के बाद समिति के साथ संरचित परामशर्म करता है। यूईआरसी निर्देशों पर आधारित और पूर्ण राज्य में सार्वजनिक सुनवाई करता है, वितरण कंपनी संबंधित अंचल के महाप्रबंधक / मुख्य अभियंता के नियंत्रण एवं अधिक्षण के अधीन उपभोक्ता शिकायतों के निपटान और प्राप्ति के लिए सुनवाई के स्थान के बाहर कैम्प लगाता है। सुचना प्रसार तथा उपभोक्ताओं में जानकारी पैदा करने के लिए भाग के रूप में यूईआरसी समय से समय से समाचारपत्र में प्रकाशित करता है और विनियम के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा प्रदान की जाने की अपेक्षित उपभोक्ताओं को सेवाएं तथा आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में पेम्फलेट वितरित करता है।
21	उत्तर प्रदेश	आयोग विभिन्न उपभोक्ताओं के स्तर से प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए उपभोकता समूह के गठन का उन्नयन करता रहा है। सभी समूह आयोग के निर्णय में गुणवत्ता योगदान करते रहे हैं। आयोग टैरिफ अवधारण तथा अन्य महत्वपूर्ण मुददों के लिए उपभोक्ता सहभागिता के लिए राज्य के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई करते रहे हैं।
22	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीआरसी ने विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत के निवारण के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (ओमडसमैन द्वारा इस प्रकार की शिकायत से लेनदेन के समय व ढंग तथा उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए मार्गनिर्देश) विनियम 2013 नाम से विनियम अधिसूचित किए। कार्यनिष्पादन विनियम के मानक की मुख्य विशेषताएं, शिकायत निवारण तंत्र के पत्रकों को उपभोक्ताओं में विद्युत बिल सहित प्रचालित करने के लिए आयोग द्वारा निर्देश दिए गए। उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधि को मुददे की प्राथमिकता के लिए आयोग की सलाहकार समिति में शामिल किया गया।

अनुबंध–III

राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति रिपोर्ट

विषयसूची

1.	इक्विटी पर रिटर्न	77
2.	मूल्यह्रास दरें	79
3.	अंत:राज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन	82
4.	टीओडी टैरिफ	86
5.	उर्जा का नवीकरणीय स्रोत	91
6.	निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की स्थिति	100
7.	अधिशेष कैप्टिव उत्पादन का दोहन	106

इक्विटी पर रिटर्न

टैरिफ नीति में उपबंध:

5.3 (क) निवेश पर रिटर्न : केन्द्रीय आयोग समय–समय से पूंजी की प्रचलित लागत तथा समूचे जोखिम के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए पारेषण परियोजनाओं और उत्पादन के लिए इक्विटी पर रिटर्न की दर अधिसूचित करेगा जिसका एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा अनुपालन किया जाएगा। पारेषण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित रिटर्न की दर अन्तर्ग्रसत उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन सहित वितरण के लिए एसईआरसी द्वारा अंगीकार की जाएगी। इस मामले में एकसमान दृष्टिकोण के लिए विनियामक फोरम के माध्यम से मतैक्य पर पहुंचना वांछनीय होगा।

क्र.सं.	एसईआरसीध्जेईआरसी	आरओई ;ःद्ध		सार
1.	आंध्रप्रदेश	क्र.सं.	आरओई (%)	सार
		1.	15.5	एपीजीईएनसीओ स्टेशन
		क्र.सं.	आरओई (%)	सार
		2.	14	एपट्रांसको
2.	बिहार	14%		
3.	छत्तीसगढ़	15.5%		15.5 प्रतिशत की आधार दर पर कर पूर्व आधार पर संगणित वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की नियंत्रण अवधि के लिए इक्विटी पर रिटर्न। इक्विटी पर रिटर्न 0.5% अतिरिक्त रिटर्न के लिए प्रावधान 01.04.2010 को या उसके बाद आरंभ परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए किया गया है।
4.	दिल्ली	14% और 16%		इक्विटी पर रिटर्न FY 2012.13, FY 2013.14 और FY 2014.15 के लिए विनियम 2011 में जीईआरसी द्वारा यथा अनुमोदित वितरण कारोबार के लिए इक्विटी पर रिटर्न 16 प्रतिशत कर पश्चात और पारेषण एवं उत्पादन कारोबार के लिए इक्विटी रिटर्न 14 प्रतिशत पोस्ट कर है।
5.	गोवा एवं संघ शासित प्रदेश	चूंकि जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी सरकारी विभाग तथा समन्वित कंपनियों के रूप में प्रचालन कर रहे हैं अतएव जेईआरसी ने अवधि के दौरान प्रचालनकारी निवल नियत आस्तियों पर 3 प्रतिशत रिटर्न की अनुमति दी।		
6.	गुजरात	14%		आरओई उत्पादन पारेषण और वितरण गतिविधि के लिए प्रदान की गई है जो जीईआरसी (एमवाईटी) विनियमों पर आधारित राज्य में विनियमित गतिविधियां हैं।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	i) 14% ii) 15.5%		जेकेएसईआरसी (हाइड्रो उत्पादन टैरिफ के अवधार के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 के विनियम 25 के अनुसार जेकेएसईआरसी (बहवर्ष वितरण टैरिफ) विनियम 2012 के विनियम 28 के अनुसार और जेकेएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 4.10 के अनुसार।
8.	झारखण्ड	15.50% (पोस्ट-टैक्स)		0.50 प्रतिशत का प्रोत्साहन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया है।
9.	कर्नाटक	15.50%		आयोग ने राज्य में सभी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 15.5 प्रतिशत इक्विटी पर रिटर्न विनिर्दिष्ट किए हैं।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसीध्जेईआरसी</th><th>आरओई ;%द्ध</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>14%</td><td>2005–06 से आरआई।
उससे पूर्व RONFA का 3%</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="2">एमईआरीस ने अपने विनियम अर्थात महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम 2011 के माध्यम से द्वितीय नियंत्रण अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया है।
उत्पादन के लिए इक्विटी पर रिर्टन 15.5 प्रतिशत – : (*अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी यदि परियोजना समयसीमा के अंदर पूरी होती है अन्यथा नहीं।)
पारेषण के लिए इक्विटी पर रिटर्न –15.5%
वितरण वायर कारोबार के लिए इक्विटी पर रिटर्न 15.5% हैं।
आपूर्ति कारोबार – 17.5%</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">उत्पादन एवं पारेषण टैरिफ में इक्विटी पर रिटर्न की एमपीईआरसी (उत्पादन एवं पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम के अनुसार अनुमति है जिसे केविविआ के विनियमों में अपनाई गई पद्धति एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>प्रतिशतता में इक्विटी पर रिटर्न</th><th>अतिरिक्त इक्विटी पर रिटर्न, यदि लागू है।</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>वि.व. 2012-13</td><td>15.5%</td><td>0.5%</td><td></td></tr>
<tr><td>वि.व. 2013-14</td><td>15.5% (16%)</td><td>0.5%</td><td>खुदरा आपूर्ति एवं वितरण कारोबार के लिए आरओई कर पूर्व आधार पर संगणित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>वि.व. 2014-15</td><td>15.5%</td><td>0.5%</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>16%</td><td>उत्पादन, पारेषण और वितरण</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>16%</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के लिए 15.5% और डिस्कॉम के लिए 16 प्रतिशत</td><td>आयोग ने 1.4.1996 के बाद किए गए इक्विटी निवेश के लिए लागू कर दर सहित 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर कर पूर्व आधार पर ओएचपीसी (राज्य हाइड्रो उत्पादक) को इक्विटी पर रिर्टन की अनुमति दी है। इसी प्रकार ओपीटीसीएल, एसटीयू के लिए आयोग ने 1.4.1996 के बाद आरंभ परियोजनाओं के लिए इक्विटी के फोर्म में निवेश पूंजी के लिए केविविआ मानदण्ड के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न RoE/ 15.5% की अनुमति दी है। तथापि आयोग ने एलटीटीएस आदेश के अनुसार कारोबार में इक्विटी की राशि पर डिस्कॉम को 16 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर रिटर्न की अनुमति दी है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>15.5%</td><td>आस्तियों के सृजन में वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी की राशि पर 15.5% की दर पर इक्विटी पर रिटर्न टैरिफ विनियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td>14%</td><td>उर्जा एवं विद्युत विभाग सिक्किम सरकार, केवल डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार का विभाग है, यहां व्ययों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के लिए उपगत किया जाता है। इस प्रकार कोई अलग इक्विटी की आयोग द्वारा इक्विटी पर रिटर्न के लिए अनुमति नहीं दी गई है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	एसईआरसीध्जेईआरसी	आरओई ;ःद्ध	सार
18.	तमिलनाडु	14 प्रतिशत पोस्ट टैक्स (अवधारण टैरिफ विनियमों 2005 के लिए निबंधन व शर्तों के विनियम 21 के अनुसार)	
19.	त्रिपुरा	14.89 %	कुल 23.80 करोड़ रु. टीईआरसी द्वारा अनुमोदित किए गए।
20.	उत्तराखण्ड	उत्पादन, पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी– 14%	टैरिफ विनियम, 2004 मार्च, 2013 तक लागू है।
21.	उत्तर प्रदेश	16%	अनुज्ञप्तिधारी यूपीईआरसी वितरण टैरिफ विनियम 2006 के खण्ड संख्या 4.10 के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न अर्जित करने के लिए हकदार हैं, श्इक्विटी पर रिटर्न विनियम 4.7 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर 16% की दर पर अनुमति होगी। तथापि आयोग अपने द्वार स्थापित कार्यनिष्पादन बेंचमार्क की तुलना में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के अध्याधीन रिटर्न की दर को कम/वृद्धि कर सकता है।
22.	पश्चिम बंगाल		उत्पादन: केविविआ के टैरिफ विनियम के अनुसार वही। पारेषण: केविविआ के टैरिफ विनियम के अनुसार वही। वितरण: उत्पादन के लिए अनुमत्त इक्विटी पर रिटर्न की अपेक्षा 1% अधिक 1%

मूल्यह्रास दरें

टैरिफ नीति में उपबंध :

5.3 (ग) मूल्यह्रास : केन्द्रीय आयोग उत्पादन और पारेषण आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास दरों को अधिसूचित कर सकता है। अधिसूचित मूल्यह्रास दरें उपयुक्त संशोधन सहित वितरण के लागू होंगे जिसे विनियामक फोरम द्वारा विकसित किया जा सकता है।

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	अपनाई गई केविविआ दरें	अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव
1.	आंध्र प्रदेश	नहीं	विद्युत मंत्रालय दरें – एपीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2008 की विनियम संख्या 1 के अनुसार अपनाई गईं। विद्युत मंत्रालय दरें अपनाई जाएं चूंकि उनका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्थात् वार्षिक लेखों में APTRANSCO द्वारा अनुपालन किया जाता है।
2.	बिहार	हाँ	
3.	छत्तीसगढ़	अपनाए गए	
4.	दिल्ली	आस्तिवार मूल्यह्रास अनुसूची FY 2012-13, FY 2013-14 और FY 2014-15 के लिए उत्पान, वितरण और पारेषण कारोबार के लिए एमवाईटी विनियम 2011 के लिए दी गई हैं।	
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	जेईआरसी ने मूल्यह्रास के लिए केविविआ दरों को अपनाय है और तदनुसार जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अधीन सभी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इसकी अनुमति दी गई है।	

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th>अपनाई गई केविविआ दरें</th><th>अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>मूल्यह्रास की केविविआ दरों के अनुसार विभिन्न आस्तियों पर अनुमति दी गई है। कुल मूल्यह्रास दरों की गुजरात की कंपनियों को (अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण) को अनुमति दी गई है।</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td></td><td>JKSERC टैरिफ विनियम विभिनन उपयोगी जीवन वाले विभिनन आसितयों के लिए अलग दरें विनिर्दिष्ट करते हैं।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td>अपनाए गए</td><td>आयोग ने केविविआ टैरिफ विनियमों द्वारा यथाअधिसूचित मूलयह्रास दरों को अपनाया है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>केविविआ दरें 2003.04 से बनाई गई।</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td></td><td>महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ) विनियम 2011 के अनुसार मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगा।

उत्पादक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित ढंग से संगणित उनके संबंधित कारोबार में प्रयुक्त नियत आस्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास की वसूली के लिए अनुमति होगी।
(1) परियोजना/नियत आस्तियों की अनुमोदित मूल लागत मूल्यह्रास की संगणना के लिए मूल्य आधार होगी।
(2) मूल्यह्रास सीधी लाइन पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा।
(3) आस्ति का सालवेज मूल्य स्वीकृति योग्य पूंजी लागत के 10 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास की आस्ति के स्वीकृति योग्य पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी।

मूल्यह्रास की भूमि पर अनुमति नहीं होगी और भूमि का मूल्य मूल्यह्रास की संगणना के प्रयोजन के लिए स्वीकृति योग्य पूंजी लागत को बाहर होगा।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए एमपीईआरसी विनियमों में मूल्यह्रास दरें वहीं निर्धारित की गई हैं जैसा कि केविविआ टैरिफ विनियमों में दी गई है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>अपनाई गई सीईआरसी दरें</th><th>अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव</th></tr>
<tr><td>वि.व. 2012-13</td><td rowspan="3">हाँ</td><td rowspan="3">FY 12.13, 13.14 और 14.15 के लिए खुदरा आपूर्ति एवं वितरण कारोबार के लिए लागू मूल्यह्रास दरें लागू हैं।</td></tr>
<tr><td>वि.व. 2013-14</td></tr>
<tr><td>वि.व. 2014-15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>हाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	अपनाई गई केविविआ दरें	अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव
15.	उड़ीसा	अपनाई नहीं गई।	ओईआरसी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मूल्यह्रास को अपनाया है और भारत सरकार यथाअधिसूचित पूर्व 92 दरों पर 29.1.2003 के डीओआर अधिसूचना No.1068/E के अनुसार अपनाया गया है। राज्य हाइड्रो उत्पादन परियोजनाओं के लिए मूल्यह्रास की 2.57 प्रतिशत की दर पर अनुमति दी गई है। तथापि हाइड्रो परियोजनाओं के लिए जहां मूल ऋण पुर्नभुगतान 2.57 प्रतिशत पर आए से अधिक है उन मामलों में मूल्यह्रास की ऋण के मूल पुनर्भुगतान की सीमा तक अनुमति दी गई है। पारेषण कंपनी के लिए विशेष विनियोजन के आकार में अतिरिक्त मूल्यह्रास की पूर्व 92 दर पर संगणित कुल मूल्यह्रास पर केविआ की अधिसूचना के अनुसार अनुमति दी गई है। वितरण कारोबार के लिए मूल्यह्रास की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पूर्व 92 दर पर अनुमति दी गई है।
16.	पंजाब	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के परिशिष्ट III के अनुसार	केविविआ विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास की दर पंजाब पावर यूटिलिटी के मामले में भी लागू है।
17.	सिक्किम	एसईआरसी द्वारा अपनाई गई केविविआ दरें	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 परिशिष्ट III और परिशिष्ट 2 के अनुसार दरों को उत्पादन एवं पारेषण आस्तियों के लिए क्रमशः अपनाया गया है। .
18.	तमिलनाडु	आयोग ने टैरिफ विनियम (टैरिफ विनियम 2005 के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों के विनियम 24) के अनुसार मूल्यह्रास की दर की अनुमति दी है जो केविविआ टैरिफ विनियम के अनुसार है।	
19.	त्रिपुरा	4.87 %	24.31 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि टीईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई।
20.	उत्तराखण्ड	अपनाई गई	केविविआ दरें यूईआरसी द्वारा अपनाई गई हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	नहीं	आयोग मूल्यह्रास के समय में मूलयह्रास की संगणना के लिए यूपीईआरसी टैरिफ विनियम (2006 & MYT) का अनुपालन करता है।
22.	पश्चिम बंगाल		i) आयोग में मौजूदा उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) यथासंशोधित विनियम 2011 के अनुबंध क में निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ii) आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य 10 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास की आस्ति के मूल लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी। iii) फ्रीहोल्ड भूमि मूल्यह्रास योग्य आस्ति नहीं है और इसकी लागत पूंजी लागत से बाहर होगी। मूल्यह्रास पर आयोग की ओर से फिलहाल इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है।

अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.2 टैरिफ अवसंरचना और संबद्ध विषय : राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ अप्रैल, 2006 तक राज्य स्तर पर आरंभ किया जा रहा है। यह फ्रेमवर्क उत्पादन केन्द्रों के लिए (एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा यथानिर्धारित क्षमताओं के ग्रिड संबद्ध केप्टिव संयंत्र सहित) को विस्तारित किया जाएगा।

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
1.	आंध्रप्रदेश	नहीं	आंध्रप्रदेश अंतःराज्यिक एबीटी के स्थान पर अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन्न कोड का अनुपालन किया जा रहा है।
2.	बिहार		
3.	छत्तीसगढ़	अधिसूचित नहीं	यह ड्राफ्ट चरण में है।
4.	दिल्ली	हाँ	अंतःराज्यिक एबीटी 31.3.2007 के आदेश के माध्यम से आरंभ किया गया।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	चूंकि अवधि के दौरान सभी अनुज्ञप्तिधारियों ने समन्वित कंपनियों के रूप में कार्य किया अतएव अंतरराज्यिक एबीटी आरंभ नहीं किया गया था।	
6.	गुजरात	'अंतःराजियक उपलब्धता आधारित टैरिफ की परिधि के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, गुजरात राज्य के उत्पादन केन्द्र को लाने के लिए' 11.8.2006 के आदेश संख्या 3 के माध्यम से जीईआरसी ने गुजराज राज्य में एबीटी कार्यान्वित किया। अंतःराज्यिक एबीटी फ्रेमवर्क आयोग के 2010 के आदेश संख्या 3 के अनुसार 5.4.2010 से राज्य में वाणिज्यिक आधार पर लागू हुआ।	अंतःराज्यिक एबीटी राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं सीपीपी, निर्बाध पहुंच उपभोक्ता से संबद्ध ग्रिड, उत्पादन केन्द्रों के लिए आरंभ किया गया। तथापि, सौर एवं पवन उर्जा उत्पादक विद्युत के इनफर्म किस्म के कारण अंतःराज्यिक एबीटी से बाहर किए गए हैं।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर		अंतःराज्यिक एबीटी अभी आरंभ नहीं किया गया।
8.	झारखण्ड	फिलहाल एबीटी राज्य में लागू नहीं है। चूंकि विद्युत क्षेत्र सुधारों की प्रक्रिया विद्युत बोर्ड की अनबडलिंग से हुई है। अतएव आयोग निकट भविष्य एबीआी आरीा करने में विचार	
9.	कर्नाटक	कार्यान्वित	एबीटी के कार्यान्वयन के लिए आदेश 26.12.2006 को जारी किया गया। तथापि मौक कार्य पिछले 2 वर्षों के लिए किया गया ओर अंतःराज्यिक एबीटी 1.2.2016 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
10.	केरला	कार्यान्वित किया जाना है।	

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
11.	महाराष्ट्र	17 मई 2007 को जारी किया गया 2006 का मामला संख्या 42 में एमईआरसी आदेश।	महाराष्ट्र में डब्ल्यूएएसएमपी आधारित एबीटी तंत्र की शुरूआत 1. विचलन का व्यवस्थापन बाजार भागीदारों को उचित आर्थिक सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए आदेश में महाराष्ट्र में भारित औसत प्रणाली मार्जिनल कीमत पर किया गया। 2. महाराष्ट्र के विद्युत बाजार के अंदर प्रचालनकारी पारेषण निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता और वितरण अनुज्ञपितधारी (मानदण्ड के अध्याधीन) राज्य पूल सहभागी होंगे। 3. उत्पादकों को असंतुलित पूल व्यवस्थापन्न के लिए विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार का संव्यवहार आरई उत्पादकों को दिया गया। सीपीपी का प्रयोग करने वाले पारंपरिक विद्युत स्रोतों के संबंध में संव्यवहारों पर विचलन को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मामले के समान उपभोक्ता पर किया जाएगा।
12.	मध्य प्रदेश	हाँ	01 नवंबर, 2009 से।
13.	मणिपुर और मिजोरम	नहीं	केवल एक कंपनी प्रत्येक राज्य में मौजूद है।
14.	नागालैण्ड	आयोग ने अभी तक उपलब्धता आधारित टैरिफ नियत नहीं किया है।	
15.	उड़ीसा	विनियम 14.2.2008 को अधिसूचित किया गया।	अंतःराज्यिक एबीटी विनियम 14.2.2008 को अधिसूचित किया। कंपनियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आईआरसी ने दो चरणों में अंतःराज्यिक एबीटी के कार्यान्वयन के लिए विभक्त किया। डिस्कॉम तथा ग्रिडको के बीच फेज–1 तथा उत्पादकों को विस्तारित करने के लिए किया। घण्टे तथा 15 मिनट के मोड में माप कार्य के बाद वाणिज्यिक प्रभावों के साथ वास्तविक समय में अंतःराजियक एबीटी (फेज.I) को 1.4.2012 से कार्यान्वित किया गया। उत्पादकों और सीजीपी को कवर करने वाले फेज.II को अभी वाणिजियक आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।
16.	पंजाब	आरंभ नहीं किया गया	पंजाब राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. अभी पंजाब राज्य में उत्पादन और वितरण कार्य कर रही है तथा कंपनी द्वारा अभी तक वितरण कारोबार और उत्पादन कारोबार के लिए लागतें अभी तक अलग नहीं की गई है। इस प्रकार एबीटी की शुरूआत इस स्थिति में व्यवहार्य नहीं है।
17.	सिक्किम	आरंभ नहीं की गई	अत्यंत छोटे 'राज्य के अंदर' विद्युत मांग अपेक्षा सहित विद्युत अधिशेष राज्य होने के नाते तथा ग्रिड संबद्ध कैप्टिव उत्पादन संयंत्र न होने के नाते एबीटी आंरभ करने की महत्ता अभी तक महसूस नहीं की गई। आयोग आवश्यकता पड़ने पर एबीटी आरंभ करने की योजना बनाएगा।
18.	तमिलनाडु	अंतःराज्यिक एबीटी कार्यान्वित की जानी है। ड्राफ्ट विनियम 13.1.2016 को आयोग की वेबसाइट पर स्टेहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव मांगते हुए होस्ट किए गए हैं।	
19.	त्रिपुरा		टीएसईसीएल ने अंतःराज्यिक एबीटी को राज्य में प्रस्तुत नहीं किया है।
20.	उत्तराखण्ड		एसएलडीसी 27 नवंबर, 2012 से प्रचालनीय है और स्काडा 18.4. 2013 से प्रचालनीय है। (एसएलडीसी की रिंग फेंसिंग और स्काडा का कार्यान्वयन प्रगति पर है। अंतःराज्यिक एबीटी जुलाई 2016 के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।)

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
21.	उत्तर प्रदेश	कार्यान्वित	आयोग वितरण टैरिफ विनियम 2006 के विनियम 4.2 (11) का अनुपालन करता है। जिसे नीचे दिया गया है।: **4.2 विद्युत क्रय लागतः** 11. एबीटी के क्षेत्र में यूआई के माध्यम से विद्युत क्रय की लागत निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन परवर्ती वर्ष के टैरिफ के माध्यम से पारित किए जाने की अनुमति होगी : क) यूआई के माध्यम से क्रय किए गए विद्युत के लिए औसत दर आयोग द्वारा यथाअनुमोदित अनुज्ञप्ति के गुण अवगुण के अधीन क्रय की गई विद्युत के लिए अधिकतम दर से अधिक नहीं होना चाहिए। ख) यूआई के माध्यम से क्रय किए गए विद्युत यूनिटों की कुल लागत आयोग द्वारा अनुमोदित कुल विद्युत क्रय लागत का 10 प्रतिशत तक नियंत्रित होगी। बशर्ते कि यूआई के अधीन क्रय की गई विद्युत के लिए औसत दर जहां अनुज्ञप्ति के गुण और अवगुण के अधीन विद्युत क्रय की विनिर्दिष्ट अधिकतम दर से अधिक हो जाती है वहां इस प्रकार की विद्युत खरीद की लागत आयोग द्वारा यथाअनुमोदित अनुज्ञप्ति के गुण अवगुण के अधीन विद्युत क्रय के लिए अधिकतम दर पर परवर्ती वर्ष के टैरिफ के माध्यम से अनुमति होगी भले ही उक्त 11 ख में बताई गई 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुंची है या नहीं।

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
22.	पश्चिम बंगाल	i) एबीटी 1.1.2008 से अंतःराज्यिक मोड के लिए आरंभ की गई। ii) पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 के विनियम 6.11 के अनुसार एबीटी के अधीन विद्युत केन्द्र I. पश्चिम बंगाल विद्युत कार्पोरेशन लि. के सभी उत्पादन केन्द्र., 1. कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, 2. बकरेसवर थर्मल पावर स्टेशन, 3. बंडेल थर्मल पावर स्टेशन, 4. संतलडिह थर्मल पावर स्टेशन, 5. सागरडिगही थर्मल पावर स्टेशन, II. तदंतर राज्य ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किसी उत्पादन कंपनी के उक्त 50 मेगावाट सभी अन्य आगामी उत्पादन केन्द्र	WBSETCL स्थितिः केवल एबीटी के लिए मीटर पारेषण के लिए उत्पादनः 40 एबीटी और टीओडी के लिए मीटरः पारेषण के लिए उत्पादनः 76 वितरण के लिए पारेषणः 342 यूटिलिटी के बीच टाइ लाइनः 40 केवल आईपीपी पर टीओडी मीटर के लिएः 09

टीओडी टैरिफ

टैरिफ नीति में उपबंध:

6.2 टैरिफ अवसंरचना और संबद्ध विषय : उपयुक्त आयोग भार के बेहतर प्रबंधन के लिए पीक और आफ पीक घण्टों के लिए नियत प्रभारों की विभेदक दरों को आरीा कर सकता है।

क्र.सं.	SERCs/JERCs	आरंभ की गई टीओडी	उपभोक्ता श्रेणी	पीक टैरिफ	ऑफ पीक टैरिफ
1.	आंध्रप्रदेश	6 अपराहन से 10 अपराहन	**उपभोक्ता श्रेणी**	**पीक टैरिफ (Rs./ kVAh)**	**ऑफ पीक टैरिफ (Rs./ kVAh)**
			HT-IA उद्योग (132 KV)	4.97	3.97
			HT-IA उद्योग (33 KV)	5.37	4.37
			HT-IA उद्योग (11 KV)	5.80	4.80
			HT-IA मौसमी उद्योग (132 KV)	6.10	5.10
			HT-IA मौसमी इण्डस्ट्रीज ऑफ–सीजन (33 KV)	6.35	5.35
			HT-IA मौसमी इण्डस्ट्रीज ऑफ–सीजन (11 KV)	6.97	5.97
			HT-II अन्य (132 KV)	6.10	5.10
			HT-II अन्य (33 KV)	6.35	5.35
			HT-II अन्य (11 KV)	6.97	5.97
			HT-III एयरपोर्ट अन्य (132 KV)	5.54	4.54
			HT-III एयरपोर्ट अन्य (33 KV)	5.86	4.86
			HT-III एयरपोर्ट अन्य (11 KV)	6.39	5.39
2.	बिहार	हाँ	उच्च टेंशन	सामान्य से 20% अधिक	सामान्य टैरिफ से 15% कम
3.	छत्तीसगढ़	हाँ	HV & EHV, औद्योगिक उपभोक्ता	उर्जा प्रभार की सामान्य दर का 130%	उर्जा प्रभार की सामान्य दर का 85% (11:00 pm to 5:00 am of next day)
4.	दिल्ली	हाँ		अधिभार /15%	छूट /15%

टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी (देसी से भिन्न) जिनका स्वीकृत भार/एमडीआई (जो भी अधिक हो) 300 केवी और अधिक है जैसा कि नीचे दर्शाय गया है:

माह	पीक घण्टे	उर्जा प्रभारों पर अधिभार	ऑफ पीक घण्टे	उर्जा प्रभारों पर छूट
अप्रैल-सितंबर	1500—2400 Hrs	10%	0000-0600 Hrs	10%
अक्टूबर-मार्च	1700-2300 Hrs	5%	2300-0600 Hrs	10%

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>SERCs/JERCs</th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशासित प्रदेश</td><td colspan="4">टीओडी टैरिफ
<table>
<tr><th>उपयोगिताएं</th><th>टीओडी की शुरूआत</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>ED-A&N</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-चंडीगढ़</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-दमन एवं दीव</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-गोवा</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-लक्षद्वीप</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-पुदुचेरी</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>इसे गुजरात राज्य में आरंभ किया गया।</td><td colspan="3">उपयोग टैरिफ का समय गुजरात में पहले से ही है। एलटी उपभोक्ताओं के लिए कोई अलग लागू टैरिफ नहीं है जिनकी कांट्रेक्ट मांग 40 केवी से अधिक है और 100केवीए और अधिक की नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए कांट्रेक्अ एचटी उपभोक्ताओं के लिए है जो अगले दिन 10 बजे अपराह्न से 6.00 बजे पूर्वाहन के दौरान अनन्य रूप से विद्युत के प्रयोग के लिए है।

इसके अलावा, उपभोग टैरिफ का समय एलटी टैरिफ की वाटर वर्क श्रेणी के लिए लागू है। एचटी श्रेणी में एचटी कृषि और रेलवे ट्रेक्शन टैरिफ श्रेणी को छोड़कर सभी अन्य एचटी श्रेणी को टैरिफ के उपयोग के समय का लाभ मिलता है।

दिनांक 02 जून, 2012 के टैरिफ आदेश के संबंध में UGVCL, DGVCL, MGVCL & PGVCL को लागू टीओडी टैरिफ दरें।

पीक घंटे का समय — 0700 hrs to 1100 hrs and 1800 hrs to 2200 hrs
ऑफ पीक घंटे का समय — 1100 hrs to 1800 hrs
रात्रि घण्टे — 2200 hrs to 0600 hrs next day

दिनांक 02 जून, 2012 के टैरिफ आदेश के संबंध में टोरंट पावर लि. – अहमदाबाद को लागू टीओडी टैरिफ दरें।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>अभी तक आरंभ नहीं किए गए।</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td>हाँ</td><td>HTS</td><td>उर्जा प्रभारों का 120%</td><td>उर्जा प्रभारों का 85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>SERCs/JERCs</th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="4">केईआरसी ने निम्नानुसार नियत विभेदक दर और वैकल्पिक आधार पर टीओडी आरंभ किया।:
<table>
<tr><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक घंट
(18:00 to 22:00 hrs)</th><th>ऑफ पीक टैरिफ
(22:00 to 06:00 hrs)</th></tr>
<tr><td>LT इण्डस्ट्रिज</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>HT वाटर सप्लाई</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>500 KVA से कम वाणिज्यिक सहित HT उद्योग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 125 पैसे</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>टीओडी की शुरूआत</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">अनिवार्य</td><td>एचटी इण्डस्ट्रिजए 500 केवी और उससे अधिक कांट्रेक्ट मांग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 paise</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 125 paise</td></tr>
<tr><td>एचटी इण्डस्ट्रिजए 500 केवी और उससे अधिक कांट्रेक्ट मांग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 paise</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 125 paise</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>01.05.2013 आरंभ किया गया।</td><td>एचटी/ईएचटी
LT IV औद्योगिक 20 KW ऊपर
LT घरेलू 500 यूनिट/माह ऊपर</td><td>उर्जा का 150%
उर्जा का 150%
उर्जा का 120%</td><td>उर्जा का 75%
उर्जा का 75%
उर्जा का 90%</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="4">आयोग ने 1999 के मामला संख्या 1 में 28.04.2000 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–01 में राज्य में टीओडी टैरिफ आरंभ किया है।
<table>
<tr><th colspan="2">टीओडी टैरिफ</th></tr>
<tr><th>समय</th><th>Rs./kWh</th></tr>
<tr><td>0600 to 0900 hours</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>0900 to 1200 hours</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>1200 to 1800 hours</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1800 to 2200 hours</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>2200 to 0600 hours</td><td>-1.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>2000 से</td><td>रेलवे ट्रेक्शन और बलक आवासीय प्रयोक्ताओं को छोड़कर सभी एचटी श्रेणियां</td><td>अधिभार के रूप में उर्जा प्रभार के सामान्य दर का 15%</td><td>छूअ के रूप में उर्जा प्रभार की सामान्य पर का 7.5%</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="4">लागू नहीं।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>SERCs/JERCs</th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>हाँ</td><td>स्टेटिक मीटर वाले सभी तीन फेस उपभोक्ता</td><td>सामान्य टैरिफ</td><td>आयोग ने 01.4.2005 से टीओडी टैरिफ के सिद्धांतों को स्वीकार किया है जिसमें आफ पीक घण्टों के दौरान उपभोग पर 10पी/यू की दर पर छूट दी है। इसके अलावा किसी दण्ड को लगाए बिना कांट्रेक्ट मांग के 120: तक आफ पीक घण्टों के दौरान उद्योग द्वारा निकासी की अनुमति दी गई है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td colspan="4">आरंभ नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td colspan="4">आरंभ नहीं किया गया।

टिप्पणीः
विद्युत अधिशेष राज्य होने के नाते सिक्किम को पीक और आफ पीक भार की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है। विद्युत की राज्य मांग काफी कम है। चूंकि सिक्किम एसईआरसी ने पीक और आफ पीक घण्टों के लिए नियत प्रभारों की विभेदक दरें अभी आरंभ नहीं की है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="4"><table><tr><th>आरंभ किया टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr><tr><td>16.3.2003</td><td>एचटी इण्डस्ट्रिज</td><td>उर्जा प्रभारों पर 20% अधिक</td><td>उर्जा प्रभारों पर 5% की कमी</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td>उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुसर कुछ मामले में आरंभ किया गया।</td><td>औद्योगिक काफी, रबर, गार्डन, बल्क आपूर्ति इत्यादि</td><td>सामान्य दर का 140%</td><td>सामान्य दर का 60%</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td></td><td>25 केडब्ल्यू से अधिक एलटी उद्योग और सभी एचटी उद्योग</td><td>पीक आवर पर उर्जा प्रभार निम्नानुसार होगा।:
LT इण्डस्ट्रीः RS- 4-88/KVAH
HT इण्डस्ट्रीः<table><tr><th>भार घटक</th><th>उर्जा प्रभार</th></tr><tr><td>33% से कम</td><td>Rs. 5.10/kVAh</td></tr><tr><td>33% से ऊपर और 50% तक</td><td>Rs. 5.10/kVAh</td></tr><tr><td>50% से ऊपर</td><td>Rs. 5.10/kVAh</td></tr></table></td><td>आफ पीक घण्टों पर उर्जा प्रभार निम्नानुसर होगा।:
LT इण्डस्ट्रीः RS. 2-93/ KVAH
HT इण्डस्ट्री Y%<table><tr><th>भार घटक</th><th>उर्जा प्रभार</th></tr><tr><td>33% से कम</td><td>Rs. 2.57/ kVAh</td></tr><tr><td>33% से ऊपर और 50% तक</td><td>Rs. 2.79/ kVAh</td></tr><tr><td>50% से ऊपर</td><td>Rs. 3.06/ kVAh</td></tr></table></td></tr>
</table>

क्र.सं.	SERCs/JERCs	आरंभ की गई टीओडी	उपभोक्ता श्रेणी	पीक टैरिफ	ऑफ पीक टैरिफ
21.	उत्तर प्रदेश	**टीओडी का आरंभ**	**उपभोक्ता श्रेणी**	**पीक टैरिफ**	**ऑफ पीक टैरिफ**
		हाँ	LMV-6: लघु और मध्यम पावर	**LMV-6:** लागू उर्जा शुल्क का **115% +** मांग प्रभार	**LMV-6:** लागू उर्जा शुल्क का **92.5%** + मांग प्रभार
			HV-2: बड़ी और भारी पावर	**HV-2:** लागू उर्जा शुल्क का **115% +** मांग प्रभार	**HV-2:** लागू उर्जा शुल्क का **92.5%** + मांग प्रभार
22.	पश्चिम बंगाल	नियत प्रभार के लिए कोई विभेदक दर इस आयोग द्वारा स्थापित नहीं की गई। यद्यपि टीओडी टैरिफ बेहतर भार प्रबंधन के लिए पहले ही आंरभ किया गया है।			

उर्जा का नवीकरणीय स्रोत

टैरिफ नीति में उपबंध:

6.4 सह–उत्पादन सहित उर्जा उत्पादन के गैर–पारंपरिक स्रोत : (1) अधिनियम की धारा 86 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधनों की उपलबधता तथा खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के स्रोतों से उर्जा के क्रय के लिए न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करेगा। उर्जा के क्रय के लिए इस प्रकार की प्रतिशतता 01 अप्रैल, 2006 तक एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ के लिए लागू की जानी चाहिए।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राज्य</th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>नवीकरणीय उर्जा क्रय टैरिफ (average Tariff all sources)</th><th>नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>Rs.3.542</td><td>1.52%</td></tr>
<tr><td>APSPDCL</td><td>Rs.3.24</td><td>2.04%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>Rs. 2.49/kWh Hydro,
Rs. 4.46/kWh Sugar Mills</td><td>1.327% of total purchase</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>1. FY 2012.13 के लिए हाइड्रो टैरिफ (in Rs./Kwh)
2 MW से कम प्लांट के लिए – 5.46
2 और 5 MW के बीच प्लांट – 4.96
5 और 25 MW के बीच प्लांट – 4.24
2. FY 12.13 के बायोमास प्लांट के लिए टैरिफ:
a. उर्जा प्रभार Rs.3.33/Kwh
b. FY 12.13 में सीओडी प्राप्त संयंत्र का नियत प्रभार Rs.2.07/Kwh</td><td>1. सौर–न्यूनतम 0.50%
2. बायोमास–न्यूनतम 3.75%
3. अन्य RE–न्यूनतम 1.50% (हाइडल, पवन आदि)
4. कुल–न्यूनतम 5.75%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>टैरिफ (Rs./Unit)</th><th>नवीकरणीय से उर्जा प्राप्त करना। (%)</th></tr>
<tr><td colspan="4">बीआरपीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012-13</td><td>2.99</td><td>2.07#</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013-14</td><td>2.54</td><td>0.98</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014-15</td><td>2.62</td><td>0.99</td></tr>
<tr><td colspan="4">बीआरपीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012-13</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013-14</td><td>5.97</td><td>0.005</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014-15</td><td>5.97</td><td>0.005</td></tr>
<tr><td colspan="4">टीपीपीडीडील</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012-13</td><td>9.175</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013-14</td><td>6.42</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014-15</td><td>6.64</td><td>0.03</td></tr>
</table>
रुवित्तीय वर्ष 2013 समानुपातिक बिक्री के लिए और बिक्री का प्रतिशत अक्टूबर 2012 से विचार किया गया (आरपीओ विनियम)
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="2">आरपीओ बाध्यता
FY 2012.13रू सौर -4%, अन्य.2.6%, कुल.3.0%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राज्य</th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>गुजरात</td>
<td>सौर PV:

वृद्धि मूल्यह्रास सहितः
मेगावाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफरू 9.28 Rs./unit
• प्रथम 12 वर्षों के लिएरू 9.98 Rs./ unit
• परवर्ती 13 वर्षों के लिएरू 7.00 Rs./ unit

मेगावाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 11. 14Rs./unit
वृद्धि मूल्यह्रास रहितः
मेगावाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 10.37 Rs./unit
• प्रथम 12 वर्षों के लिएः 11.25 Rs./ unit
• परवर्ती 13 वर्षों के लिएः 7.50 Rs./ unit
किलोवाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 12.44 Rs./unit
सौर थर्मलः

वृद्धि मूल्यह्रास सहितः
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 11.55 Rs./unit
वृद्धि मूल्यह्रास रहितः
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 12.91 Rs./unit

पवन :
1.04.2012 से 10.08.2012 अवधि के लिए
• 25 वर्षों के लिए शुद्ध स्तरीकृत टैरिफः 3.56 Rs/unit
• 11.08.2012 से 31.03.2013 अवधि के लिए
• 25 वर्षों के लिए शुद्ध स्तरीकृत टैरिफः 4.15 Rs./unit
• मूल्यह्रास लाभः 0.37 Rs./unit</td>
<td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="4">नवीकरणीय उज्रा स्रोतों से क्रय की न्यूनतम मात्रा (प्रतिशत में) (किलोवाट घण्टे में उर्जा के अनुसार)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>कुल (2)</td><td>पवन (3)</td><td>सौर (4)</td><td>बायोमास, बगासे और अन्य</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>5%</td><td>4.5%</td><td>0.25%</td><td>0.25%</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>6%</td><td>5.0%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>7%</td><td>5.5%</td><td>1.0%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>7%</td><td>5.5%</td><td>1.0%</td><td>0/5%</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>8%</td><td>6.25%</td><td>1.25%</td><td>0.5%</td></tr>
</table>
Note: The Commission is in the process of fixing the RPO (percentage) for the subsequent years.

नोटः आयोग आगामी वर्षों के लिए नियत आरपीओ (प्रतिशत) की प्रक्रिया में।
</td>
</tr>
</table>

क्र. सं.	राज्य	टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
		बायोमासः **Water Cooled :** मूल्यह्रास वृद्धि सहित 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.40 Rs./unit • और 11 से 20 वर्षों के लिएः 4.75 Rs./unit मूल्यह्रास वृद्धि रहितः • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.45 Rs./unit • और 11 से 20 वर्षों के लिएः 4.80 Rs./unit **Air cooled :** मूल्यह्रास वृद्धि सहित • पूरे जीवन के लए स्तरीकृत टैरिफः 4.70 Rs./unit मूल्यह्रास रहित वृद्धिः • पूरे जीवन के लए स्तरीकृत टैरिफः 4.76 Rs./unit बगासे आधारित सह–उत्पादनः वृद्धि मूल्यह्रास सहित • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.55 Rs./unit • और 11 से 20 वर्षों के लिएः 4.90 Rs./unit वृद्धि मूल्यह्रास रहित : • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.61 Rs./unit • और 11 से 20 वर्षों के लिएः 4.96 Rs./unit	
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	i) राज्य के अंदर हाइडल स्रोत (25 मेगावाट तक) के लिए Rs-1- 29/यूनिट (औसत) ii) सौर पीवी के लिए 7.50/यूनिट	4.75% (गैर–सौर) लक्ष्य के विरुद्ध 2.47% की प्राप्तिय 0.25% (सौर) के लक्ष्य के विरुद्ध शून्य -
8.	झारखण्ड	आयोग केविविआ द्वारा जारी जेनरिक टैरिफ और आरइसी के बाजार मूलय पर आधरित उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से टैरिफ अनुमोदित करता है।	1.00% (सौर), 3.00% (गैर–सौर)

क्र. सं.	राज्य	टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
9.	कर्नाटक	नवीकरणीय क्रय बाध्यता राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं और अंतिम तीन वर्षों के लिए उसके बयौरे निम्नानुसार है।	

FY 2012-13	गैर.सौर (%)		सौर (%)	
	आरपीओ लक्ष्य	RPO Met	आरपीओ लक्ष्य	RPO Met
BESCOM	10	13.75	0.25	0.02
MESCOM	10	14.01	0.25	0
CESC	10	12.45	0.25	0
HESCOM	7	7.65	0.25	0.03
GESCOM	7	6.78	0.25	0.007

*31.3.2013 तक लागू उक्त टैरिफ। आयोग भावी अवधि के लिए टैरिफ अवधारित करने की प्रक्रिया में है।

क्र. सं.	राज्य	टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
10.	केरल	..	नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से इसके कुल उपभोग का 3% और इस 0.25% में से सौर आधारित संयंत्रों से होगा, 10 प्रतिशत तक परवर्ती वर्षों में 10% वृद्धि होगी। यह केएसईबी के लिए वित्तीय वर्ष 2012–14 के लिए और अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 2014–15 से कार्यान्वित की गई है।

क्र. सं.	राज्य	टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
11.	महाराष्ट्र	वित्तीय वर्ष 2012.13 के दौरान आरंभ विभिन्न आरई परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत टैरिफ 1. पवन उर्जाः a. पवन क्षेत्र – 1: Rs.5.67/kWh b. पवन क्षेत्र – 2: Rs.4.93/kWh c. पवन क्षेत्र – 3: Rs.4.20/kWh d. पवन क्षेत्र – 4: Rs.3.78/kWh 2. लघु हाइड्रो उर्जाः a. <-500kW: Rs.5.76/kWh b. >500kWh, <=1 MW: Rs.5.26/kWh बण 5 MW सहित और 1 MW से ऊपर और उस तकः Rs.4.76/ kWh क. 25 डॅ सहित और 5 MW से ऊपर और उस तकः Rs.4.09/kWh 3. सौर उर्जाः a. सौर पीवीः Rs.11.16/kWh b. सौर थर्मलः Rs.13.44/kWh c. सौर रूफटॉप पीवी और अन्य लघु सौर उर्जाः Rs.11.66/kWh 4. बायोमास उर्जाः Rs.5.41/kWh 5. गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनः Rs.4.79/kWh 6. गैर योग्यता गैर–जीवाश्म ईंधन आध ाारित सह–उत्पादन परियोजनाः 2.23/kWh	RPO for FY 2012-13: 8% (SOLAR RPO – 0.25%. NON-SOLAR RPO – 7.75%)
12.	मध्य प्रदेश	पवन–रु. 5.92: / यूनिट बायोमास–रु. 6.36 / यूनिट (अनुमानित) सौर PV–रु.10.44 / यूनिट सौर थर्मल–रु. 12.65 / यूनिट बगासे आधारित सह–उत्पादन Rs-6-28 / यूनिट लघु हाइड्रो–रु.5.25 / यूनिट (अनुमानित) म्युनिसिपल सॉलिड बेस्ड–रु. 6.39 / यूनिट बायोगैस–रु. 4.20 / यूनिट	सौर :0.012% गैर–सौर :1.52% कुल :1.53%

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राज्य</th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>निश्चित जेनरिक टैरिफ</td><td>मणिपुर : शून्य
मिजोरम :
2012-13 : 19.93%
2013-14 : 11.99%
2014-15 : 9.03%</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>'नियत नहीं की गई
'एनईआरसी ने 5 प्रतिशत पर आरपीओ नियत किया है जिसे 8X3 MW लिखिमरो हाइड्रोइलेक्ट्रीक परियेाजना द्वारा पूरा किया गया। नवीकरणी उर्जा पर टैरिफ निर्धारण अभी तक नहीं किया गया चूंकि डीएनएण्डआरई नागालैण्ड द्वारा इस प्रकार की कोई परियोजना नहीं है।</td><td>लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>पवन उर्जा–5.31
SHP<5MW–3.91
5 से 25 के बीच SHP MW–3.64
सौर PV–13.34
सौर थर्मल–14.81
बायोमास–5.01
गैर–जीवाश्म आधारित सह–उत्पादन –4.61</td><td><table><tr><th></th><th>आरपी लक्ष्य</th><th>वास्तविक</th></tr><tr><td>सौर</td><td>0.15%</td><td>0.08%</td></tr><tr><td>गैर.सौर</td><td>1.40%</td><td>1.30%</td></tr><tr><td>सह–उत्पादन</td><td>3.95%</td><td>3.26%</td></tr></table>अन्य बाध्य कंपनी द्वारा विनियम ओरेडा द्वारा मॉनीटर की जा रही है। ओए उपभोक्ता तथा सीजेपी वाले उद्योग हैं।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	राज्य	टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
16.	पंजाब	नीचे दी गई सारणी के अनुसार	2.90% [2.83(गैर–सौर); 0.07 (सौर)]

Levellised Fixed Cost (Rs./kWh)	Variable Cost (FY 2012-13) (Rs./kWh)	Applicable Tariff Rate (Rs./kWh)	Benefit of Accelerated Depreciation, if availed (Rs./kWh)	Net Applicable Tariff Rate upon adjusting for Accelerated Depreciation benefit (3-4) (Rs./kWh)
1	2	3	4	5
Biomass based Power Projects				
2.12	3.71	5.83	0.13	5.70
Non-Fossil Fuel based Co-Generation Projects				
1.90	3.42	5.32	0.12	5.20
Biomass Gasifier Power Projects				
2.36	3.83	6.19	0.11	6.08
Biogas based Power Projects				
3.06	3.38	6.44	0.21	6.23

Particulars	Applicable Tariff Rate (Rs./kWh)	Benefit of Accelerated Depreciation, if availed (Rs./kWh)	Net Applicable Tariff Rate upon adjusting for Accelerated Depreciation benefit (2-3) (Rs./kWh)
1	2	3	4
Small Hydro Power Projects			
Below 5 MW	4.88	0.38	4.50
5 to 25 MW	4.16	0.34	3.82
Wind Energy Power Projects			
Wind Zone-1	5.96	0.60	5.36
Solar Power Projects			
Solar PV	10.39	1.04	9.35
Solar Thermal	12.46	1.24	11.22

क्र. सं.	राज्य	टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
17.	सिक्किम		सिकिकम एसईआरसी ने एसएसईआरसी (नवीकरणीय उर्जा क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम 2012 को 27.09.2013 को अधिसूचित किया जिसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किए जाने वाले नवीकरणीय उर्जा की न्यूनतम प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट किया गया। तथापि इस तथ्य को विचार करते हुए कि राज्य की समूची विद्युत मांग नवीरकणीय/हाइड्रसे विद्युत संयंत्रों से पूर्ति की जा रही है। अतएव आरपीओ कार्यान्वयन अस्थगित रखा गया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ याचिका/वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर/वार्षिक समीक्षा याचिका सहित FY 2013.14, 2014.15 और FY 2015.16 के लिए आरपीओ अनुपालन दाखिल करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किए हैं।
18.	तमिलनाडु	पवन–रु.3.96 प्रति यूनिट बगासे आधारित सहउत्पादन संयंत्र : रु.4.81/– बायोमास : रु. 4.85/–	कुल RPO–9% जिसमें से 0.05% सौर के लिए

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राज्य</th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td>इस प्रकार की उर्जा अभी उत्पादित नहीं की गई इसलिए टैरिफ का प्रश्न नहीं उठता।</td><td>प्रश्न नहीं उठता</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>1.4.2013 को या उसके बाद आंरभ परियोजनाएं

(i) SHP परियोजनाएं (25MW तक) :
Upto 5 MW Rs. 3.75 /unit (3.50)
5 to 10 MW Rs. 3.65/unit (3.40)
10 to 15 MW Rs. 3.50/unit (3.25)
15 to 20 MW Rs. 3.40/unit (3.15)
20 to 25 MW Rs. 3.25/unit (3.00)

(ii) बगासे आधारितः सह–उत्पादन परियोजनाएं 2.75 /यूनिट (2.60) का प्रभार नियत किया इसके अलावा मानकीय ईंधन कीमत स्वीकार्य है जो 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि सहित वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 2.05 रुपये/यूनिट है।

(iii) बायोमास आधारित परियोजनाएंः रु.1. 90/यूनिट(1.80) का नियत प्रभार। इसके अलावा, मानकीय ईंधन की कीमतें स्वीकार्य है जो कि 5ः सालाना वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए रु.2.20/यूनिट है।

(iv) पवन परियोजनाः
Zone 1: Rs. 5.15/unit (4.75)
Zone 2: Rs. 4.35/unit (4.00)
Zone 3: Rs. 3.65/unit (3.35)
Zone 4: Rs. 3.20/unit (2.90)

(v) सौर पीवीः
Rs. 17.70/unit (16.05)

(vi) सौर थर्मलः
Rs. 12.95/unit (11.80)</td><td>वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरपीओ अनुपालन का विवरण
<table><tr><th></th><th>% RPO Target</th><th>% of Target RPO Achieved</th></tr><tr><td>Non-Solar</td><td>5.00</td><td>76</td></tr><tr><td>Solar</td><td>0.05</td><td>117</td></tr></table>
इसके अतिरिक्त, सह–उतपादन परियोजना सहित नवीकरणीय स्रोतों से कुल 100% विद्युत गुण, अवगुण के आधार पर क्रय किया गया।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>Rs. 4.30 per kWh</td><td>वास्तविक ऊर्जा खरीद का 4.7%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राज्य</th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">
UPERC विनियम (2012-13) के लिए अधिमान्य टैरिफ
<table>
<tr><td>बगासे – Rs. 4.76/kwh
बायोमास – Rs. 5.02/kwh
लघु हाइड्रो – Rs. 3.50 to Rs. 4.17/kwh
सौर ----
अन्य – Rs.4.00/kwh</td><td>कुल उपभोग का लगभग 3% से 4%</td></tr>
</table>
नवीकरणीय खरीद दायित्व
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="3">नवीकरणीय खरीद दायित्व</th></tr>
<tr><th>गैर–सौर</th><th>सौर</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>3.75</td><td>0.25</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>4.50</td><td>0.5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>5.0</td><td>1.0</td><td>6</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">सहउत्पादन और नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से कुल उपभोग का क्रय की न्यूनतम मात्रा (प्रतिशत में)</th></tr>
<tr><th>सौर</th><th>गैर.सौर</th></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>0.15</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>0.20</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>0.25</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>0.30</td><td>6.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6. निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की स्थिति

टैरिफ नीति में उपबंध:

8.5 निर्बाध पहुंच के लिए अतिरिक्त अधिभार और क्रास सब्सिडी अधिभार

8.5.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित किया गया है कि क्रास सब्सिडी अधिभार की मात्रा और उपभोक्ताओं से उगाही किए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार जिनकी निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है। वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए जो निर्बाध पहुंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की आपूर्ति और उत्पादन को तेज करना जरूरी है।.

वे उपभोक्ता जिसे निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है उसे उत्पादन को भुगतान करना होगा और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसका पारेषण प्रणाली प्रयुक्त की गई है वहां विलिंग प्रभार के लिए वितरण कंपनी और इसके अलावा क्रास सब्सिडी अधिभार है। क्रास सब्सिडी अधिभार की संगणना इस ढंग से की जाए कि इससे वितरण अनुज्ञपितधारी क्षतिपूर्ति कर सके और इससे निर्बाध पहुचं के माध्यम से प्रतिस्पध्र की शुरूआत कोई दबाव न हो। उपभोक्ता केवल निब्रध पहुंच का उपयोग करेगा यदि सभी प्रभारों के भुगतान से उसे लाभ होता है। यद्यपि वितरण अनुज्ञपितधारी का हित सुरक्षित करने की आवश्यकता है इसलिए अनिवार्य होगा कि अधिनियम के इस उपअबंध से जिसमें समयबद्ध ढंग से शुरूआत करने के लिए निर्बाध पहुंच अपेक्षित है उसे उपभोक्ता के बड़े हित में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयुक्त किया जाए।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	यूटिलिटी डिस्कॉम	क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)	अपनाई गई पद्धति
1.	आंध्रप्रदेश			

यूटिलिटी/डिस्कॉम	उपभोक्ता श्रेणी	क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)	अपनाई गई पद्धति
APEPDCL	LT-I	14	एंबेडेड लागत पद्धति
	LT-II Non-Domestic	192	
	LT-II Ad. Hoardings	476	
	LT-III Industrial (Noraml)	187	
	LT-III Industrial (SSI)	213	
	HT-IA(132 Kv)	226	
	HT-IA(33 Kv)	200	
	HT-IA(11 Kv)	218	
	HT-IB(132 Kv)	45	
	HT-IB(33 Kv)	83	
	HT-IB(11 Kv)	0	
	HT-II(132 Kv)	280	
	HT-IIA(33 Kv)	326	
	HT-II(11 Kv)	329	
	HT-III(132 Kv)	253	
	HT-IIIA(33 Kv)	263	
	HT-III(11 Kv)	273	
	HT-V	167	
	HT-VI(132 Kv)	0	
	HT-VI(33 Kv)	391	
	HT-VI(11 Kv)	103	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>Utility/ Discom</th><th></th><th>Cross-Subsidy Surcharge (Paise/KWh)</th><th>Methodology Adopted</th></tr>
<tr><td rowspan="21">APSPDCL</td><td>LT-I</td><td>18</td><td rowspan="21">एंबेडेड लागत पद्धति</td></tr>
<tr><td>LT-II Non-Domestic</td><td>168</td></tr>
<tr><td>LT-II Ad. Hoardings</td><td>0</td></tr>
<tr><td>LT-III Industrial (Normal)</td><td>155</td></tr>
<tr><td>LT-III Industrial (SSI)</td><td>65</td></tr>
<tr><td>HT-IA(132 Kv)</td><td>228</td></tr>
<tr><td>HT-IA(33 Kv)</td><td>169</td></tr>
<tr><td>HT-IA(11 Kv)</td><td>158</td></tr>
<tr><td>HT-IB(132 Kv)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT-IB(33 Kv)</td><td>36</td></tr>
<tr><td>HT-IB(11 Kv)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT-II(132 Kv)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT-II(33 Kv)</td><td>271</td></tr>
<tr><td>HT-II(11 Kv)</td><td>287</td></tr>
<tr><td>HT-III(132 Kv)</td><td>228</td></tr>
<tr><td>HT-IIIA(33 Kv)</td><td>220</td></tr>
<tr><td>HT-III(11 Kv)</td><td>222</td></tr>
<tr><td>HT-V</td><td>126</td></tr>
<tr><td>HT-VI(132 Kv)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT-VI(33 Kv)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT-VI(11 Kv)</td><td>215</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>BSEB</td><td>132 kV उपभोक्ताओं के लिए: 60 Paise/kWh
33 kV उपभोक्ताओं (HTSS के अलावा) के लिए: 54 Paise/kWh
11 ाट उपभोक्ताओं (HTSS के अलावा) के लिए: 52 (paise/kWh)
HTSS उपभोक्ताओं 33 kV के लिए: 0 Paise/ kWh
HTSS उपभोक्ताओं (33 kV और 11 kV) के लिए: शून्य</td><td>टैरिफ नीति में सिफारिश किए गए फार्मूला (S=T-[C(1+l/100)+D]) के अनुसार क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित किया जाता है। राज्य में प्रचलित विद्युत कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य के बाहर स्रोतों से विद्युत क्रय विकल्पों की मांग के लिए एचटी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और अनुमोदित खुदरा टैरिफ के साथ तुलनीय विद्युत की लागत के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित प्रभार की 50 प्रतिशत पर अनुमोदित किया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम</td><td>1. एचटी उपभोक्ता Rs.0.682 per KWH
2. ईएचटी उपभोक्ता के लिए Rs.1.178 per KWH</td><td>टैरिफ नीति में परिभाषित पद्धति में औसत लागत</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशासित प्रदेश</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>ED-A&N</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-Chandigarh</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-Daman & Diu</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-Goa</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-Lakshwadeep</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-Puducherry</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td rowspan="3">गुजरात</td><td>PGVCL/MGVCL/ DGVCL/ UGVCL</td><td>39</td><td rowspan="3">क्रास सब्सिडी अधिभारक लिए अपनाई गई पद्धति राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td>TPL-अहमदाबाद</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TPL-सूरत</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>J&KPDD</td><td>कोई अधिभार नहीं लगाया जा रहा है।</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td></td><td>फिलहाल लागू नहीं</td><td>सीएसएस के संगणना पद्धति राज्य के टैरिफ विनियम जो केविविआ द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>एसईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>श्रेणी</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>KERC</td><td>BESCOM</td><td rowspan="5">HT2(a) (इण्डस्ट्रियल)
66KV और ऊपर
HT level – 11 KV / 33 KV
HT2(b) (व्यावसायिक)
66KV and above
HT level – 11 KV / 33 KV</td><td rowspan="5">97.91 paise per Kwhs
62.96 paise per Kwhs
194.29 paise per Kwhs
159.35 paise per Kwhs</td></tr>
<tr><td></td><td>GESCOM</td></tr>
<tr><td></td><td>HESCOM</td></tr>
<tr><td></td><td>MESCOM</td></tr>
<tr><td></td><td>CESC</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>EHT-220KV
EHT-110 KV
EHT-66KV
रेलवे
HT-1 इण्डस्ट्रियल
HT-II –गैर–इण्डस्ट्रियल
HT-IV दृव्यावसायिक</td><td>शून्य
शून्य
11
24
शून्य
49
255</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>MSEDCL, TPC-D and R Infra D</td><td>टैरिफ आदेश के अनुसार</td><td>टैरिफ नीति फार्मूला के अनुसार</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्यप्रदेश</td><td>पूर्व डिस्कॉमए केन्द्रीय डिस्कॉम और पश्चिमी डिस्कॉम</td><td>रीटेल सप्लाई टैरिफ आदेश के अनुसार</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>1. मणीपुर राज्य उर्जा वितरण कंपनी लि.
2. उर्जा और विद्युत विभाग मिजोरम सरकार</td><td>कोई अधिभार नहीं लगाया गया।</td><td>जैसा निर्बाध पहुंच विनियम में विनिर्दिष्ट है।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="3">लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="3">वि.व. 2012.13 के लिए 1 मेगावाट और अधिक निर्बाध पहुंच उपभोकता के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार
<table>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>CSS for EHT (Paise/Kwh)</th><th>CSS for HT (Paise/Kwh)</th></tr>
<tr><td>CESU</td><td>197</td><td>101</td></tr>
<tr><td>NESCO</td><td>157</td><td>55</td></tr>
<tr><td>WESCO</td><td>158</td><td>76</td></tr>
<tr><td>SOUTHCO</td><td>276</td><td>165</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td colspan="3">पीएसईआरसी (निर्बाध पहुंच) विनियम 2011 के अनुसार 2014–15 के लिए पीएसपीसीएल के उपभोकताओं के विभिन्न श्रेणियों के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार (पैसा / यूनिट) निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>वि.व. 2012.13 (पैसे / यूनिट)</th></tr>
<tr><td>बड़ी आपूर्ति</td><td>88</td></tr>
<tr><td>घरेलू आपूर्ति</td><td>85</td></tr>
<tr><td>गैर–आवासीय आपूर्ति</td><td>107</td></tr>
<tr><td>बुल्क आपूर्ति</td><td>63</td></tr>
<tr><td>रेलवे ट्रेक्शन</td><td>107</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	यूटिलिटी डिस्कॉम	क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)	अपनाई गई पद्धति
17.	सिक्किम	उर्जा एवं विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार	नियत नहीं की गई	अभी तक किसी उपभोक्ता से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसमें निर्बाध पहुंच का अनुरोध किया गया हो। इस प्रकार आज तक सिक्किम में कोई निर्बाध पहुंच उपभोक्ता नहीं है। क्रास सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार तब तैयार किया जाएगा जब इसकी आर्वैयकता उत्पन्न होती है।
18.	तमिलनाडु	**यूटिलिटी / डिस्कॉम**	**क्रॉस सब्सिडी प्रभार (Paise/kWh)**	**अपनाई गई पद्धति**
		TANGEDCO	Rs.1.66 to Rs.3.28	राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसर फॉर्मूला
19.	त्रिपुरा	**यूटिलिटी / डिस्कॉम**	**क्रॉस सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)**	**अपनाई गई पद्धति**
		निर्बाध पहुंच उपभोक्ता त्रिपुरा में उपलब्ध नहीं है।	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
20.	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि.	43 paise/kWh	वि.व. 2012.13, के लिए 18: पूल औसत प्रणाली वितरण हानि निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।
21.	उत्तर प्रदेश	**क्रॉस सब्सिडी प्रभार ; च्पेमध् ज्ञौद्ध**	**अपनाई गई पद्धति**	
		संगत श्रेणियों के लिए आयोग द्वारा संगणित क्रॉस सब्सिडी अधिभार शून्य है।	आयोग ने निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करते हुए संगत उपभोक्ता श्रेणियों के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित किया है: S = T – [C (1+ L / 100) + D] जहां S क्रास सब्सिडी अधिभार है T उपभोक्ताओं की संगत श्रेणी द्वारा प्रतिदेय टैरिफ हैय C तरल ईंधन आधारित उत्पादन और नवीकरणीय उर्जा को छोड़कर मार्जन पर 5 प्रतिशत की उर्जा खरीद की भारित औसत लागत है। यूपी के मामले में यह रोजा पावर प्रोजेक्ट 2, दादरी थर्मल कहलगांव स्टेज–2 फेज–1 और अनपरा–सी के मार्जनल विद्युत क्रय स्रोतों की लागत पर विचार करते हुए 4.43 रुपये / किलोवाट घण्टा है। D पावर के पारेषण और वितरण के लिए औसत विलिंग प्रभार है जो 0.658 / किलोवाट घण्टा है। L प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त लागू वॉल्टेज स्तर के लिए प्रणाली हानियां हैं जिसे 30 प्रतिशत के रूप में संगणित किया गया है।	

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	यूटिलिटी डिस्कॉम	क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)	अपनाई गई पद्धति
22.	पश्चिम बंगाल	WBSEDCL: 82.24 + 315.14 (अपरिहार्य लागत) CESC Ltd: 339.46 + 136.61 (अपरिहार्य लागत) DPL: 27.46 + 184.69 (अपरिहार्य लागत) DPSCL: 58.35 + 450.54 (अपरिहार्य लागत)		क्रॉस सब्सिडी प्रभार निर्बाध पहुंच तथा अनुज्ञप्धिारी द्वारा परिहारित लागत की जा रही उपभोक्ता की श्रेणियों के लिए लागू टैरिफ के बीच अंतर है।

7. अधिशेष कैप्टिव उत्पादन का दोहन

टैरिफ नीति में उपबंध:

6.3 कैप्टिव उत्पादन का दोहन : कैप्टिव उत्पादन उपलबध प्रतियोगी विद्युत के लिए एक महतवपूर्ण साधनप है। उपयुक्त आयोग को ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे ग्रिड से संबद्ध कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित किया जा सके।

इस प्रकार के कैपिटव संयंत्र उतपादन कंपनियों के लिए लागू उसी विनियम के अध्याधीन ग्रिड में अधिशेष विद्युत को अंतक्षेपित कर सके।

....

विलिंग प्रभार और अन्य निबंधन व शर्तें यह सुनिश्चित करते हुए एससीइआरसी और जेईआरसी द्वारा अग्रिम से निध्र्रारित की जानी चाहिए कि प्रभार उचित व संगत है।

विनियामक फोरम की सिफारिशों की समीक्षा

1. सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंटेट की गई मांग की कमी के लिए कोई दण्ड नहीं होना चाहिए।
2. सामानान्तर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार के उदग्रहण के लिए लघु औचित्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रभारों को निम्नतम स्तर पर रखा जाए।
3. कोई न्यूनतम गारंटी प्रभार नहीं होना चाहिए।
4. स्टार्टअप/स्टैण्ड बाई विद्युत के लिए प्रभार उचित होना चाहिए और अस्थायी कनेक्शन के लिए नियत प्रभारों से अधिक नहीं होना चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
1.	आंध्रप्रदेश	--	--	--	--	मद के अधीन यथाउल्लिखित (3) राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधि विषयों पर स्थिति रिपोर्ट के वितरण नेटवर्क प्रभार और निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार
2.	बिहार					

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	Rs.21.00 per KVA (सीपीपी के केप्टिव और गैर–कैप्टिव के लिए)	शून्य	1. मांग प्रभार के रूप में 185 रु/केवी/माह स्टार्टअप पावर तथा कांट्रेक्ट मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए उर्जा प्रभारें के रूप में Rs.5.40/ KVAh 2. उन उपभोक्ताओं के लिए 10.29रु. प्रति यूनिट स्टार्टअप पावर जिनकी कोई कंटेक्ट मांग नहीं है। 3. निर्बाध पहुंच सीमा तक उर्जा के लिए 7.44 रु/ किलोवाट घण्टा स्टेण्डबाई प्रभार और ओपन निर्बाध सीमा के आगे उर्जा के लिए 9.92रु/ किलोवाट घण्टा यूनिट	1. विलिंग प्रभार – 19 पैसा/किलोवाट 2. STOA के लिए 33 KV से ऊपर 22.4 पैसा/किलोवाट 3. LTOA & MTOA ग्राहक उनकी आवंटित क्षमता के अनुपात में निवल एआरआर का वहन करेगा।
4.	दिल्ली	केप्टिव उत्पादन दिल्ली राज्य में नहीं है।				
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया चूंकि जेईआसी क्षेत्राधिकारी के अधीन इस प्रकार के कोई मामले नहीं है।				
6.	गुजरात	कोई दण्ड नहीं है।	26.50 Rs./KVA	--	केविविआ (अंतःराज्यिक निर्बाधपहुंच की निबंधन वशर्तें) विनियम 2011 की धारा 26 केअनुसार स्टेण्डबाई प्रभार संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के टैरिफ आदेशों के अनुसार लागू हैं।	DISCOMs(PGVCL, MGVCL, DGVCL&UGVCL) के लिए विलिंग प्रभार निम्नानुसार है; 11 KV में : 11 ps/kwh 400 V (LT) में : 41 ps/ kwh 11 KV में TPL विलिंग प्रभार के लिएए अहमदाबाद और सूरत में क्रमशः 22 और 18 ps/kwh 400 V (LT) में – क्रमशः अहमदाबाद और सूरत में 72 और 66 ps/kwh

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th>सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड</th><th>समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार</th><th>न्यूनतम गारंटी प्रभार</th><th>स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार</th><th>विलिंग प्रभार</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>कोई अधिशेष केप्टिव विद्युत उत्पादन राज्य में उपलब्ध नहीं है।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="3">अनुज्ञप्तिधारी से सूचना की प्रतीक्षा है।</td><td>1008 घण्टे तक एचटी औद्योगिक उपभोक्ता उर्जा प्रभार का 1.5 भार
1008 घंटों के आगे अस्थायी आपूर्ति टैरिफ लागू है।</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="5">केईआरसी ने यूआई दरों से संबद्ध दरों को विनिर्दिष्ट करते हुए राजय में सीपीपी से अधिशेष केप्टिव विद्युत के दोहन के लिए आदेश जारी किया। केईआरसी ने सीडी, सामानांतर प्रचालन प्रभार, न्यूनतम गांरटी प्रभार इत्यादि की कमी के लिए कोई दण्ड निर्धारित नहीं किया है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>----</td><td>----</td><td>------</td><td>-------</td><td>विल्ड उर्जा का 5%</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>नहीं</td><td></td><td>नहीं</td><td>*Rs.20/kVA/माह</td><td><table>
<tr><th>DISCOM</th><th>वोल्टेज स्तर</th><th>Rs./kWh</th></tr>
<tr><td>MSEDCL</td><td>33kV</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td></td><td>/11kV</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td></td><td>LT स्तर</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td>TPCD</td><td>HT स्तर</td><td>0.19</td></tr>
<tr><td></td><td>LT स्तर</td><td>0.38</td></tr>
<tr><td>RinfraD</td><td>HT स्तर</td><td>0.46</td></tr>
<tr><td></td><td>LT स्तर</td><td>0.88</td></tr>
<tr><td>BEST**</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	Rs. 20/kVA	शून्य	प्रतिबद्धता प्रभार 132 KV-Rs.25/ KVA/माह3 3KV- Rs. 31/KVA/ माह उक्त के अतिरिक्त विद्युत के लिए उर्जा प्रभार और नियत प्रभार अस्थायी दर पर उपभोग किया गया।	
13.	मणिपुर और मिजोरम	CPP नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट
14.	नागालैण्ड	लागू नहीं।				
15.	उड़ीसा	कोई दण्ड नहीं। इसे ओईआरसी वितरण (आपूर्ति की शर्तें) को 2004 के विनियम 66, 71 द्वारा अधिशासित किया जाएगा।	शून्य	शून्य	शून्य	WESCO - 78.09 NESCO - 81.29 SOUTHCO - 61.30 CESU - 99.94
16.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	561 पैसे प्रति kWh	Rs. 452540 प्रति MW प्रति माह
17.	सिक्किम	*तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।
		*नोट : सिक्किम में कोई केप्टिव विद्युत उत्पादन केन्द्र नहीं है। इसलिए ग्रिड संबद्ध केप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए विनियम तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। तथापि आयोग जब भी आवश्यकता होती है इस प्रकार के विनियम तैयार/अधिसूचित करेगा।				

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
18.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	वास्तविक रूप से रिकॉर्ड की गई मांग या स्वीकृत मांग का नब्बे प्रतिशत जो भी अधिक हों	स्टार्ट अन्तरराज्यिक पारेषण पावर–अस्थायी आपूर्ति टैरिफ स्टेण्डबाई पावर उर्जा प्रभार–टैरिफ आदेशों के अनुसार मांग प्रभार श्रेणी के लागू टैरिफ	23.27 पैसे
19.	त्रिपुरा	केप्टिव उत्पादन संयंत्र त्रिपुरा राज्य में उपलबध नहीं है अतएव भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता।				
20.	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य, तथापि सिंक्रॉनाइजेशन का उत्तरदायित्व और अपेक्षित मानकों के अनुरूप उपकरण व सिंक्रोनाइजिंग उपलबध करवाना तथा आयात,/ निर्यात मीटर केप्टिव उत्पादकों के पास होंगे।	शून्य	अस्थायी आपूर्ति के लिए अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट टैरिफ के अनुसार अर्थात् न्यूनतम प्रभार सहित + 25% उचित अनुसूचित दर में प्रभार की दर और आपूर्ति के दिनों की संख्या के लिए मांग प्रभार लिया गया है।	मामला दर मामला आधार पर। इस प्रकार का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	पारंपरिक उर्जा के लिए लागू	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	पश्चिम बंगाल	यूआई प्रभारों से भिन्न सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए इस प्रकार का कोई दण्ड नहीं होगा। समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार की पद्धतियां, प्रभारेां और विलिंग प्रभारों के द्वारा स्टार्टअप/स्टेण्डबाई को यथासंशोधित पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयेाग (निर्बाध पहुंच) विनियम 2007 में किया गया आयोग निर्बाध पहुंच/केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए पारेषण प्रभारेां विलिंग प्रभारेां और क्रॉस सब्सिडी अधिभारेां के लिए नियमित रूप से आदेश पारित करता है। अन्य प्रभार उपभोक्ता विनिर्दिष्ट हैं और उपभोक्ता को निर्बाध पहुंच के अनुमोदन के समय आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।				

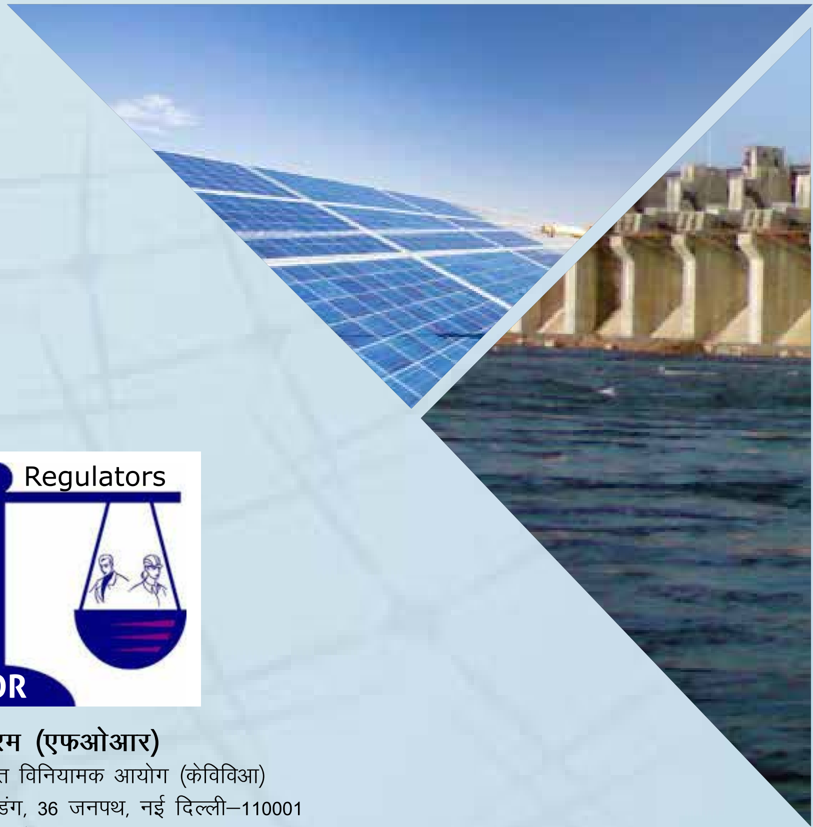

Forum of Regulators

FOR

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालय : मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001
टेलिफोन : 91–11–23753920 फैक्स : 91–11–23752958

Designed and Produced by
creativ*Edge*
ce@aravalifoundation.in
www.creativedge.in